



मेरे प्रिय संभाषण



मैंने प्रिय  
संभाषण

- महादेवी वर्मा -



नेशनल पब्लिशिंग हाउस  
२३, बरियागंज, नयी दिल्ली-११०००२

घासाए  
छोड़ा रास्ता, जयपुर  
३४, नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद-३

ISBN 81—214—0027—9

मूल्य • ४०००

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३, बरियागंज, नयी दिल्ली ११०००२ द्वारा प्रकाशित /  
द्वितीय संस्करण १९८१ / सर्वाधिकार श्रीमती महादेवी वर्मा / सरस्वती प्रिंटिंग  
प्रेस, ए-६५, सेक्टर ५, नोएडा-२०१३०१ में मुद्रित । [379.2-12-886/N]

MERE PRIYA SAMHASHAN by Mahadevi Verma Rs 40 00

## अपनी बात

भाषण चाहे साहित्य सम्बन्धी ही हो, किन्तु रहेगी वह साहित्य लेखन से भिन्न विधा ही। साहित्यकार लेखन के समय अकेला ही होता है। उसके समक्ष न पाठ्य समुदाय होता है न आलोचक। श्रेष्ठ साहित्यकार अपने आप में जिस गहराई तक डूब कर लिखता है उसमें पुरस्कार या दण्ड, किसी की स्वीकृति-अस्वीकृति, किसी का प्रवेश सम्भव नहीं होता और कभी-कभी तो उसके जीवनकाल में उसकी रचना का मूल्यांकन भी नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में लेखन प्रायः 'स्वान्तः सुखाय' ही होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की अनिवार्यता ही उसकी मूल प्रेरणा हो जाती है।

इसके विपरीत भाषणकर्त्ता का श्रोतावर्ग उसके समक्ष ही रहता है और इस समूह में भिन्न अवस्था तथा रुचि वाले व्यक्ति होते हैं। इन सब तक अपनी बात पहुँचाना भाषणकर्त्ता का लक्ष्य होना स्वाभाविक है।

साहित्य के समान भाषणों का वर्गीकरण हो सकता है, जैसे साहित्य, विज्ञान, सस्कृति, समाज, राजनीति आदि, किन्तु सब श्रोताओं तक अपने कथ्य का भर्म पहुँचाने के लिए भाषा, शैली भंगिमाएँ सब भाषणकर्त्ता को सहायता देती हैं। श्रोताओं में विषय के ज्ञाता और रुचि रखने वालों के अतिरिक्त अन्य जिज्ञासाओं से प्रेरित व्यक्ति भी हो सकते हैं। तात्कालिक मूल्यांकन भी भाषण की विशेषता होने के कारण भाषणकर्त्ता सोचने के लिए अवकाश नहीं पाता। यदि सबको साथ न ले चल सके तो बोलने वाला अकेला रह जायगा।

आधुनिक युग में व्यक्ति पढ़ने का अवकाश अनेक प्रकार की व्यस्तताओं के कारण नहीं पाता, अतः यह वाचिक कला अधिकाधिक प्रसार पा रही है। वैसे परम्परा की दृष्टि से हमारी गुरु परम्परा लिपि से पहले वाचिक ही रही है, पर आज उसे नवीन परिवेश मिल गया है।

अपने समापनों के विषय में कुछ कहना कठिन है। इन्हें सुनने वाले भी होंगे और अब पाठक भी। उन्हें कुछ मेरे विचार मिल सकें इतनी ही इनकी सार्थकता है।



## क्रम

शिक्षा का उद्देश्य	१
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में दीक्षांत भाषण	
मातृभूमि देवोभवः	१२
महाराजी साधु कुबेर महाविद्यालय, बलरामपुर में दीक्षांत भाषण	
भाषा का प्रश्न	२०
पूना के भाषा सेमिनार में उद्घाटन भाषण	
हमारा देश और राष्ट्रभाषा	२३
पूना के भाषा सेमिनार में समापन भाषण	
साहित्य और साहित्यकार	३१
हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में भाषण	
साहित्य, संस्कृति और शासन	४२
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में भाषण	
नवीन दशक में महिलाओं का स्थान	४७
आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 'डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला' के अंतर्गत भाषण	
कला और हमारा चित्रमय साहित्य	७०
चित्रकला प्रदर्शनी पर भाषण	
हिंदी की सहोदरा मराठी	७७
महाराष्ट्र मण्डल के अधिवेशन में दिया भाषण	
हिंदी पत्र-जगत् : एक दृष्टि	८२
पत्रकार सम्मेलन, कलकत्ता में उद्घाटन भाषण	
हिंदी रंगमंच—१	९३
बच्चुनाटक प्रतियोगिता में दिया उद्घाटन भाषण	
हिंदी रंगमंच—२	९९
श्रीमान् बोरैरकर सम्मान समारोह, दिल्ली में भाषण	
करुणा का सदेशवाहक	१०४
बुद्ध जयंती के अवसर पर उद्घाटन भाषण	





## शिक्षा का उद्देश्य<sup>१</sup>

स्नातक अनुजो को उपदेश या आदेश देने की स्थिति में मैं अपने-आपको नहीं पाती, क्योंकि मैं स्वयं एक जिज्ञासु विद्यार्थिनी हूँ। जीवन की पुस्तक का अभी एक पृष्ठ भी मैं समाप्त नहीं कर पाई। वैसे मेरे विचार में, मनुष्य चिन्मन और अनुभूति की चिरनवीन उद्भावनाओं की दृष्टि में आजीवन विद्यार्थी ही रहता है। इस स्थिति में परिवर्तन के लिए उसे बुद्धि और हृदय के द्वार ही बंद कर लेने पड़ते हैं।

भारत अपने भौगोलिक परिवेश में जितना विविधरूपात्मक है, सांस्कृतिक दृष्टि से उतना ही सरिष्ट है। और उसके सांस्कृतिक मूल्य जीवन के लिए मगन-विधायक तथा आलोकवाही रहे हैं।

जिन युगों तक इतिहास की किरणें नहीं पहुँच पाती, उन युगों में भी भारत ने आचार्यकुलों को अपनी मूल्यात्मक उपलब्धियों का संरक्षक तथा अंतर्वासियों को उनका उत्तराधिकारी स्वीकार कर दोनों को समान महत्त्व दिया था।

जन्म से लेकर शिक्षा की समाप्ति तक व्यक्ति के निर्माण के लिए, जो जटिल, परंतु गंभीर संवेदनमयी व्यवस्था की शृंखला मिलती है, उसकी प्रत्येक कड़ी दीर्घ चिंतन और परीक्षण का परिणाम है।

तत्कालीन दीक्षात अनुष्ठान ऐसी सघिवेता थी, जिसमें शिष्य की परीक्षा समाप्त और गुरु की परीक्षा का आरंभ होता था। स्नातक में कुलगुरु का ज्ञान ही नहीं, उसकी महिमा भी सन्निहित होती थी। इसी से स्नातक अपने आचार्य-कुल से ही पहचाना जाता था। उनमें अनेक कुलगुरु अपनी अत्यंत शक्तिवांछिणी जीवन-दृष्टि के लिए प्रख्यात थे और उनकी शिष्य-परंपरा, समाज को गतिरुद्ध करने वाली रुद्धियों को खट-खट करने का सफल सेवर बर्मदेश में प्रवेश करती थी।

१ विद्यम विश्वविद्यालय, उग्रवेन में दीक्षात भाषाण।

सा विद्या या विमुक्तये ।

—अर्थात् वही विद्या है जो मुक्ति के लिए है ।

विद्या की उपर्युक्त परिभाषा से अधिक प्रगतिशील परिभाषा खोज लेना कठिन होगा ।

शिक्षा-संस्थानों में राष्ट्र बनता है, अतः आदर्शों का विषय नहीं है कि भारतीय मनीषा ने, प्रत्येक अतीत युग में, शिक्षा के क्षेत्र को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा तथा तत्कालीन शासन-व्यवस्था के नियंत्रण से उसे मुक्त रखा ।

सहस्रों वर्ष पूर्व की शैक्षणिक उपलब्धियों का आज क्या उपयोग है यह जिज्ञासा भी स्वाभाविक है । यह निर्विवाद सत्य है कि हम अतीत युगों के जीवन और परिस्थितियों की आवृत्ति नहीं कर सकते । जब एक बीते क्षण, एक तीव्र संवेदन तक को लौटा लेना संभव नहीं है, तब सुदूर अतीत में जीने का प्रश्न कल्पनातीत है ।

परन्तु मानव के अतीत, वर्तमान और भावी संवेदनों को संभालने वाला समय तो अखंड ही रहता है ।

विकास-क्रम में एक युग का मानव समूह अपने पूर्वजों से जो उत्तराधिकार पाता है, वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि दृष्टियों से विविध और उपयोग के परिप्रेक्ष्य में चिर नूतन ही रहता है । जब अतीत युगों के दर्शन, कला, साहित्य आदि भिन्न वर्तमानयुगीन परिस्थितियों में जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, तब उन्हें जन्म देने वाली दृष्टि और सामाजिक संस्थाओं का ज्ञान भी उपयोगी हो सकता है ।

विकास-क्रम में यह सत्य और भी स्पष्ट हो जाता है । व्यापक अर्थ में विश्व का समस्त मानव-समूह एक परिवार है, परन्तु विभिन्न प्राकृतिक परिवेशों में विकास के कारण वह वर्ण, आकृति, संस्कार, जीवन-पद्धति आदि की दृष्टि से अनेक जातियों में विभाजित हो गया है ।

अपने विशेष भौगोलिक परिवेश से रागात्मक लगाव, संस्कार-क्रम में उत्पन्न जीवन-पद्धतियों की समानता आदि ही किसी मानव-समूह को राष्ट्र की सजा से अभिषिक्त करते हैं । नदी-पर्वत-समतल मात्र राष्ट्र नहीं बन जाते और न मानवों की विषम भीड़ ही राष्ट्र कहलाने की अधिकारिणी हो जाती है ।

वस्तुतः राष्ट्र शब्द से प्रसूद्ध चेतन, किन्तु स्वेच्छया एकताबद्ध मानव-समूह और उसका परिवेश दोनों का बोध होता है ।

‘माता भूमि पुत्राऽहम् पृथिव्या’ (अथर्व०) से लेकर ‘मुकुट शुभ्र हिम-तुषार’ तक जो भाव-समुद्र लहरा रहा है उसका तट बनाने की क्षमता किसी युग को प्राप्त नहीं हो सकी है ।

अनेक बौद्धिक उपलब्धियों के संचय में भी यही सत्य है । वास्तव में किसी

भी युग में कोई जीव अपने-आपको धोई-पोछी स्लेट के समान नहीं प्रस्तुत करता। उसमें अनिवार्यतः अनेक विगत युगों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक आदि सस्कारों के चिह्न रहना स्वाभाविक है। जिन सस्कारों की रेखाओं में मानव प्रगति का इतिहास निबद्ध है, उन्हें नवीन युग की परिस्थितियों से जोड़ कर हम अपने युगांतर-दीर्घ विकास की स्वर्णिम शृंखला में नवीन कड़ी जोड़ते हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं।

माला में चाहे मोती गुफित हो चाहे फूल, उन्हें संभालने का कार्य सूत्र ही करता है, जिसके टूटने पर बहुमूल्य और सुंदर सब कुछ धूल में बिखर जाता है।

अपनी धरती की गहराई में जड़ें रखने वाले पौधे किसी भी दिशा से आने वाले पवन के उष्ण या शीतल झोंकों से श्वेत लेने हैं। वर्षा की झड़ी और कठिन धूप को भेंट लेते हैं। यदि वे अपनी धरती का आधार छोड़ दें, तो न मलय-समीर उन्हें जीवित रख सकेगा और न वर्षा का अमृत जल। धनुष पर बाण को संधान कर जब तक उसे पीछे बान तक नहीं खींचा जाता, तब तक उससे नक्ष्यवेध संभव नहीं होता। पीछे का पग धरती पर जमाये बिना न आगे का उठाया जा सकता है और न एक डग आगे बढ़ा जा सकता है।

गत युगों की उपलब्धियों के प्रति उपेक्षा भाव को, अपनी भावी प्रगति की शपथ मानकर हमने अपने-आपको दिग्भ्रात ही किया है, क्योंकि बिना वर्तमान के अतीत गतिहीन है और अतीत से विच्छिन्न वर्तमान दिशा निर्देशहीन हो जाता है।

मानव के सूक्ष्म मनोजगत् से लेकर उसके प्रत्यक्ष कर्म तक जो परिष्कार-क्रम आदिम युग से चलता आ रहा है, वही मानव-संस्कृति है और यह संस्कृति निर्मित वस्तु न होकर निर्माण-परंपरा ही रहती है।

ऐसी स्थिति में एक युग की उपलब्धियाँ दूसरे युग में सक्रमित होकर ही सार्थकता पाती हैं। इस संक्रमण-क्रम के टूटने पर अनेक संस्कृतियाँ तिरोहित हो चुकी हैं, यह तथ्य इतिहास से प्रमाणित हो सकता है।

संस्कृति का स्वभाव मूल्यात्मक या घनात्मक ही होने के कारण उसे निपे-घातमक या श्रृणात्मक रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता। हम किसी भी सांस्कृतिक मूल्य को उसके अभाव में नहीं अनुभव करते। उदाहरण के लिए, हम सामाजिक मूल्य के रूप में सत्य का अनुभव कर सकते हैं, परंतु उसका अभाव, असत्य हमारे अनुभूतिक्षेत्र से बाहर बुद्धि का विषय है।

संस्कृति के विकास-क्रम में प्राप्त मूल्य, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक आदि विविध क्षेत्रों में विभाजित होकर भी व्यक्ति और समष्टि की दृष्टि से एक सदिलिप्त और व्यापक प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

इन जीवन-मूल्यों के साथ अनेक मान्यताओं तथा प्रयोगजनित रूढ़ियों का

समयित हो जाता अतिवायं है। अतः प्रत्येक युग में नवीन परिस्थितियों की कमीटी पर सारे उतरने पर ही ये श्रमों मूलरूप में प्रतिष्ठित हो पाते हैं।

भारत विमान और पुरातन महादेव है और उमकी सत्यसुती सत्यसुती सगोत्री के संसुत में समुद्र तक प्रवाहित सगा के समान और घाराओं की समेटनी रही है। उमे अदकार के तेरे अनेक प्रहर पार करने पडे है, जिनमे जिनो शीघ्र-मृत्यु तथा मायगा की परीक्षा मे अधिन आवश्यक उमका सरक्षण था। सगितामन वही मृत्युवार को गया, वही मृत्युहीन सरक्षित हो गया।

राष्ट्र-जीवन के जिन क्षेत्रों को कुछ मूल्यवान् जाना पडा है, उनमे शिक्षा का क्षेत्र विशेष स्थिति रखा है। शिक्षा जिनो भी राष्ट्र का मेददक वही जा सकती है। यह अनौन युगों को उत्तमस्थियों तथा वर्तमान परिस्थितियों का मधि स्थान ही नहीं, ऐसा भासोत भी है जिनमे अविष्य की रूपरेखा गिरनी और स्पष्ट से स्पष्टतर होनी पानी है।

जिन प्रकार तरीर में हृदय मय अगा को स्वस्थ रख पट्ट्या का कार्य करना है, उमी प्रकार शिक्षाक्षेत्र समाज, शासन, विज्ञान, कला साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में नवीन प्रतिभाएं भेजता है। यदि शिक्षाक्षेत्र द्वारा पट्ट्याया गया नवीन रख स्वस्थ है, तो सभी क्षेत्र स्वस्थ और विद्याशीन रहते है। यदि नवीन रख मे व्यापियों के बीटानु प्रवेश कर जाते हैं, तो राष्ट्र-जीवन के सभी क्षेत्र सांघातिक रूप में पीडित हो उठते हैं।

प्रबुद्ध राष्ट्र की जीवन-सदृति में शिक्षाक्षेत्र का उत्तरदायित्व विद्वानों, पितरों और आचार्यकुलों पर रहता है।

शिक्षाक्षेत्र अत गठन में दो परस्पर पूरक पक्ष अनिश्चय हैं—ज्ञातम्य, विषय या विद्या और उमका संप्रेषण या शिक्षा और उमका सहिगंठन में गुरु, शिष्य, पाठ्यक्रम और परिवेश अन्योन्याश्रित महत्त्वपूर्ण स्थिति रखते हैं।

शिक्षा-वमल मे इन पट्टसो को संप्रवित रखनेवाला बुद्धमन भाषा है, जिससे अभाव में सब दल विभर जाते है।

भारत के सत्यदर्शी चिंतकों ने जीवन के जिनो भी क्षेत्र या सत्य को हानी मावपानी से गठित नहीं किया है, जिनो शिक्षाक्षेत्र के गठन में मिलती है। कारण स्पष्ट है। इस क्षेत्र में मानव का दुहरा निर्माण होता है। अन्य क्षेत्रों में जब यह पट्टता है, तब बुद्धि और हृदय से प्रबुद्ध और संवेदनशील सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित होने योग्य बन चुकता है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में यह समस्त अनगड पनुवृत्तियों को समयित तथा मानवीय सभावनाओं को साकार बनाने का कठिन कार्य होता है, उस क्षेत्र को उपेक्षा मानव-समाज को बर्बरता की ओर मोटा देती है।

जीवन के गहन मूल्यकोष को भारतीय सनीपा ने विद्या नाम से अभिहित

किया था। वेद के समान ही विद् (जानना) धातु से बनी यह सज्ञा, समय के बहुत से आधी-तूफान पार कर आई है और मानव द्वारा अनेक सदुपयोग-दुरुपयोग के अमिट चिह्नों से चित्रमयी है। परंतु तत्त्वतः यह जीवन की ऐसी मूल्यारत्मक उपलब्धियों का प्रतीक रही है, जो मानव-संस्कृति की युगांतर दीर्घ यात्रा में भी धूमिल न होकर अपनी दीप्ति से पथ को आलोकित करती रही हैं।

विद्या का लक्ष्य व्यष्टि और समष्टि दोनों को सामजस्य-सूत्र में बाध कर संपूर्णता देना है तथा शिक्षा हृदय और बुद्धि के परिष्कार और समन्वय द्वारा मानव को लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करती है।

ज्ञान से अधिक कठिन उमकी संप्रेषणीयता है, अतः शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान की दोहरी और रहस्यमयी प्रयोगशाला बन जाता है। उसे व्यक्ति के अतर्जगत को संपूर्ण तथा मुक्त विकास भी देना पड़ता है और उसे सर्गाष्टि से सामजस्य-पूर्ण बंधन में बाधना भी पड़ता है। उमें मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों को परिष्कार और दिशा भी देनी पड़ती है और उमके बहिर्जगत् की समस्याएँ भी सुलझानी पड़ती हैं।

इसी कारण चित्तको ने विद्या को परा और अपरा या परमार्थकरी और अर्थकरी में विभाजित कर, उसे लक्ष्यत स्पष्ट से स्पष्टतर करना उचित समझा।

परा विद्या मानव के आत्मबोध तथा सहजात प्रवृत्तियों के ऊर्ध्वगमन का माध्यम है और अपरा उसको लौकिक स्थिति में विकास का साधन।

परमार्थकरी विद्या से मानव की मानसिक वृत्तियों के उदात्तीकरण का बोध होता है और अर्थकरी उसे लौकिक दृष्टि से जीवन-यापन के लिए उपयुक्त और सतुलित विकास देती है।

मानव प्रकृति तत्त्वतः नैतिक है। हम पशु-विशेष को बल से विवश करके अपना इच्छित आचरण सिखा सकते हैं, परंतु उस क्रिया की असह्य आवृत्तियाँ करके भी पशु न उसमें सुख का अनुभव करने में समर्थ है और न स्वतंत्र होने पर वंसा आचरण करेगा। सर्कस में अनेक प्रकृत्या हिंस्र-अहिंस्र जीव साथ रह कर सिखाये हुए आचरण के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु इससे उनकी वृत्तियों में कोई अंतर नहीं आता।

मानव की विकास गाथा इससे भिन्न है। उसमें तत्त्वगत नैतिक प्रकृति के जागरण के साथ एक असौम्य आनंद उद्बलित हो उठता है, जिसे हम आस्था, सौंदर्यबोध और समष्टि में अपने-आपको विसर्जित करने की इच्छा कह सकते हैं। समष्टि के साथ अनुभव करने, विचार-विनिमय करने और उससे एकात्म होने की इच्छा ही, मानव जाति के धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि की जननी रही है।

एकोऽहम् बहुस्याम—मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊंगा। ब्रह्म के लिए कहा गया

यह वाक्य मनुष्य के लिए भी सत्य है। यह इच्छा मनुष्य के सीमित व्यक्तित्व की समष्टिगत असीमता है।

शिक्षा अपने सीमित अर्थ में जीवन के लिए तैयारी मानी जा सकती है, परंतु व्यापक अर्थ में वह जीवन का चरम उद्देश्य ही रहेगी। इन सीमित और व्यापक अर्थों में कोई अंतर्विरोध समभव नहीं है, क्योंकि सीमित व्यापक अर्थ में अंतर्भूत रहता है। मनुष्य व्यापक समष्टि का अंग और विश्व-नागरिक होकर भी किसी देश-विशेष का नागरिक और समाज-विशेष का अंग होता है और इस नाते विशेष कर्तव्यों तथा अधिकारों से घिरा रहता है। विसंगति तब उत्पन्न होती है, जब शिक्षा निरुद्देश्य तैयारी मात्र रह जाती है, क्योंकि वह परिणाम-हीन क्रियाशीलता है।

जिस प्रकार नीव के कपन के साथ समस्त भवन हिल जाता है, उसी प्रकार उद्देश्य या लक्ष्य की अस्थिरता से शिक्षा के सभी सोपान अस्थिर हो जाते हैं।

शिक्षा के उच्च स्तर पर लक्ष्यहीनता का परिणाम अधिक साघातक हो, यह स्वाभाविक है।

शैशव में व्यक्तित्व अविकसित रहता है, अतः लक्ष्य के प्रश्न अनदेखे कर दिये जाते हैं, विद्योदायस्था में व्यक्तित्व निर्माण के क्रम में रहता है, अतः उसकी परिणति के संबंध में विचार नहीं किया जाता, परंतु कर्मक्षेत्र के प्रवेश-द्वार पर जब शरीर से अस्वस्थ और मन से हताश तरुण पहुंचता है, तब जीवन और समाज दोनों की स्थिति सकटापन्न हो जाती है।

हमारे महादेश को पराजय की तमिस्ता के दीर्घ युग पार करने पड़े हैं और इस अभिशाप्त यात्रा में उसने जीवन के लिए आवश्यक पाथेय का जो मूल्यवान अंश खोया है वह शिक्षा का दर्शन है। यह निर्विवाद है कि कोई भी विजेता विजित देश पर शासन-मात्र का अधिकार प्राप्त कर सतुष्ट नहीं होता। वह विजित पर सांस्कृतिक विजय भी चाहता है, जिसका सहज पर अव्यर्थ माध्यम शिक्षा ही रहती है। परशासित देश में शिक्षा का उद्देश्य बढ़ी नहीं हो सकता, जो स्वशासित देश के लिए आवश्यक है।

स्वशासित देश को अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि मूल्यात्मक निधिओं के लिए उपयुक्त उच्चराधिकारियों का निर्माण करना होता है और परतंत्र देश के परशासकों को अपनी स्थिति यथावत बनाए रखने के लिए आवश्यक सहायक। दोनों स्थितियों में शिक्षा लक्ष्यत, कार्यंत और परिणामतः भिन्न हो तो आश्चर्य नहीं।

भावी नागरिक के व्यक्तित्व का ऐसा विकास, जिसमें उसका स्वाभिमान, राष्ट्र-भावना, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की इच्छा आदि विशेषताएं विकसित हो सकें, स्वतंत्र देश के लिए उपयोगी हो सकता है। किंतु विजेता शासक वर्ग के

लिए शासितों की नई पीढ़ी का ऐसा विकास अस्त्र-शस्त्रों से अधिक शत्रुजनक है, क्योंकि वह विकास विजेता की निर्णीत जय को अनिर्णीत करने और उसे पराजय में बदलने की शक्ति रखता है।

भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत भी शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य और कार्यत परिवर्तन नहीं किया जा सका, परिणामतः आज निर्माण की बेला में वही क्षेत्र अधिक अशांत, अस्थिर और विघटनशील है।

आधुनिक युग में छात्र वर्ग का असतोष विद्वद्-व्यापक हो गया है, परंतु उसके देशज कारणों और परिस्थितियों में अंतर है। जिन देशों में शरीर मुक्त है, पर मन बंधन में है वहां भी, और जहां मन मुक्त है, पर शरीर पर कठिन नियंत्रण है वहां भी शिक्षा का क्षेत्र ही हलचलो का केंद्र है। कहीं सामाजिक बंधन टूटते हैं, कहीं मानसिक नियंत्रण शिथिल होता है, किंतु टूटने के क्रम में निरंतरता है।

स्पष्ट ही मानव के अतर्जगत् में कुछ नवीन जन्म ले रहा है, जिसकी पीड़ा नई पीढ़ी को अधिक अशांत कर रही है। सामान्यतः यह पीड़ा देश-विशेष की परिस्थितियों से उसी प्रकार रग-रूप पाती है, जैसे काच के रंगीन पात्र में भरा जल अपने आधार से ही आकृति और रंगमयता ग्रहण करता है।

कभी-कभी इस नियम में अपवाद भी देखा जा सकता है। अमेरिका जैसे भौतिक दृष्टि से सर्वसुविधा-संपन्न और वैज्ञानिक दृष्टि से अग्रगामी देश के पचास लाख से अधिक उच्चस्तरीय छात्रों की अशांति, केवल भौतिक सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न नहीं बही जा सकती।

तत्त्वतः आज का युग प्राचीन और नवीन जीवन-मूल्यों और मान्यताओं की सन्नति का, टकराहट का है।

विज्ञान ने एक नवीन प्रकृति धर्म की प्रतिष्ठा की है, जिसके कारण विश्व एक हो गया है। राजनीतिक विचारधारकों ने एक नये नीतिशास्त्र का निर्माण किया है, जिसके कारण विश्व लघु खंडों में विभाजित होना जा रहा है। दोनों में संगति या समन्वय की स्थिति अभी उदरन्न नहीं हो सकी है। उसे जीवन का उच्चतर लक्ष्यबोध ही समझ कर सकता है, जिसकी अभी खोज ही आरंभ नहीं हुई।

जहां तक भारत के छात्रवर्ग का प्रश्न है, वह सामाजिक ही नहीं, मनो-वैज्ञानिक सन्नति के मध्य में है। उसके व्यक्तित्व की दृष्टि और अंतःस्थिति इतनी विघटित है कि उसमें निर्माण की प्रेरणा जगाना दुष्कर नहीं तो कठिन अवश्य है।

आज के छात्र या स्नातक ने स्वतंत्रता के आलोक में आखें खोली थीं और जीवन की धड़कन के साथ ही भारत का जयगान सुना था। उसकी आशाएँ, कल्पनाएँ पूर्ण पीढ़ी से भिन्न हो, तो इसे स्वाभाविक ही माना जायेगा। पिछली



पीढ़ी ने दासता का अभिशाप भेला था; उसकी आशाओं और कल्पना में सफलता का अंतिम बिंदु और एकमात्र केंद्र विदेशियों के शासन से मुक्त होना मात्र था। स्वतंत्र होने के उपरांत पूर्व केंद्रों से मुक्त दृष्टि कुछ प्रसन्नता और कुछ कुतूहल से नवीन केंद्र की खोज में ही भटकती और धकती रही। लौह-बेडिया कट जाने पर भी पैर पर उसके चिह्न नहीं कट जाते और वे दाग ही प्रायः मुक्त बंदी की बधनजनित वेदना की कथा बहते रहते हैं। पिछली पीढ़ी के साथ भी यही घटित हुआ।

उसने न मानसिक दासता से मुक्ति पाई, न मुक्ति पाने को आवश्यक समझा। इसके विपरीत वह मुक्ति के प्रमाण में अतीत बधन के चिह्नों के प्रदर्शन करती रही। नवीन पीढ़ी ने इस स्थिति को पहले कुतूहल से देखा, फिर जिज्ञासा से और अंत में विरोध व्यक्त किया।

छात्र वर्ग के असंतोष के अनुमानित कारण कई हैं। यह भी कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अज्ञाति का कारण वे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं, जिनके परिवारों में शिक्षा-संबंधी कोई सस्कार नहीं था और जो अब तक शिक्षा से वंचित थे। छात्र-आंदोलन का कारण, शिक्षा के उपरांत जीविकोपार्जन का कोई साधन प्राप्त न होना है, यह विश्वास भी मकारण है।

राजनीतिक दलों की प्रेरणा छात्रों के असंतोष के मूल में है, यह भी प्रचलित मान्यता है। जीवन की मान्यताओं और मूल्यों में परिवर्तन ही छात्र-वर्ग को अज्ञात कर रहा है, यह भी चिंतकों का निष्कर्ष है।

इन सभी अनुमानों में आशिक सत्य है, संपूर्ण नहीं, क्योंकि ऐसे सामूहिक असंतोष अनेक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, अतः बाह्य परिस्थितियों की विषमता के परिणाम होते हैं। ये विषमताएँ तत्काल विस्फोटक रूप नहीं पा लेती। जैसे भूकंप के पहले पृथ्वी के गहरे अंतराल में ज्वालानल की विषम स्थितियाँ उत्पन्न होकर बल प्राप्त करती रहती हैं, वैसे ही मानव-समष्टि के असंतोष की कथा है। उसका कारण न एक स्थिति है, न एक विषय। लोकतंत्र की सफलता का आपार शिक्षा है, जिसके अभाव में जनसमूह को प्रबुद्ध करना संभव नहीं होगा। इस दृष्टि से भारत में, जिसमें शिक्षा की परंपरा प्राचीन और उज्ज्वल रही है, शिक्षा के प्रसार की दिशा में अधिक प्रयत्न नहीं किया गया है।

स्वतंत्रता के बीस वर्षों में शिक्षा की जो प्रगति हुई है, उसमें किसी प्रदेश में विद्यार्थियों की संख्या में ६ प्रतिशत, किसी में ८ और किसी में ९ प्रतिशत वृद्धि हुई है। समय का विस्तार देखते हुए और अन्य स्वतंत्र देशों की शिक्षण-व्यवस्था की तुलना में यह वृद्धि आशाजनक नहीं कही जा सकती। अब भी ७७ से ८८ प्रतिशत के लगभग शिक्षा पाने योग्य किशोर वर्ग उससे वंचित है। पिछड़े वर्ग से आने वाले और शिक्षा-सस्कार से रहित विद्यार्थी ही शिक्षा-

व्यवस्था में अराजकता के कारण हैं, यह धारणा भी सत्य से दूर है। वास्तव में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को दोहरा परिश्रम करना पड़ता है। उच्च वर्ग का विद्यार्थी कम शिक्षित और कम मेधावी होने पर भी संस्कृत और सभ्रात माना जाता है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को अपने-आपको संस्कृत कहलाने के योग्य भी बनाना पड़ता है और अच्छा विद्यार्थी भी प्रमाणित करना पड़ता है। उसे छात्र-वृत्ति-सबधी कुछ सुविधाएँ भी प्राप्त हैं और उत्तीर्ण होने पर आजीविका के लिए बहुत भटकना भी नहीं पड़ता। उसने अपने जीवन का स्वर भी इतना उन्नत नहीं बना लिया कि वह दुबंड़ हो जावे।

वालिकाओं के शिक्षाक्षेत्र में प्रवेश को भी ऐसी ही शका की दृष्टि से देखा गया था, क्योंकि उनकी युगांतर-शीर्ष दोहरी दासता में शिक्षा के संस्कार भी मिट गए थे। परंतु उन्होंने अपने सुविधा-संपन्न सहपाठियों में अधिक कठिन श्रम करके समता ही नहीं, श्रेष्ठता भी प्राप्त कर ली। वस्तुतः वर्तमान युग पीड़ितों और गिरे हुएों का है और यह वर्ग जब उठना है तब उसका बैग शिलाएँ तोड़कर निकलने वाले निर्भर के समान अप्रतिहतगति होता है।

शिक्षा के उपरांत भी आजीविका के प्रश्न का समाधान न पाना और इस स्थिति के लिए समाज द्वारा उसी को शोषी ठहराया जाना, विद्यार्थी की उद्-भ्रांति का विशेष कारण है। पहले प्राविधिक शिक्षा के उपरांत उत्तीर्ण विद्यार्थी को बेकारी का अभिशाप नहीं भेलना पड़ता था, परंतु अब वे भी सैकड़ों की संख्या में निष्फल भटकाव की स्थिति में हैं।

भविष्य के मंच में आद्वैत किए बिना विद्यार्थी वर्ग के असतोष का उप-चार न संभव है, न सुकर।

जहां तक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रश्न है, उससे न आज के विद्यार्थी को अपरिचित रखा जा सकता है, न दूर, क्योंकि वे भावी शासन-व्यवस्था-सबधी स्वप्नों की प्रयोगात्मक कसौटी हैं। परंतु यदि विद्यार्थी की प्रतिभा और उसके कृतिरत्न को उसकी रुचि के अनुसार दिशा और लक्ष्य प्राप्त हो सके तो वह राजनीति में सत्रिप्त भाग लेने को आवश्यक न समझेगा। यह प्रश्न विद्यार्थी-जीवन में नहीं, कर्मक्षेत्र में प्रवेश के अवसर पर उठेगा और तभी उसका समाधान समाज के लिए हितकर होगा। उससे पहले विद्यार्थी की रुचि की दिशा और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक साधन ही महत्वपूर्ण रहते हैं। यदि किसी की रुचि या प्रवृत्ति की दिशा विज्ञान या साहित्य या कला है और उसे अपनी सृजनात्मक शक्ति के विक्रम के लिए इच्छित अवकाश प्राप्त हो जाता है, तो वह सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में असमय प्रवेश को समय का दुरुपयोग ही मानेगा।

राजनीति के सघर्ष-क्षेत्र में जो व्यक्ति विद्यार्थी वर्ग का अस्त्र-शस्त्र के रूप में उपयोग करते रहते हैं, उन्हें भी समष्टि के हित में अपनी कार्यप्रणाली में

परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव हो सके, तो इस समस्या का समाधान सोजना सहज हो जाएगा ।

इन सब समस्याओं से बठिन समस्या शिक्षा के अत स्वरूप तथा माध्यम से संबध रखती है । मातृभाषा ही शिक्षा का उचित माध्यम हो सकती है, इस निष्कर्ष पर विश्व के सभी शिक्षाशास्त्री एकमत हैं ।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का प्रश्न मस्कृति से तथा राष्ट्र-भावना से संबद्ध रहता है, विशेषतः भारत जैसे महान देश के लिए, जो सांस्कृतिक दृष्टि से महान होने पर भी राष्ट्र की दृष्टि से पराधीन रह चुका है ।

मात्र उपयोगिता की दृष्टि से भी, भारत के भावी नागरिक के निर्माण में विदेशी भाषा बाधक ही सिद्ध होती है । हमारे विद्यार्थी वर्ग में ६० प्रतिशत अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और अधिकांश उक्त माध्यम से न किसी विषय को तत्काल समझ पाते हैं और न व्यक्त करने में समर्थ होते हैं ।

भाषा का संबध मानवीय सवेगों से, मन से, बहुत गहरा होने के कारण विद्यार्थी के व्यक्तित्व का जैसा सश्लिष्ट विकास अपेक्षित रहता है, वह असंभव हो जाता है । अपने-आपको व्यस्त न कर सकने की कुंठा से अधिक दयनीय कुंठा मननशील प्राणी के लिए अन्य नहीं हो सकती और जब इस मानसिक स्थिति की अभिव्यक्ति कर्म में होती है, तब यह स्वसात्मक प्रवृत्ति को ही प्रत्यक्ष कर सकती है ।

भाषा मानव के व्यष्टिगत व्यक्तित्व का भी अंग है और समष्टिगत व्यक्तित्व का भी । अतः उसे जीर्ण शीर्ण परिधान के समान उतार फेंकने का प्रयत्न असफल तो रहता ही है, वह व्यष्टि-समष्टि के संबध भी विषम कर देता है । सारे देश के लिए कभी किसी विदेशी भाषा को सीखना संभव नहीं होता, परंतु वह अपनी भाषा को जीवन के साथ ही ग्रहण कर लेना है ।

मानव की आदिम अवस्था का उल्लास, पीडा, विस्मय आदि घ्वनियों से जन्म पाकर भाषा उसके उदात्त और गूढ भावना-विचार तक जैसा विस्तार पा गई है, वह एक युग का कार्य नहीं है । अवश्य ही भाषा में परिवर्तन हुए हैं, परंतु वे नदी के मोड़ों के समान हैं नदी का अंत नहीं । तटों और तरंगों की नवीनता नदी की अबाध गति के लिए है, उसे खड-खड करने के लिए नहीं ।

‘अहं राष्ट्री सममनो वसूनाम्’ (मैं राष्ट्र की शक्ति हूँ, उसे समृद्धि से समुक्त करती हूँ) — ऋग्वेद के इस वाक्-परिचय का प्रमाण भारत से अधिक अन्य देशों ने दिया है, जिनकी भाषाप्रीति उनकी राष्ट्रनीति का आवश्यक अंग है ।

इजराइल जैसे छोटे देश ने हिब्रू जैसी कठिन और प्राचीन भाषा को, भाव-नात्मक दृष्टि से ही अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है । जापान जैसे लघु पर प्रबुद्ध देश ने विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्र के लिए भी अपनी भाषा का प्रयोग



## मातृभूमि देवोभाव'

आज के युग में विद्यार्थी उम प्रकार अपने गुरु का मानिष्य नहीं पाता, स्नेह तथा वाग्मन्य नहीं पाता जैसा प्राचीन काय में पाता था, और निर्देश देने के लिए भी गुरु के पास कुछ नहीं है। आज की स्थिति मुगद नहीं है। हमारे विद्यार्थी वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे—हम नहीं जानते। भ्रष्टाचार ने जो घात मचा, आपको योग्यता दी। अब आप भटन करते हैं। आप अपना कर्मक्षेत्र बना सकते हैं। लेकिन एक बात आज भी हम देंगे। वह जो मज की उवाता हुआ करती थी, उसके प्रतीक रूप में आपके हृदय में हम वह उवाता जगना देना चाहते हैं जो जीवन की होती है, जो वास्तव में जीवन को गढ़ती है, नया जीवन देती है। यह ज्ञान की उवाता हम अपनी समस्त शुभकामनाओं के साथ आज भी आपको दे सकते हैं।

हमारा अत्यंत प्राचीन देश है और हमारी सस्कृति भी अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन सस्कृति वाले देशों के सामने समस्याएँ कुछ दूसरी हुआ करती हैं। जिनकी मध्यता कुछ ही युगों की है, कुछ ही वर्षों की है, नवीन है, उनके पास बहुत कुछ खाने बदलने को नहीं है और खाने बदलने से उतरी कुछ हानि भी नहीं होती। किंतु जहाँ प्राचीन सस्कृति होती है, वहाँ जीवन के कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, कुछ परीक्षित और हर नये युग में उनकी नय परीक्षा करनी पड़ती है, और फिर प्रयोग में उनको तपाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आज के युग में वे कहाँ ठहरते हैं। इस प्रकार इतने विनाश देस ने इतने युगों के उपरान्त जिन मानवीय मूल्यों की स्थापना कर उनकी परीक्षा की, उनका प्रयोग किया, उनको लेकर ही आप किसी कर्मक्षेत्र में जा सकते हैं। उन्हें एकाएक बदला नहीं जा सकता।

आज का कर्मक्षेत्र कठिन है, विविध है, निश्चित नहीं है। हमारा वर्तमान समाज जाति-उपजाति, समता-विषमता में विभाजित है। हमारा धर्म अध-विद्वान्म से प्रसिद्ध है। हमारी राजनीति स्वार्थ में विभाजित है। हम केवल

विभाजित ही विभाजित हैं। तब भी मैं यह विश्वास धरती हूँ कि किसी युग का सबसे बड़ा निर्माण उसका विद्यार्थी है। किसी युग का सबसे बड़ा बसत उसका तारुण्य है, उसकी नई पीढ़ी है। जब वह पराजित होती है तो सब कुछ पराजित हो जाता है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। यदि आप निराशा हो, आप कहें कि समाज में हमारा स्थान नहीं है, कर्मक्षेत्र में हमारा स्थान नहीं है, राजनीति में हमारा कोई स्थान नहीं है, तो मैं आपको यही उत्तर दूंगी कि आप स्थान बनाइए। कोई नदी जो हिमालय के हृदय से निकलती है, चाहे बड़ी या छोटी धारा में निकले, शिलाओं से वह मार्ग नहीं मांगती। क्या उसने कभी कहा है कि घाट बनाइए, मगरमर के या सोने के, चांदी के? उसने यह कभी नहीं कहा। वह शिलाओं को पार करती हुई, अपने उच्छल वेग में सब पार करती हुई चलती है और उसका नियम है कि तट वह स्वयं बनाती है। इसी प्रकार प्रत्येक पीढ़ी अपना मार्ग आप बनाती है। लेकिन अपनी मर्यादा भी बनाती है। जो नदी समुद्र से हिमालय को ओडती है वह नदी मर्यादा भी बनाती है। वह नदी तट भी बनाती है, तट उसे बने-बनाए नहीं मिलते।

आप यदि यह सोचते हैं कि फ़िम दिशा में जाए, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप जीवन की मर्यादा बनायें और जीवन को वहाँ पहुँचायें जहाँ हमारी संस्कृति का लक्ष्य था। यह स्थिति ऐसी है, विद्यार्थी का जीवन ऐसा है कि जिसमें तीन युग मिलते हैं, तीन पीढ़ियाँ मिलती हैं, तीन स्वप्न मिलते हैं। आप यह समझ लें कि अतीत में जो था वह आज आपको प्राप्त है, इस युग की जो परीक्षा है, प्रयोग भी स्थिति है, वह भी आपको प्राप्त है। भविष्य का जो स्वप्न है, वह भी आपके सम्मुख है। आपका उत्तराधिकार एक प्रकार से त्रिगुणात्मक है। तीन प्रकार का है। आपके अतीत में जो मूल्य थे, जीवन के जो मूल्य थे, उनको नये युग में परीक्षित करके भविष्य का चित्र बना लें तो निश्चित रूप से आप अपने देश को अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। हमारे यहाँ शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण की विधि है। शिक्षा का अर्थ है—सिखलाना। लेकिन हम सिखलायेंगे क्या? इसके लिए हमारे यहाँ शब्द है—विद्या। विद्या को शिक्षा के माध्यम से प्रेषणीय करते हैं हम। और विद्या है वह ज्ञातव्य, वह विषय, जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ मनीषियों ने इस विद्या को, अर्थकरी और परमार्थकरी, दो भागों में बाटा है। अर्थकरी विद्या वह विद्या है जो समाज में आपको उपयोगी बनाती है, जो आपको जीवन की आजीविका की सुविधाएँ देती है, जिससे आप कर्म के क्षेत्र में, गाँव में, नगर में, राष्ट्र में अपना स्थान बनाते हैं और परमार्थकरी विद्या वह विद्या है जिससे आप समष्टि से जुड़ते हैं। उसमें मानवीय मूल्य हैं, जिससे आपका हृदय बनता है, आपकी बुद्धि बनती है, आप उदार बनते हैं, स्नेहशील बनते हैं, सद्भाव एक

पूजीवाद है जो अर्थ को कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत तब ही सीमित करना चाहता है। दोनों मिलकर हमारे बुद्धिजीवी को, हमारे विद्यार्थी को कभी यहाँ ले जाते हैं, कभी वहाँ। विद्यार्थी को सब प्रकार की भित्तियों से ऊपर उठना चाहिए। भित्तियाँ वास्तव में पृथ्वी पर उठाई जा सकती हैं, आकाश के समान मुक्त रहें तो वे वास्तव में मिट जायेंगी, क्योंकि ये केवल कल्पना हैं, केवल काल्पनिक भित्तियाँ हैं।

मनुष्यमात्र सब जगह समान है, सब जगह पीड़ित है, सब जगह अभाव से ग्रस्त है। हमारे यहाँ कहा गया है—'मा विद्या या विमुक्तये'। वह विद्या है जो मुक्ति के लिए है और मुक्ति किसी व्यक्ति की नहीं है। यह मुक्ति बुद्धि की मुक्ति है, हृदय की मुक्ति है, विचारों की मुक्ति है। यह मुक्ति उच्छ्रूलता नहीं है। निर्माण के लिए जो मुक्ति चाहिए वही यह मुक्ति है। उम मुक्ति की कामना करें।

और वास्तव में आपका पथ प्रशस्त है। आप इसकी चिन्ता न करें। भविष्य तो उज्ज्वल है ही, यदि आप अपने नैतिक बल को एकत्र कर लें।

आज के अवसर पर मैं अधिक आपसे क्या कहूँ? आपके जो शिक्षक हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि वे इतना वास्तव्य दें कि आपको सारे अभाव भर जायें, इतना स्नेह दें इस पीढ़ी को कि ये बंध जायें। बंधन तो हृदय का बंधन है, बंधन तो भावना का बंधन है। और कोई बड़ा बंधन मनुष्य को नहीं बाधता, और सारी जड़ों मनुष्य तोड़-फोड़ दे, लेकिन बड़ी रेशमी कोमल जान पड़ने वाली स्नेह की जड़ों वह नहीं तोड़ पाता। उसीसे आप उसे बाधें। आपका शिक्षक, आपका आचार्य आपको उसी प्रकार से बाधे और आप श्रद्धा से, स्नेह से, उसी प्रकार बंधें। यदि यह बंधन किसी तरह सफल हो सके तो इस देश का भविष्य कभी अधकारमय नहीं हो सकता। अधकार में मेरा विश्वास नहीं। अधकार होता तो बहुत है। अधकार विस्तार से तो होता है परन्तु उससे एक दीपक भी सघर्ष कर सकता है। एक छोटे-से दीपक को भी अधेरा नहीं निगल पाता, इसलिए अधकार की चिन्ता न करें। आपकी दृष्टि में ऐसा आलोक होना चाहिये कि आप उस पथ को आलोकित कर सकें, प्रशस्त कर सकें।

आपने अभी प्राचार्य से सुना—मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ूँगी और कहूँगी—मातृभूमि देवो भव। यह मातृभूमि भी आपकी देवता हो। आज के युग में यही देवता आपको चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस सुंदर देश को, इस महान सस्कृति को आप सुरक्षित रखें, आपको देखकर कोई कहे कि यह भारतीय है, कोई माने कि जीवन के मूल्य इसके पास हैं तो आप बहुत बड़ा कार्य करेंगे। विज्ञान उपयोग में आ सके, यह मनुष्य के लिए बड़ी बात है। विज्ञान के पास शक्ति है किंतु अध-शक्ति है। वह कहामनुष्य को

से जायेगा, कहा नहीं जा सकता। आज वह निर्माण भी कर सकता है, ध्वंस भी कर सकता है। अणु से उसने अस्त्र-शस्त्र भी बना लिये हैं। वही अणु जो भयकर रोगों की चिकित्सा कर सकता है, संपूर्ण देश को नष्ट भी कर सकता है। वही हिरोशिमा का विध्वंस कर सकता है। नागासाकी का यह हाल कर सकता है। और वही बड़े गभीर रोगों की चिकित्सा भी कर सकता है। तो विज्ञान मनुष्य की सद्भावना से अनुशासित रहे। मनुष्य की शक्ति का प्रदर्शन न बने। आप यह तभी कर सकेंगे जब हृदय से, बुद्धि से समन्वयवादी हो जायें, इतने सहृदय हो जायें। तब विज्ञान की सारी शक्तियाँ आपको दिशा देंगी और कल्याण की ओर ले जायेंगी।



## भाषा का प्रश्न

भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत् भी ध्वनि-सकुल है तथा मानसरोवर जगत् को भी अपने सुखद-दुःखद जीवन-स्थितिभों को व्यक्त करने के लिए कठ और स्वर प्राप्त है।

चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह-अवरोह हैं, निदाघ के हरहराते बबडर से लेकर वासती पुलक तक लय की विविधतामयी मूच्छा है, उसे कौन नहीं जानता? पशु-पक्षी-जगत् के सम-विषम स्वरो की सत्यातीत गीतिमालाओं से भी हम परिचित हैं। परंतु ध्वनियों के इस सघात को हम भाषा की सज्ञा नहीं देते, क्योंकि हममें वह अर्थवत्ता नहीं रहती, जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सके।

मानव-कठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दाय-भाग में प्राप्त हुई थी, उन्हें उसने अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द-सकेतो में परिवर्तित कर लिया, जो विशेष ध्वनि-मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपायित कर सके और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक सस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार सग्रहित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के दृग्-क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतर देने को रहस्यमयी क्षमता पा सके।

मनुष्य की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षत भाषा ही होती है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को सग्रहित करने में भाषा एक स्निग्ध वितु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है, जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है।

मानव-व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अतर्जगत् के घात-प्रति-घात, अनुकूलता-प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असख्य जटिल-सरल, अतर-बाह्य प्रभावों में गल-ढलकर परिणति पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अतर्जगत् हमारी सपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द-संकेतों से इस प्रकार सप्रथित हो जाती है कि एक शब्द-संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है।

भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक-दूसरे से भिन्न हैं तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के सदृश में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है। ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें तो हम संभवतः बोलना न सीख सकें।

अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, जो समष्टि-भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसी से पाणिनि ने कहा है :

“आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्यान् मनोयुक्तविवक्षया।” (आत्मा बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है।)

मानव-व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। परंतु भाषा-संबंधी बाह्य भिन्नताएँ पर्वत की ऊँची-नीची अनमिल श्रेणियाँ न होकर एक ही सागर-तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती हैं। उनकी भिन्नता समष्टि की गति की निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती हैं; उसे खंडित करने का नहीं।

प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है, जिसकी एक धारा व्यावहारिक जीवन के आदान-प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव के बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवों के बुद्धि तथा हृदय के लिए सप्रेषणशील बनाती है और तीसरी अतः मलिला के समान किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका है।

हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधिनी नहीं। इसी से विशेष जीवन-पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य-बोध आदि के सबंध में तत्त्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने विघटनघर्माँ विवर्तनों में भी संश्लिष्ट रखा है।

परती का कोई सड नदी, पर्वत, समतल आदि का सघात कहा जा सकता है। मनुष्यों की आकस्मिक रूप में एकत्र भीड़ मानव-समूह की समाप्ति पर सकती है, परंतु राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमि-खंड विरोध की ही नहीं, एक सांस्कृतिक दायभाग के अधिकारी और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति में उस भूमि-खंड के हर वण को इस प्रकार उद्दामित कर दे कि वह एक चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और सयवान हो सके।

वहने की आवश्यकता नहीं कि हिमकिरीटिनी भारतभूमि ऐसी ही राष्ट्र-प्रतिमा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वामाविक है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है, जो रागिनी की सपूर्णता के लिए ही अपनी झुंकार में अन्य तारों से भिन्न है।

सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र-जीवन को समृद्ध किया है। उनकी देशगत भिन्नता, उनकी तत्त्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण सहार्थ है।

ज्वाला धरती की गहराई में कोमले को हीरा बनाने की क्रिया में सलग्न रहती है, और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप में मूल्यवान रहेंगे।

हम जिस सत्राति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण सवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है।

हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का ऐसा ग्रथि-बंधन हुआ है, जिसे न हम खोज पाते हैं न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है।

अतीत में हमारे देश ने अनेक अधकार के आयाम पार किये हैं, परंतु इसके चितको, साधको तथा साहित्य-स्रष्टाओं की दृष्टि के आलोक ने ही पथ की-सोमाओं को उज्ज्वल रखकर उसे अधकार में खोने से बचाया है।

भाषा ही इस आलोक के लिए सचारिणी दीपशिखा रही है।

पावका न सरस्वती।

## हमारा देश और राष्ट्रभाषा

हमारा हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ देश, आकार और आत्मा दोनों दृष्टियों में महान और सुंदर है। उसका बाह्य सौंदर्य विविधता की सामंजस्यपूर्ण स्थिति है और आत्मा का सौंदर्य विविधता में छिपी हुई एकता की अनुभूति है।

चाहे कभी न गलने वाला हिम का प्राचीर हो, चाहे कभी न जमने वाला अतल समुद्र हो, चाहे फिरणों की रेखाओं से सजित हरीनिभा हो, चाहे एकरम सून्यता ओढ़े हुए मरु हो, चाहे सावले भरे मध हो, चाहे लपटों में सास लेता हुआ बवंडर हो, सब अपनी भिन्नता में भी एक ही देवता के विग्रह को पूर्णता देते हैं। जैसे मूर्ति के एक अंग का टूट जाना संपूर्ण देव विग्रह को खंडित कर देता है, वैसे ही हमारे देश की अखंडता के लिए विविधता की स्थिति है।

यदि इस भौगोलिक विविधता में व्याप्त सांस्कृतिक एकता न होती, तो यह विविध नदी, पर्वत, बनों का सग्रह-मात्र रह जाता। परंतु इस महादेश की प्रतिभा ने इसकी अंतरात्मा को एक रसमयता में प्लावित करके इसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया है, जिससे यह आसमुद्र एक नाम की परिधि में बंध जाता है।

हर देश अपनी सीमा में विक्रम पाने वाले जीवन के साथ एक भौतिक इकाई है, जिससे वह समस्त विश्व की भौतिक और भौगोलिक इकाई से जुड़ा हुआ है। विक्रम की दृष्टि से उसकी दूररी स्थिति आत्मरक्षात्मक तथा व्यवस्थापरक राजनीतिक सत्ता में है। तीसरी सबसे गहरी तथा व्यापक स्थिति उसकी सांस्कृतिक गतिशीलता में है, जिससे वह अपने विशेष व्यक्तित्व की रक्षा और विकास करता हुआ विश्व-जीवन के विक्रम में योग देता है। यह सभी बाह्य और स्थूल तथा आंतरिक और सूक्ष्म स्थितियाँ एक-दूसरी पर प्रभाव डालती और एक-दूसरी से सममित होती चलती हैं।

एक विशेष भू-खंड में रहने वाले मानव का प्रथम परिचय, संपर्क और संपर्क अपने वातावरण से ही होता है और उसमें प्राप्त जय, पराजय, समन्वय

आदि से उसका कर्म-जगत ही संचालित नहीं होता, प्रत्युत अतर्जगत और मानसिक सस्कार भी प्रभावित होते हैं ।

व्यवस्थापरक शासन, विधिनिषेधमयी आधार नीति, दर्शन, साहित्य आदि एक अनत विकास-क्रम में बघकर ही एक विशेष भूमण्डल में स्पष्टित जीवन को विशेष व्यक्तित्व देते हैं । इस प्रकार राष्ट्र न केवल नदी, पर्वत, वन का समूह है, न शुन्य में स्थिति रखने वाले मानवों की भीड़ मात्र ।

एक स्वस्थ मानव जैसे पार्थिव शरीर से सूक्ष्म चेतना तक और प्रत्यक्ष कर्म से अदृष्ट सकल्प-स्वप्न तक एक ही इकाई है, वैसे ही राष्ट्र भी विभिन्न स्थूल और सूक्ष्म रूपों और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शक्तियों का एक जीवित गतिशील विग्रह है ।

परिस्थितियाँ क्षणजीवी होती हैं, परंतु उनके सस्कारों का जीवन अक्षय्य ही रहता है । किसी जाति या देश की राजनीतिक पराजय आकस्मिक हो सकती है, परंतु उसका सांस्कृतिक अवरोध उसकी जीवनी शक्ति के अवच्छेद होने पर ही संभव है ।

वैसे व्यापक अर्थ में मानव-संस्कृति एक ही है, क्योंकि मनुष्य के बुद्धि और हृदय का सस्कार-क्रम उसके जीवन के समान ही व्यापक और निश्चित है । परंतु जैसे विकास की दृष्टि से वृक्ष एक होने पर भी उसका आश्रय से लोहा लेने वाला तना, मद वायु के सामने झुकने वाली शाखाएँ, चिर चंचल पत्तल और झरझर बरसने वाले फूल, सबका अपना-अपना विकास है, जैसे शरीर एक होने पर भी अंगों का गठन और विकास एक रूप नहीं होता, वैसे ही मानव-संस्कृति एक होकर भी अनेकरूपात्मक ही रहेगी । उसकी विविधता का नष्ट होना उसके व्यक्तित्व का पापणीकरण है ।

हमारा देश अपने प्राकृतिक वैभव में जितना समृद्ध है, अपनी आंतरिक विभूतियों में उससे कम गुरु नहीं । उसकी मूलगत समानता, लक्ष्यगत एकता और इन दोनों को जोड़ने वाली प्रदेशगत विविधता की तुलना के लिए ऐसी नदी को खोजना होगा, जो एक हिमालय से निकलकर एक समुद्र में मिलने के पहले अनेक धाराओं में विखर-वटार प्रवाहित होती है । जैसे विभिन्न दूर पास के अंगों से रक्त का एक हृदय में आना और पुनः अनेक में लौट जाना ही शरीर की संचालक शक्ति है, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति बार-बार एक केंद्र-विन्दु को छू कर दूर प्रसार की क्षमता पाती रही है ।

रूपात्मक प्रकृति के प्रति हमारी रागात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति हमारी आस्था, समाज, देश और विश्व के विषय में हमारी नैतिक माय्यताएँ तत्त्वतः एक रही हैं, इसी से हमारे साहित्य, कला, दर्शन आदि अपनी विविधता में भी एक ही हैं ।

जहा तक भाषा का सबध है, प्रत्येक विद्वान जानता है कि ध्वनि पर कठ और कठ पर वातावरण का अनिवार्य प्रभाव एक भाषा मे भी एकरूपता नही रहने देता । हमारे विशाल राष्ट्र मे विविध भाषाओ की स्थिति स्वाभाविक है, परंतु किसी भी जीवित-जाग्रत देश की भाषा की तुलना उन सिक्को से नही की जा सकती जो बाजार मे क्रय-विक्रय के जड माध्यम मात्र हैं । वस्तुतः भाषा जीवन की अभिव्यक्ति भी है । सौरभ फूल का नाम और परिचय देता है, पर यह उसके विकास का व्यक्त रूप भी है जो मिट्टी, धूप, पानी आदि के संयोग से प्राप्त होता है । विशेष भू-भाग मे रहने वाले मानव समूह की भाषा उसके परस्पर व्यवहार का माध्यम होने के साथ-साथ उस समूह के जीवन, सुख-दुःख, आकर्षण-विकर्षण, स्वप्न-आकांक्षा, यथार्थ-आदर्श, जय-पराजय आदि की स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी है । अतः भाषा के साथ किसी जाति की संस्कृति भी अविच्छिन्न सबध मे बंधी रहती है, क्योंकि उसके अभाव मे भाषा के विकास की आवश्यकता नही रहती । यदि हमारी थोड़ी-सी स्थूल आवश्यकताएँ हैं, तो उन्हें व्यक्त करने के लिए इने-गिने शब्द-संकेत ही पर्याप्त होंगे ।

किसी हाट मे क्रय-विक्रय के कार्य के लिए आवश्यक शब्दों की संख्या अधिक नही होती, परंतु जब हम अपने भाव-जगत, विचार मयन, सौंदर्य-बोध आदि को आकार देने बैठते हैं, तब हमें ऐसी शब्दावली की आवश्यकता पडती है, जो भाव के हर हल्के रंग को व्यक्त कर सके, बुद्धि की हर क्षणिक और स्थायी प्रक्रिया को नाम दे सके, सौंदर्य की हर सूक्ष्म-स्थूल रेखा को आक सके । हम भाषा के अध्ययन से यह निर्णय कर सकते हैं कि उसे बोलने वाली जाति सांस्कृतिक दृष्टि से विकास का कौन-सा प्रहर पार कर रही है । संस्कृति या संस्कृति कोई निमित्त वस्तु न होकर विकास का अनवरत क्रम है । मनुष्य का प्रत्येक कर्म अपने पीछे विचार, चिंतन, संकल्प, भाव तथा अनुभूति की दीर्घ और अटूट परंपरा छिपाये रहता है, इसी से संस्कार-क्रम भी अव्यक्त और व्यक्त दोनों सीमाएँ छूता हुआ चलता है । भाषा संस्कृति का लेखा-जोखा रखती है, अतः वह भी अनेक संकेतों और व्यंजनाओं मे ऐश्वर्यवती है ।

हमारे देश ने आलोक और अधकार के अनेक युग पार किये हैं, परंतु अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति वह एकांत सावधान रहा है । उसमें अनेक विचारधाराएँ समाहित हो गईं, अनेक मान्यताओं ने स्थान पाया, पर उसका अविनित्व सार्वभौम होकर भी उसी का रहा ।

उसके अंतर्गत आलोक ने उसकी वाणी के हर स्वर को उसी प्रकार उद्भासित कर दिया, जैसे आलोक हर तरंग पर प्रतिबिंबित होकर उसे आलोक की रेखा बना देता है । एक ही उत्स से जल पाने वाली नदियों के समान भारतीय भाषाओं के बाह्य और आंतरिक रूपों में उत्सगत विशेषताओं का सीमित हो

जाना ही स्वाभाविक था। रूप अपने अस्तित्व में भिन्न हो सकते हैं, परंतु धरती के तल का जल तो एक ही रहेगा। इसी से हमारे चिंतन और भावजगत में ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें सब प्रदेशों से हृदय और बुद्धि का योगदान और समान अधिकार नहीं है।

आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति पा चुके हैं, राष्ट्र की अनिर्घायं विदोषताओं में दो हमारे पास हैं—भौगोलिक अराजकता और सांस्कृतिक एकता, परंतु अब तक हम उस घाणी को प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के निकट अपना परिचय देता है। जहाँ तक बहुभाषा-भाषी होने का प्रश्न है, ऐसे देशों की सख्या कम नहीं है जिनके भिन्न भागों में भिन्न भाषाओं की स्थिति है, पर उनकी अधिष्ठीन्न स्वतंत्रता की परंपरा ने उन्हें सम-विषम स्वरों से एक राग रच लेने की क्षमता दे दी है।

हमारे देश की कथा कुछ दूसरी है। हमारी परतंत्रता आधी-तूफान के समान नहीं आई, जिसका आरम्भिक संपर्क तीव्र अनुभूति से अस्तित्व को कपित कर देता है। वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मद ममीर के समान सास में समा-कर शरीर में व्याप्त हो गई है। हमने अपने संपूर्ण अस्तित्व से उसके भार को दुबंहर नहीं अनुभव किया और हम यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया कि कोई भी विजेता विजित पर राजनीतिक प्रभुत्व पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है, न स्थायी। घटनाएँ सस्वारों में चिर जीवन पाती हैं और सस्वार के अक्षय वाहक शिक्षा, साहित्य, कला आदि हैं।

दीर्घकाल से विदेशी भाषा हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम ही नहीं रही, वह हमारे विद्वान और संस्कृत होने का प्रमाण भी मानी जाती रही है। ऐसी स्थिति में यदि हमसे अनेक उसके अभाव में जीवित रहने की कल्पना से सिंहर उठते हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं। परलोक की स्थिति को स्थायी मानकर तो चिंतिता समय नहीं होती। राष्ट्र-जीवन की पूर्णता के लिए उसके मनोजगल को मुक्त करना होगा और यह कार्य विशेष प्रयत्न-साध्य है, क्योंकि शरीर को बाधने वाली शृंखला से आत्मा को जकड़ने वाली शृंखला अधिक दृढ़ होती है।

आज राष्ट्र-भाषा की स्थिति के संवध में विवाद नहीं है, पर उसे प्रतिष्ठित करने के साधनों को लेकर ऐसी विवादें पैदा जगी हैं कि साध्य ही दूर से दूरतम होता जा रहा है। विवाद जब तक की सीधी रेखा पर चलता है, तब लक्ष्य निकट आ जाता है, पर जब उसके मूल में आशंका, अविश्वास और अनिच्छा रहती है, तब कहीं न पहुँचना ही उसका लक्ष्य बन जाता है।

आधुनिक युग में जब विज्ञान ने समुद्रों और पर्वतों का अंतर दूर कर एक-

देश को दूसरे के पास पहुंचा दिया है, जब अणुबम की अटक छाया में भी अमर मानवता जाग उठी है और जब घबस की लपटों के नीचे भी निर्माण के अकुर सिर उठा रहे हैं, तब हम अपने मनो की दूरी बढ़ाकर, सदेह के प्राचीर खड़े कर और विरोध के स्वरो में बोलकर अपनी महान परंपराओं की अवज्ञा ही करेंगे।

एक सुंदर स्पष्ट अनेक सुंदर स्वप्नों में समाकर जीवन को विराट सौंदर्य देता है, एक शिव सकल्प अनेक शिव सकल्पों में लीन होकर मनुष्य को विशाल शिवता देता है, एक निष्ठात्मय कर्म अनेक निष्ठात्मय कर्मों से मिलकर विश्व को अक्षय गति देता है। इसके विपरीत एक दुर्भाव अनेक दुर्भावनाओं में मिलकर जीवन को विरूप कर देता है, एक अविश्वास अनेक अविश्वासों के साथ मनुष्य को असत्य कर देता है और एक आघात अनेक आघातों को पवित्रबद्ध कर मनुष्यता को क्षत-विक्षत कर देता है।

हम जीवन को सौंदर्य और गति देनेवाली प्रवृत्तियों के साथ रहकर जिन प्रश्नों का समाधान करना चाहेंगे, वे स्वयं उत्तर बन जायेंगे।

जहां तक हिंदी का प्रश्न है, वह अनेक प्रादेशिक भाषाओं की सहोदरा और एक विस्तृत विविधता-भरे प्रदेश में अनेक देगज बोलियों के साथ पलकर बड़ी हुई है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही, बघेलखड़ी आदि उसकी धूल में खेलने-वाली चिर सहचरिया हैं। इनके साथ कछार और खेतों, मचान और भोपड़ियों, निजंन और जनपदों में घूम-घूमकर उठने उजले आसू और रगिन हसी का सबल पाया है।

साधकों ने अपने कमंडल के पूत जल से इसे पवित्र बनाया है। साम्राज्यवाद का स्वर्ण मुकुट न इसकी धूल-धूसरित उन्मुक्त अलकों को बाध सका है, न बाध सकेगा। दीपक की लौ पर सोने का खोल क्या इसे बुझा नहीं देगा?

जब राजतंत्र के युग में भी वह द्वार-द्वार समानता का अलख जगाती रही, तब आज जनतंत्र के युग में उसके लिए प्रसाद की कल्पना उसकी मुक्त आत्मा के लिए कारागार की रचना ही कही जायेगी।

हिंदी के प्रादेशिक और भारतीय रूप भी चर्चा के विषय बन रहे हैं। यह प्रश्न बहुत कुछ ऐसा ही है जैसे एक हृदय के साथ दो शरीरों की परिवर्तन।

हिंदी की विशेषता उसकी मुक्ति में रही है, इसका प्रमाण उसके शब्दकोश में मिल सकेगा। उमने देगज बोलियों तथा देशी-विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण करने में न कभी सकीर्णता दिखाई और न उन्हें अपना बनाने में दुविधा का अनुभव किया। परंतु विकसित, परिमार्जित और साहित्यवती भाषा का कोई सर्वमान्य रूप या मानदंड न हो, ऐसा संभव नहीं होना।

आज हिंदी में साहित्य-मृजन करनेवालों में कोई बिहार का मगही-भाषी है, कोई मधुरा का ब्रज-भाषी। परंतु बूढ़ेलेखड़ी बोलनेवाले राष्ट्रकवि मैथिलीशरण,



चैंसवाडो बोलनेवाले कविवर निराला और कुमाऊनी बोलनेवाले श्री सुमित्रा-नदनजी क्या समान रूप से वरद पुत्र नहीं कहे जाते ? यदि हिंदी को बिहारी हिंदी, अवधी हिंदी, बुंदेली हिंदी नहीं बनाया जा सकता, तो उसका कारण हिंदी का सश्लिष्ट रूप और मूलगत गठन है, जिसके बिना कोई भाषा महत्त्व नहीं पाती ।

अंग्रेजी भाषा-भाषी विश्व भर में फैले हैं, उनमें देशज सस्कार भी हैं, परंतु इससे अंग्रेजी का न सर्वमान्य गठन खंडित होता है और न उसे नये नामकरणों की आवश्यकता होती है । विश्व की सभी महत्त्वपूर्ण भाषाओं के संबन्ध में यह सत्य है । परिवर्तन भाषा के विकास का परिचय है, पर परिवर्तन में अतर्निहित एक तारतम्यता उसके जीवन का प्रमाण है । शिशु के वृद्ध होने तक शरीर न जाने कितने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का क्रम पार करता है, परंतु उसकी मूलगत एकता अक्षुण्ण रहकर उसे एक सज्ञा से घेरे रहती है । भाषा केवल सकेत-लिपि नहीं है, प्रत्युत उसके हर शब्द के पीछे सकेतित वस्तु स्पष्टित रहती है और प्रत्येक शब्द का एक सजीव इतिहास होता है । अतः एक जीवित भाषा का जीवन के साथ ही विकसित और परिमार्जित होते चलना स्वाभाविक है ।

भाषा भी गढ़ी जाती है, परंतु वह कुम्भकार का घट-निर्माण नहीं, मिट्टी का अकुर-निर्माण है । जिस प्रकार मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों को नये लक्ष्य से जोड़कर हम उसके अप्रत्यक्ष आदर्श और प्रत्यक्ष कर्म का निर्माण कर सकते हैं, उसी प्रकार भाषा की नैमगिक वृत्तियों से नये भाव, नई वस्तु, नये विचार जोड़कर हम उसे नये रूपों से ममृद्ध करते रहते हैं । हिंदी का प्राकृत से ब्रज-अवधी तथा उनसे खड़ी बोली तक आने का क्रम जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही अनायास ; क्योंकि जिस लोकहृदय के साथ यह विकसित हुई, उससे इसका धरती और बीज का-सा संबन्ध था, जिसमें एक देकर पाता है और दूसरा पाकर देता है ।

हिंदी अपना भविष्य किसी से दान में नहीं चाहती । वह तो उसकी गति का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए । जिस नियम से नदी नदी की गति रोकने के लिए शिला नहीं बन सकती, उसी नियम से हिंदी भी किसी महयोगिनी का पथ अवरुद्ध नहीं कर सकती ।

यह आकस्मिक संयोग न होकर भारतीय आत्मा की सहज चेतना ही है, जिसके कारण हिंदी के भावी कर्तव्य को जिन्होंने पहले पहचाना, वे हिंदी-भाषी नहीं थे । राजा राममोहन राय से महात्मा गांधी तक प्रत्येक सुधारक, साहित्यकार, धर्म-संस्थापक, साधक और चिंतक हिंदी के जिस उत्तरदायित्व की ओर सकेत करता आ रहा है, उसे नतशिर स्वीकार कर लेने पर ही हिंदी लक्ष्य तक नहीं पहुँच जायेगी, क्योंकि स्वीकृतिमात्र न गति है, न गतव्य । वस्तुतः संपूर्ण भारत

सघ को एकता के सूत्र में बाधने के लिए उसे दोहरे सबल की आवश्यकता है। एक तो आंतरिक, जो मन के द्वारों को उन्मुक्त कर सके और दूसरा बाह्य, जो आकार को सबल और परिचित बना सके। अन्य प्रदेशों के लोकहृदय के लिए तो वह अपरिचित नहीं है; क्योंकि दीर्घकाल से वह सत-साधकों की मर्मबानी बनकर ही नहीं, हाट-बाजार की व्यवहार बोली के रूप में भी देश का कोना-कोना घूम चुकी है।

यदि आज उसे अन्य प्रदेशों से अविश्वास मिले, तो उसका वर्तमान खडित और अतीत मिथ्या हो जायेगा।

उसकी लिपि का स्वरूप भी मतभेदों का केंद्र बना हुआ है। सुदूर अतीत की ब्राह्मी से नागरी लिपि तक आते-आते उसके बाह्य रूप को समय के प्रवाह ने इनना माजा और खरादा है कि उसे किसी बड़ी शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। नाममात्र के परिवर्तन से ही वह आधुनिक युग के मुद्रण-लेखन यंत्रों के साथ अपनी सगति बैठा लेगी, परंतु तत्सवधी विवादों ने उसका पथ प्रशस्त न करके उसके नैसर्गिक सौष्ठव को भी कुठिन कर दिया है। यदि चीनी जैसी चित्रमयी दुरूह लिपि अपने राष्ट्र-जीवन का संदेश वहन करने में समर्थ है, तो हमारी लिपि के मार्ग की बाधाएँ दुर्लभ्य कैसे मानी जा सकती हैं।

स्वतंत्रता ने हमें राजनीतिक मुक्ति देकर भी न मानसिक मुक्ति दी है और न हमारी दृष्टि को नया क्षितिज। हमारा शासन-तंत्र और उसके संचालक भी उसके अपवाद नहीं हो सकते, परंतु हमारे पथ की सबसे बड़ी बाधा यह हमारी स्वतंत्र कार्य-क्षमता राज्यमुखापेक्षी होती जा रही है। पर अधिकार आनों का त्योहार भी तो होता है। दीपक की लौ के हृदय में बैठ सके ऐसा कोई बाण अधरे के तूणीर में नहीं होता है। यदि हमारी आत्मा में विश्वास की निष्कप लौ है, तो मार्ग उज्ज्वल रहेगा ही।

भाषा को सीखना उसके साहित्य को जानना है और साहित्य को जानना मानव-एकता की स्वानुभूति है। हम जब साहित्य के स्वर में बोलते हैं, तब वे स्वर दुस्तर समुद्रों पर सेतु बांधकर, दुर्लभ्य पर्वतों को राजपथ बनाकर मनुष्य की सुख-दुःख की क्या मनुष्य तक अनायास पहुंचा देते हैं।

अस्त्रों की छाया में चलने वाले अभियान निष्फल हुए हैं, चक्रवर्तियों के राजनीतिक स्वप्न टूटे हैं, पर मानव-एकता के पथ पर पड़ा कोई चरण-चिह्न अब तक नहीं मिटा है। मनुष्य को मनुष्य के निकट लाने का कोई स्वप्न अब तक मग नहीं हुआ है।

भारत के सोच-हृदय और चेतना ने अनंत युगों में जो मातृभूमि गढ़ी है, यह अपर्यं के पृथ्वीसूक्त से वदेमानरम् तक एक, असूट और अघात रही है। उस पर कोई शरीर हमारे अपने अस्तित्व पर घोट है।

हिंदी केवल बठ का ध्यायाम न होकर हृदय की प्रेरणा बन सके तभी उसका सदेव सार्यक हो सकेगा । हम माता से जो क्षीर पाते हैं, वह उसके पार्थिव शरीर का रसमात्र न होकर आत्मा का दान भी होता है । इसी में वह हमारे शरीर का रसमात्र बनकर निक्षेप नहीं हो जाता, वरन् आत्मा से मिलकर स्वप्न मङ्गला में पूनता-पुनता रहता है ।

हिंदी के घरातल पर सत रविदास और भक्त गुरदास भग मिलाकर बने हैं और निर्गुणवादी कबीर और सगुणवादी तुलसी कथा मिलाकर सजे हुए हैं ।

जहाँ सप्रदाय की बठिन भीमाएँ भी तरल होकर गल गईं, उसी भूमि पर भेद की कल्पित दीवारें कैसे टहर सकेंगी ।

## साहित्य और साहित्यकार

मनुष्य का विकास समस्याओं का विस्तार है, यह आज के युग में जितना मत्त है, उतना कदाचित् ही किसी अन्य युग में रहा हो।

विज्ञान एक ओर मनुष्य की भौतिक समस्याओं को हल करता है, दूसरी ओर उसकी मानसिक समस्याओं को जटिलतर बनाता चलता है। उसने मनुष्य की हानि पहुँचाने वाले प्रवृत्ति को उसकी शक्ति का मापदण्ड बनाकर जीवन में एक चिंतनीय स्थिति उत्पन्न कर दी है। आतंक के पक्षों पर आने वाली घमात्मक प्रवृत्तियाँ अपने वेग के कारण तुरंत दृष्टि का केंद्र बन जाती हैं। यह निर्णायक प्रवृत्तियों का अस्तित्व उनके निर्माण में ही व्यक्त हो सकता है। इस आधी, वज्रपात के समय आकाश की ओर जितने उन्मुख होते हैं, उतने मृगशीर्ष घूप में नहाते समय नहीं। किसी ज्योतिष्पिण्ड का टूटना हमें जितना दिक्कत करता है, उतना अकुर का धरती से फूटना नहीं। वैसे ज्योतिष्पिण्ड के टूटने में सनातन ऋतु नियम टूटता है, अकुर फूटने में वह नियम अक्षय रहता है। इसी से आलोकित आकाश से धरती पर गिरकर ज्योतिष्पिण्ड आलोकित सिंहासक मात्र रह जाना है और अकुर पल्लवित होकर धरती के अधकार में आकाश के आलोक की ओर बढ़ता है।

साहित्य मूलतः निर्माण है—व्यक्ति के लिए भी और मनुष्य के लिए भी, अतः उसे मृजन के किसी विराट् ऋतु की परिधि में घनत्व के साथ संश्लेषण की ही सजा दी जा सकती है। मृजन के अन्य महान ऋतुओं में मृजान ही वह धरदान और अभिशाप का भागी है।

धरदान है कि मानव-जीवन की विकास-परंपरा का दृष्टिकोण बिना बिन्दु उसे सहित नहीं किया जा सकता। अभिशाप है कि मनुष्य के मृगशीर्ष की आस्था ही उसकी अपेक्षा का कारण बन जाती है।

आज के विज्ञान-समृद्ध और राजनीति-अनुशासित युग में मनुष्य की हानि के बड़ा प्रायेण उसे साहित्य के बिना जीना चाहिए। मनुष्य के जीवन की हानि के दृष्ट भी। उसे यह सुभाव जीवन के निषेध जैसा भी वह मनुष्य के जीवन के

साछन जैसा भी । परतु यदि सत्तार के सब महान साहित्यकार समवेत स्वर मे घोषणा करें कि वे साहित्य-सृजन नहीं करेंगे, तो न कोई उनका विश्वास करेगा और न उन्हें इस निश्चय से विरत करने का प्रयत्न करेगा । इनके विपरीत यदि किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्ति, चाहे वे वैज्ञानिक हो चाहे श्रमिक, यदि अपने कार्य से विरत होने की घोषणा करें, तो उन्हें रोक सकने के लिए दंड और पुरस्कार दोनों के विविध उपयोग किये जायेंगे ।

इस प्रत्यक्षत उपेक्षित स्थिति के मूल मे साहित्य के प्रति कोई अटूट आस्था नहीं है, यह मान लेना उचित न होगा ।

हम रात-भर सूर्य के लौटने के लिए प्रार्थना नहीं करते । हम घोरम की दोषहरियों मे समुद्र-तट पर बैठकर उसमे वादल भेजने के लिए निहोरा नहीं करते । हम साम के लिए पवन के पास दूत नहीं भेजते, पर क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि हमे उनकी निरंतर उपलब्धि मे अखंड विश्वास है ? साहित्य का प्रश्न बहुत कुछ ऐसा ही है । साहित्य की स्थिति मे आस्था रखने के कारण ही हम उसके स्रष्टा के अस्तित्व के विषय मे आश्वस्त हैं । साहित्य हमारे निवट जीवन की गभीर अभिव्यक्ति है इसका अलवारमात्र नहीं, अत उसकी प्राप्ति की दशा मे हमारे सावधान प्रयत्न मात्र पर्याप्त नहीं होते ।

पर इस आस्था ने साहित्य के जीवन के सभी प्रश्नों को दोहरे समाधानो से बाध दिया है । उसकी महानता और लघुता की कसौटी समाधानो के चुनाव मे है । वह व्यक्ति भी है और सस्था भी । व्यक्ति किमी निर्माण को समग्रता मे न देखते हुए भी श्रम कर सकता है परतु सस्था को तो समग्रता मे ही निर्माण करना होता है ।

व्यक्ति यदि जीवन के किसी अंग का मूल्यांकन है, तो सस्था अनेक मूल्यांकनो का मूल्यांकन कही जायेगी । साहित्यकार यदि व्यक्तिगत सीमाओ को सर्वथा मुला दे, तो वह भीड़ का अंग मात्र रह जाता है और यदि वह समष्टि का विस्तार भूल जावे, तो एकाकी रह जाता है । इसी से जीवन के सरल प्रश्न भी उसकी सीमा मे आते ही जटिल हो जाते हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं ।

साहित्य-सृजन केवल रुचि, इच्छा या विवशता का परिणाम नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे सभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है ।

किसी अनिर्धार्य विवशता, किसी सर्वथा प्रतिकूल परिस्थिति मे यह प्रतिभा कुठित हो सकती है, यह मानसिक गठन विघटित हो सकता है, परतु केवल स्व-वशता और अनुकूल परिस्थिति मानसिक गठन का निर्माण कर इस प्रतिभा का सृजन करने मे समर्थ नहीं होती । इसी से हम महान प्रतिभाओ को इच्छानुसार बाजीगर के घमस्कार के समान प्रत्यक्ष और तिरोहित नहीं कर पाते ।

मनुष्य अपनी रागात्मक व्याप्ति के बिना समष्टि में पहचाना नहीं जा सकता। वह अपने बौद्धिक विस्तार के बिना माना नहीं जा सकता और इस व्याप्ति के मूल्यांकन के अभाव में मानव जाति की प्रगति का लेखा-जोखा अमिट नहीं रह सकता। नदी जिस प्रकार दोनों तटों का अलग-अलग स्पर्श करके भी अपनी एकता में एक रहती है, उसी प्रकार साहित्य जीवन की भिन्न-भिन्न जान पड़ने वाली वृत्तियों को अपने स्पर्श की एकता में एक रखता है।

वह बहुमुखी दायित्व देने वाला ऐसा रागात्मक कर्म है जिसके कारण साहित्यकार की स्थिति को एक कोण से देखना कठिन हो जाता है।

उसका सृजन न केवल श्रम है और न आजीविका के लिए स्वीकृत कोई पेशा या व्यापार मात्र। न यह व्यक्ति का निरानंद आत्मदान है और न समाज से औपचारिक आदान।

केवल श्रमिक की स्थिति स्वीकार कर लेने पर मूल्य की मांग मात्र उसके हाथ रहती है। श्रम का प्रकार दूसरे की इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर हो जाता है। श्रम लेने वाले और देने वाले की स्थिति का व्यावहारिक आधार निश्चित और स्पष्ट होने के कारण श्रम और मूल्य के अनुपात-संबंधी प्रश्नों को सुलझाना कठिन नहीं हो सकता।

यदि साहित्य को आजीविका की दृष्टि से स्वीकृत कोई एक व्यापार मान लिया जाए, तो न व्यक्ति की प्रतिभा विशेष के लिए मुक्त क्षितिज मिल सकता है और न उक्त कर्म से उसके अविच्छिन्न लगान को उचित कहा जा सकता है।

यदि उसमें एक व्यापार के लिए आवश्यक कुशलता का अभाव है, तो दूसरे क्षेत्र से अपनी पटुता की परीक्षा उसके लिए अनिवार्य हो जाएगी।

साहित्य को समाज के प्रति व्यक्ति का निरानंद दान या समाज का व्यक्ति को बलात् सौंपा हुआ कर्म मान लेने पर वह विवशता का पर्याय हो जाता है और हर विवशता के लिए मनुष्य के मनोजगत् में विद्रोह ही स्वाभाविक है।

वस्तुतः साहित्य की समस्याएँ जीवन की समस्याओं के समान एक परिधि में एक-दूसरे की कड़ी बनकर घूमती हैं। इनका एक छोर पकड़ने का प्रयास, वृत्त का छोर खोजने के समान स्पर्श से निवृत्त, पर दृष्टि से दूर रहता है।

साहित्यकार क्यों लिखता है? वह अपनी तृप्ति के लिए लिखता है अथवा समष्टि के सतोष के लिए? साहित्य-सृजन साहित्यकार का स्वेच्छा से किया आत्मदान है अथवा समाज की मांग की पूर्ति मात्र? साहित्य सृजन अपने छप्पा के लिए जीवन है या जीवन-यापन का साधक मात्र? साहित्य पुनः-सापेक्ष है या निरपेक्ष? साहित्य के प्रेम और श्रेय की परीक्षा किसे दृष्टि में रखकर की जाये?—आदि-आदि प्रश्न ऐसे हैं, जिनके समाधान जीवन की समग्रता में ही प्राप्त हो सकते हैं, उसे अगतः देखने में नहीं।

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में साहित्य की उत्कृष्टता की बसोटी उसकी व्यापकता ही मानी गई है और यह व्यापकता स्वयं व्यक्तिगत रुचि का निपेघ है।

मनुष्य एक विशेष सामाजिक परिवेश में उत्पन्न होता है और कुछ सत्कार उसे अपने परिवेश में उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं और कुछ उसके व्यक्तिगत मधुर-बटु अनुभवों से बनते हैं। उमके कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं और कुछ समष्टिगत दायित्व, जिन्हें वह सामाजिक प्राणी के नाते स्वीकार करता है। व्यक्तिगत स्वार्थ और समष्टिगत स्वार्थों में संघर्ष की संभावना जिन सीमा तक कम होगी जाती है, उमी सीमा तक हम किसी समाज को और उसके सदस्यों को संस्कृत कहते हैं।

मनुष्य की महानता उसके दायित्व की विनालता का पर्याय है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वार्थ समाज-विशेष के स्वार्थ में लय नहीं हो जाता, वरन् मानव समष्टि के स्वार्थ या हित से एकाकार हो जाता है।

मनुष्य केवल प्राण-संवेदनयुक्त जीव ही नहीं है, वह असंख्य मानसिक संभावनाओं और संवेदन के विविध स्तरों का सघात है। बुद्धि की सचेतन प्रक्रिया और अतः करण की प्रवृत्तियों में सामंजस्य लाने का सचेतन प्रयास और उमसे आनंद की अनुभूति उसकी अपनी विशेषता है, जो उसे शीघ्र सृष्टि से भिन्न कर देती है केवल शारीरिक यात्रा के साधन और आत्मरक्षण की सहज चेतना उसमें अन्य प्राण-संवेदनयुक्त जीवों के समान होना स्वाभाविक है। परंतु अपनी सामान्य स्थिति से असंतोष, अज्ञात स्थिति विषयक जिज्ञासा, अनुभव तथ्यों के आधार पर सर्वथा अनुभूत सत्यों तक पहुंचने का प्रयास, प्रयास में आनंदमयी स्थिति की परिवर्तन और अप्राप्त लक्ष्य में आस्था आदि विशेषताओं के कारण ही वह विशिष्ट है। अपनी विकासनिष्ठ क्रिया को अबाध रखने के लिए वह अपने बौद्धिक और मानसिक स्तरों का सगठन और सशोधन नये नये प्रकारों से करता आ रहा है। अपने सहज प्राप्त परिवेश से ही संचालित न होकर वह उसपर अपने अतर्जगत् को भी प्रतिफलित करता चलता है, इस प्रकार उसकी गति से भौतिक विश्व की एक मानसिक सृष्टि भी होती आ रही है।

दर्शन, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य सभी ने जीवन के इस दोहरे विकास में योग दिया है। पर मनुष्य की व्यक्ति और समष्टिनिष्ठ तथा बुद्धि और भाव-निष्ठ अभिव्यक्तियां, साहित्य की अधिक ऋणी हैं। जीवन की समग्रता से स्पर्श करने के कारण और बुद्धि तथा अतः करण की विभिन्न वृत्तियों को सक्षिप्त करने की क्षमता के कारण साहित्य सहज ही मनुष्य के रहस्य का उद्गीर्ण बन गया है।

यह तो सर्वस्वीकृत है कि साहित्य-सृजन का कार्य विशेष व्यक्ति कर पाते हैं जिन्हें उनके परिवेश तथा बुद्धि अतः करण की वृत्तियों ने उपयुक्त साधनों से

सम्पन्न कर दिया है। वे न अमानव हैं और न अतिमानव, प्रत्युत विकास के ऐसे विदु पर मामान्य मानव हैं कि जीवन और परिवेश में अव्यक्त हलचल भी उनकी अनुभूति में व्यक्त हो जाती है। साहित्य को चाहे किसी ने जीवन का अनुकरण माना हो, चाहे कल्पनासृष्टि, चाहे जीवन-नीति का संचालक कहा हो, चाहे सौंदर्यबोध मान परतु उसके स्रष्टा की विशिष्ट प्रतिभा को सभी ने स्वीकार किया है। अभ्यास मात्र से उत्कृष्ट साहित्य-सृजन संभव है, यह आज का वैज्ञानिक युग भी स्वीकार नहीं करता, अन्य अतीत युगों की चर्चा ही व्यर्थ है।

ऐसी स्थिति में साहित्य को व्यक्तिगत रुचिमान मान लेना, उसके युगांतर-व्यापी प्रभाव को अस्वीकार करना है।

साहित्य विशेष व्यक्तिगत का परिणाम है, इसी अर्थ में उसे व्यक्तिगत कहा जा सकता है। पर इस अर्थ में मानसिक ही नहीं, भौतिक विकास भी वस्तुनिष्ठ रहेगा। विकास के रहस्यमय क्रम में एक वस्तु विकसित होकर विकसित करती है, इसी प्रकार विकास की परंपरा अबाध चलती हुई विकास का मानदंड निर्मित करती है।

अपने सृजन से साहित्यकार स्वयं भी बनता है, क्योंकि उसमें नए संवेदन जन्म लेते हैं, नया सौंदर्यबोध उदय होता है और नये जीवनदर्शन की उपलब्धि होती है। सारांश यह है कि वह जीवन की दृष्टि से समृद्ध होता जाता है, इसी से साहित्य-सृष्टि का लक्ष्य स्वातः मुख्याय का विरोधी नहीं हो सकता। पर यह क्रिया अपने कर्त्ता को बनाने के साथ उसके परिवेश को भी बनाती चलती है, क्योंकि समष्टि में इन्हीं नवीन संवेदनो, सौंदर्यबोधो और विद्वानों का स्फुरण होता रहता है।

पूल का विकास अपनी ही रूप-रंग-रसमयता नहीं है, क्योंकि वह अपनी मिट्टी और परिवेश की शक्तियों का संयोजन और संवर्द्धन भी करता है। पौधा, मिट्टी, धूप, पानी आदि नहीं बनाता, परतु इनकी सम्मिलित शक्तियों का रसायन ग्रहण कर स्वयं बनता है और व्यक्त करने के लिए अपने परिवेश को बनाता है। मूर्तिकार न पाषाण बनाता है न छेनी का लोहा। वह केवल प्राकृतिक उपादानों और उनकी शक्तियों को संयोजित कर अपनी मानसी सृष्टि को प्रत्यक्ष कर स्वयं सतोष पाता और समष्टिगत परिवेश का संवर्द्धन करता है। संगीतकार भी स्वरों का और तारों की धातु का सृजन नहीं करता। चित्रकार भी प्रकृति में बिल्लरे रंग और रेखाओं का सृजन नहीं करता। नृत्यकार भी गति का सृजन नहीं करता।

शिल्पी पाषाण में अव्यक्त आकारों को व्यक्त आकार देकर, चित्रकार प्रत्यक्ष रंग-रेखाओं के संयोजन में किमी अनिर्दिष्ट मामजस्य को अवतार देकर और नृत्यकार व्यापक गति को जीवन की विविध चेष्टाओं में छद्मयित कर जो



सृजन करता है, वह व्यक्ति सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि न माध्यम व्यक्ति-निष्ठ है और न बौद्धिक प्रक्रियाएँ और मानसिक वृत्तियाँ केवल उसकी हैं। इसी से मनुष्य अव्यक्त सभावनाएँ और संवेदन किसी न किसी बिंदु पर सब के हो जाते हैं और सब के हो जाने में ही उनकी वृत्तार्थता है।

व्यक्ति से जिस सत्तागत अभिव्यक्ति अथवा अस्तित्वगत विशेषता का बोध होता है, वह भौतिक जगत् में अधिक है, पर ज्यों ज्यों हम उसके भीतर प्रवेश करते हैं, त्यो-त्यो ये कठिन रेखाएँ गल-गल कर तरल होने लगती हैं। दो पत्ते भी समान नहीं हैं, पर दो मनुष्य आकार में भिन्न होकर भी संवेदन के स्तर पर समान हो सकते हैं।

इस मूलगत एकता के कारण ही साहित्यिक उपलब्धियाँ कालांतरव्यापिनी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसके स्रष्टा मात्र ही उसके उपभोक्ता कैसे माने जा सकते हैं? जीवन के परिष्कार और परिवर्तन के हर अध्याय में साहित्य के चिह्न हैं, अतः उसे व्यापक सामाजिक कर्म न कहना अन्याय होगा। पर जब हम उसे सामाजिक कर्म मान लेते हैं, तब यह समस्या मानसिक क्षेत्र से उतरकर सामाजिक घर्ती पर प्रतिष्ठित हो जाती है और उसका समाधान भी नये रूप में उपस्थित होता है।

यदि सामाजिक कर्म व्यक्ति का समष्टि को दान है, तो वह दान देने वाले और पाने वाले के मानसिक तथा भौतिक परिवेश के अनुसार ही कम या अधिक महत्त्व पाता है और ये दोनों परिवेश कभी-कभी एक-दूसरे से इतने भिन्न जान पड़ते हैं कि देने वाले तथा पाने वाले में कोई संबंध खोज लेना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही साहित्य रुचि विशेष की भ्रांति उत्पन्न कर देता है।

यह स्वीकार कर लेने पर कि साहित्य-सृजन व्यक्तिगत रुचिमात्र न हाकर महत्त्वपूर्ण सामाजिक कर्म है, साहित्यकार की, सामाजिक प्राणी की और विशेष कार्यक्षम सामाजिक सदस्य की समस्या हो जाती है, समाज केवल भीड़ का पर्याय नहीं होता। ममाना अजनि — समान सचरणगील व्यक्ति ही समाज है। इन व्यक्तियों में, व्यक्तिगत स्वार्थ की समष्टिगत रक्षा के लिए अपन विपक्ष आचरण में साम्य उत्पन्न करने वाले समझौते की स्थिति अनिवार्य रहेगी। व्यक्ति और व्यक्ति के स्वार्थों में समर्पण की सभावनाएँ ज्यों ज्यों घटती जाती हैं, त्यो-ज्यों व्यक्ति का परिवेश समष्टि व परिवेश तब फँसता जाता है। और पूर्ण विकसित समाज में व्यक्ति के सीमित परिवेश की कल्पना ही कठिन हो जाती है। मनुष्य अपनी त्रियाशीलता को समाज को सौंप देता है। और इस समर्पण से वह स्वयं एक विशाल और निरंतर सृजन का अक्षमूत हो जाता है। पर स्वस्थ समाज में व्यक्ति की त्रियाशीलता की स्वाभाविक परिणति जीवन के विकास की सुविधा ही रहती है। जब ऐसा सारतम्य नहीं रहना, तब ऐसी

विच्छिन्न क्रिया कभी विद्रोह का पर्याय मानी जाती है, कभी अपराध की राज्ञा पाती है ।

स्वयं को शासित रखने के लिए समाज एक लिखित विधि-निषेधमय विधान रखता अवश्य है, पर वह संचालित ऐसे अलिखित विधान से होता है, जो परपरा शक्ति, आस्था, सस्कार, मनोविकार आदि का सदिलिप्त योगदान है ।

पूर्ण से पूर्ण समाज भी व्यक्ति के जीवन को सब ओर से नहीं घेर सकता, क्योंकि मानव-स्वभाव का बहुत-सा अंश समाज की सीमा रेखा के बाहर मुक्त और उसकी दृष्टि से ओझल रहता है ।

मनुष्य के जीवन का जितना अंश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक सस्याओं के संपर्क में आता है, उतना ही समाज द्वारा शासित माना जायगा । समाज यदि मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, तो मनुष्य भी केवल क्रियाओं का सघात नहीं है, दोनों के पीछे सामूहिक और व्यक्तिगत इच्छा, हर्ष और विपाद की प्रेरणा रहती है । आचरण की सेना के समान कवायद सिखा देना ही जीवन नहीं है, वरन् कर्म की प्रेरित करने वाले मनोविकारों के उद्गम खोजकर उनमें विकास की अनुकूलता पा लेना जीवन का लक्ष्य है ।

साहित्य का उद्देश्य समाज के अनुशासन के बाहर स्वच्छन्द मानव-स्वभाव में, उसकी मुक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए, समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना है ।

एक ओर वह विधि-निषेध से बाहर उठनेवाले मानव-मन को समष्टि से बाधकर उसकी निरुद्देश्य उड़ान को थाम लेता है और दूसरी ओर समाज की दृष्टि से ओझल मानव-स्वभाव की विविधताओं को उसके सामने प्रस्तुत कर सामाजिक मूल्यांकन को समृद्ध करता है । इस प्रकार निर्वन्ध कुछ बंध जाता है और बद्ध के बंधन कुछ शिथिल हो जाते हैं ।

मनुष्य को अपने लिए विशेष वातावरण ढूँढने नहीं जाना पड़ता । वह एक विशेष परिवेश में जन्म लेकर वृद्धि के साथ साथ सामाजिक सस्याओं से परिचित और अनुशासित होता चलता है । जैसे उसे सास के लिए वायु अनायास मिल जाती है, उसी प्रकार समाज का दान भी अयाचित और अनजाने ही उसे प्राप्त हो जाता है । जब तक वह अपने-आपको जानने की स्थिति में पहुँचता है, तब तक समाज उसे एक साधे में ढाल चुकता है, परंतु यदि मनुष्य अपने इसी निर्माण पर सतुष्ट हो सके, तो उसमें और जड़ में अंतर ही क्या रहेगा । वह दर्जी के सिले कपड़ों के समान समाज के विधि-निषेध को धारण कर लेता है और तब उनके तग या ढीले होने पर, सुंदर या कुरूप होने पर सतुष्ट-असतुष्ट होता है ।

यह सतोष-असतोष समाज के शासन की परिधि में नहीं आता, पर साहित्य

इसीका मूल्यांकन करता है। दूसरे शब्दों में समाज के दान की जहा इतिहास-साहित्य का अर्थ उसी बिंदु से चलता है।

अतः साहित्यकार का सामाजिक कर्म अन्य कर्मों को तोलने वाले तुला और बाटो से नहीं तुल सकता। अन्य क्षेत्रों में समाज अपने सदस्यों की त्रिया-शक्ति को अपने अधीन कर उनकी प्रतिभा और कुशलता के अनुसार उनका कार्य निश्चित कर देता है और उसके प्रतिदान में उन्हें जीवन-यात्रा की सुविधाएं देता है। दोनों पक्षों का आदान-प्रदान इतने स्थूल धरातल पर स्थित है कि उसकी उपयोगिता के विषय में किसी संदेह का अवकाश कम रहता है।

भारी पैनी तलवार गढ़नेवाले लौहकार के कार्य का महत्त्व भी समाज जानता है और हल्की अगुठी में रत्नों की बारीक जड़ाई करने वाले स्वर्णकार की कुशलता का मूल्य भी उनसे छिपा नहीं है। वृष्टलम्य वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी की प्रत्यक्ष योग्यता का भी उसे ज्ञान है और मंदिर में जप करने वाले पुजारी की अप्रत्यक्ष रचना में भी उसका विश्वास है। न्यायासन पर दंड-पुरस्कार का वितरण करने वाले न्यायाचार्य के कार्य के विषय में उसे संदेह नहीं है और समाज की नई पीढ़ी की परपरानुसार शांत-दांत बनाने में लगे शिक्षाशास्त्री के कार्य का भी उनके पास तोला-जोला है।

इन विविध कर्तव्यों को, उसने अधिकारी व्यक्तियों को स्वयं सौंपा है और इन कर्तव्यों के विषय में एक परंपरागत शास्त्र भी निश्चित है। वे कैसे करते हैं यह दूसरा प्रश्न है, परंतु वे क्या करें और क्या न करें, के विषय में द्विविधा नहीं है। कठिन दंड के पात्र को दंड कम मिले या न मिले, यह मतभेद का विषय हो सकता है, परंतु दंड-पुरस्कार विधान समाज-स्वीकृति है और न्याय का कार्य समाज द्वारा किसी को सौंपा गया है। हर सामाजिक सस्था समाज का अंग है और वह मनुष्य-जीवन के उन्ही अंशों से संबद्ध रहती है, जिस पर समाज की सत्ता है। मानव-समाज का जो अंग समाज के विधि-निषेध की परिधि के बाहर अस्तित्व रखता है उसके लिए सामाजिक सस्था नहीं बनाई जा सकती, पर उस नक समाज के सुख-दुखों की अनुभूति पहुंचाकर उसे समाजोन्मुख क्रिया जा सकता है। पर वह कार्य व्यक्ति करता है, जिसे समाज के सौंदर्य और विरूपता, सुख और दुःख की व्यष्टिगत, पर तीव्र अनुभूति होती है। समाज अपने अन्य क्षेत्रों के समान इसके हाथ में कोई विधि-निषेध-शास्त्र देकर नहीं कह सकता, मैं तुम्हें कवि, नाटककार आदि कर्तव्य पर नियुक्त करता हूँ, तुम मेरे विधान के स्थायित्व के लिए कार्य करो।

वस्तुतः समाज किसी साहित्यकार के अतर्जगत की हृत्चल में परिचित तब होता है, जब वह अभिव्यक्ति पा लेती है। इस अभिव्यक्ति से पहले अनु-भावक शक्तियों से और उनकी अनुभूति की तीव्रता से समाज अपरिचित रहता

है और यह अपरिचय एक सीमा तक व्यक्ति और समाज को विरोधी पक्षों में भी खड़ा कर सकता है।

साहित्य समाज की अपराजेय शक्ति है, पर क्या उसी तरह निर्भर पर्वत की अपराजेय शक्ति नहीं है? क्या पर्वत की शक्ति होने के कारण उसे उसकी कठोर शिनाथों से सघर्ष नहीं करना पड़ता? पर्वत से सर्वथा अनुकूल स्थिति रखने के लिए तो प्रपात को जमकर शिलाघात होना पड़ेगा। सतान का जन्म माता की पीड़ा का भी जन्म है। इसी प्रकार साहित्य भी, समाज में, समाज के लिए निर्मित होकर भी उसमें कोई उद्वेलन, कोई अमतोष उत्पन्न करता ही है। ऐसी स्थिति में समाज, साहित्य को सामाजिक और श्रेष्ठ सामाजिक कर्म के रूप में स्वीकार न करे, तो आश्चर्य नहीं। जिस युग में समाज की दबी हलचलें उसके अन्य क्षेत्रों में भी कुछ असतोष उत्पन्न करने लगती हैं, उसमें साहित्य सहज ही नेतृत्व प्राप्त कर लेता है, पर जिन युगों में समाज के अवचेतन मन पर जड़ता का स्तर कठिन हो जाता है, उनमें साहित्य को अकेले जूझना पड़ता है।

परतु साहित्य चाहे जिम भूमिका में उपस्थित हो, वह मानव जाति का, विकास के समान ही अविच्छिन्न साथी रहता है। प्रत्यक्ष वस्तु सत्य से अप्रत्यक्ष सभाष्य सत्य तक उसकी सीमाएँ इस प्रकार फैली रहती हैं कि मनुष्य उसे अपने अतीत विकास का प्रमाण मानता है, वर्तमान का मापदण्ड भी और अनागत भविष्य का संकेतधर भी। सभी देशों में साहित्य का सृजन विशेष प्रतिभा से सबद्ध है, और विशेष प्रतिभा सपन्न साहित्यकार का विशेष महत्त्व भी सर्व-स्वीकृत है। आज तक प्रतिभा को समान रूप से बाटने का उपाय विज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है, अतः साम्योपासक देशों में भी प्रतिभा-सपन्न साहित्यकारों को असामान्य स्थिति प्राप्त है।

वस्तुतः साहित्य-सृजन समग्र जीवन, शक्तियों का सश्लिष्ट दान है। जीवन में कुछ कार्य जीवन-निर्वाह के साधनमात्र हैं, कुछ जीवन के साध्य हैं और कुछ साधन-साध्य दोनों का एकीकरण है। केवल बाह्य जीवन में सीमित क्रिया साधन हो सकती है, केवल अनर्जंगत् में मुक्त साध्य हो सकती है, परतु अतर्जंगत् की प्रक्रिया का बाह्य रागात्मक अवतरण साधन और साध्य को एकाकार कर सकता है। यह ऐसा दान है, जिसे देकर भी हम पाते हैं। यह ऐसा स्वार्थ है, जिसे पास रखकर भी हम देते हैं पर इस दोहरी स्थिति के कारण ही साहित्यकार के जीवन के साधन और साध्य कुछ रहस्यमय हो जाते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए ऐसे संस्कृत समाज की आवश्यकता रहती है, जो अपने दिये मूल्य को अधिक न समझे और उससे प्राप्त सृजन को न्यून न माने।

साहित्य की दृष्टि से हमारा देश इतना अधिक समृद्ध है कि उसकी मूल्यांकन-

शक्ति के विषय में सदेह कठिन हो जाता है। जीवन के विविध क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियाँ सुलभ करने वाली जीव-यात्रा के माधन उसने इस सहज भाव से दिये कि उसके मन में अहकार का कोई संस्कार नहीं बन सका। व्यक्ति के विशिष्ट सृजन को उसने इतना महत्वपूर्ण और महार्प माना कि स्रष्टा को याचक का दैन्य कभी स्पर्श नहीं कर सका।

इस स्थिति में विषम युगों में समस्याएँ भी उत्पन्न की, पर साधारणतः समाज और साहित्यकार में खरीदने और बेचने वालों की आपाधापी के लिए अवकाश कम रहा। आज भी लोक-जीवन और उसके साहित्यकारों की ऐसी स्थिति है, जिसमें एक अहकार से शून्य है और दूसरा दैन्य से अपरिचित।

जिन युगों में हमारा सांस्कृतिक ह्रास अपनी चरम स्थिति में था, उनमें भी 'भाग के खँवो मसीह को सोइबो' बहने वाले साहित्य-साधक समाज के गुरु और शास्ता रहे।

उनकी जीवन-यात्रा की व्यवस्था करने वाले लोक के अवचेतन मन में भी कभी यह प्रश्न नहीं उठा कि जीवन-यात्रा के लिए हमारे आश्रित होकर भी ये हमारे शास्ता होने का अहकार क्यों करते हैं। जिन साहित्यकारों ने लोक की अवज्ञा कर व्यक्ति का आश्रय लिया, उनकी स्थिति की मर्यादा भी इसी परंपरागत संस्कार ने बांधी। जिस प्रकार घर के छोटे झरोखे से थोड़ा प्रकाश पाने वाला भी प्रकाश की असीमता की अवज्ञा नहीं कर सकता, उसी प्रकार सर्वांग सीमा में निर्मित साहित्य ने भी विराट् मानवता में फँसे साहित्य से अपने संबंध का परिचय देकर अपने रचयिता को क्षुद्र होने से बचाया। नदी ठट बनाती है, पर तटों के साथ तो वह समुद्र में स्थिति नहीं रख सकती और यही मुक्ति उसके बधन को क्षुद्र नहीं होने देती।

आज हम विशेष युग में हैं और संस्कार के नाम पर हमें परंपरा के परिणाम में सघर्ष करना पड़ रहा है। जुआ उतारकर फँका जा सकता है, पर जुआ बहन करने के परिणाम या प्रमाण जो गर्दन के क्षत या काठिन्य में अंकित हो जाते हैं, उन्हें काटकर फेंक देना संभव नहीं रहता। उस कठोर या आहत स्थान का स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए समय और उपचार दोनों अपेक्षित रहते हैं।

काठिन्य, भार के अति सह्य होने का प्रमाण या स्वाभाविक संवेदनशीलता के ग्लून होने की सूचना है, जिसकी उपस्थिति में भार उतारना व्यर्थ जान पड़ता है। क्षत, संवेदनशीलता से अस्वाभाविक वृद्धि है, जिसके कारण स्वाभाविक सहनशक्ति नष्ट होकर तत्वों को अक्षय बना देती है।

हमारे जीवन की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी ही है। कहीं हम रुढ़ियों के अवार लादकर भी भार का अनुभव नहीं करते और कहीं हमारे लिए संस्कार

का हृत्का स्पर्श तक असह्य हो जाता है। दोनों ही स्थितिया अस्वाभाविक है।

हमारी स्वतंत्रता के कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उसे हम अपने राष्ट्र-जीवन का तुलना उपक्रम मात्र नहीं कह सकते। किसी अन्य अतीत युग में कहना संभव था, परंतु आज जब समय बेलगाड़ी, रथ छोड़कर वायुयान पर उड़ने लगा है, एक केंद्र में मुखर होकर ससार भर से बोलने लगा है, एक क्षेत्र को छूकर इतिहास के असह्य पृष्ठ लिखने लगा है, तब हमें अपनी समय-संबंधी धारणाएँ भी बदलनी चाहिए।

धरती, समुद्र, पर्वत, नक्षत्र तक जब परिवर्तन के अंक बनते जा रहे हैं, तब 'उत्पस्यते मम कोपि समानधर्मा' कहकर अनंत प्रतीक्षा की समस्या नहीं रह गई है। लक्ष्य की दिशा में उठाया गया पग और लक्ष्य प्राप्ति आज इतने निकट और एक-दूसरे के पर्याय हैं कि मार्ग खोजने, भटकने, पाने की अनेक स्थितियों का एक हो जाना स्वाभाविक है।

इस भूमिका में जब हम अपने साहित्य और उसके स्रष्टाओं को रखकर देखते हैं, तब साहित्य के भविष्य के लिए चिंता स्वाभाविक हो जाती है। कुछ प्रतिष्ठित वयोवृद्ध, अतः सरकारी पदों के लिए अनुपयुक्त तथा कुछ अति साधारण, अतः सरकारी कार्यों के लिए अयोग्य-लेखकों को छोड़कर प्रायः सभी लेखक सरकारी विभाग में आश्रय पा गए हैं। उनके जीवन-यापन की समस्या अवश्य ही सुलभ गई है, परंतु सुलभाने की विधि ने इस देश की वाणी अवतरण के मार्ग में एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है।

क्या साहित्य केवल व्यक्तिगत रुचि हावी मात्र है? क्या उसे विशेष प्रतिभा द्वारा संपादित और स्थायी महत्त्व का सामाजिक कर्म मानकर अतीत युगों में मूल की है? क्या अन्य युगों और देशों की उक्त भूल का परिमार्जन करने के लिए ही हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था हो रही है? क्या इस व्यवस्था से साहित्य का लक्ष्य, राजनीतिक लक्ष्य से एकाकार हो सकेगा और क्या इस ऐक्य से साहित्य के मूल्यों की रक्षा और वृद्धि हो सकेगी? —ये सभी प्रश्न सामयिक हैं और हमारे चिंतन से कोई-न कोई समाधान चाहते हैं।

विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय अपने आप में सब शकाओं का समाधान है। यदि आज हम इन दो विशेषताओं का सुलभ करने की साधना में लग जायें तो अन्य समस्याएँ स्वयं सुलभ जायेंगी।

## साहित्य, संस्कृति और शासन

राज्यपाल महोदय के संबोधन में औपचारिक रूप से ही कुछ पंचवर्षीय योजनाओं का संकेत मिलता है। वैसे तो जब एक एक दिन में अनेक देशों के इतिहास बदल रहे हैं, जीवन के मान मिट-बन रहे हैं तब पांच वर्ष की लंबी अवधि का औचित्य भी विचारणीय है, पर इस लंबी अवधि की अपेक्षा रखने वाली योजनाओं में जिसका अभाव मुख्य है वह साहित्य, कला, संस्कृति और शिक्षा संबंधी योजना है। संबोधन में मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे जाना जा सके कि इस प्रदेश की सरकार के सम्मुख साहित्य, कला, संस्कृति जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में कोई निश्चित योजना भी है। सरकार की अन्य योजनाएँ पूर्ण हैं, अपूर्ण हैं अथवा श्रुतिपूर्ण हैं, इस संबंध में मतभेद हो सकता है पर जिस अत्यंत आवश्यक कार्यक्रम का अभाव है उसके संबंध में मतभेद का स्थान नहीं। प्रत्युत किसी भी निर्माणोन्मुख प्रदेश में यह अभाव चिंता का कारण बन सकता है।

उत्तरप्रदेश हमारे राष्ट्र का हृदय है, जिससे देश की दूर-दूर तक फैली गिराओ में रस का संचार होता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिमीय तटों तक जो संस्कृति ध्याप्त है वह गंगा, यमुना और सरस्वती के तटों पर पली और विकसित हुई है। सामंजस्य और समन्वय का जो स्वर हमारे साहित्य और दर्शन में ध्वनित-प्रतिध्वनित होता आ रहा है उसमें इस भू-भाग के साधक सरस्वती-पुत्रों के हृदय और बुद्धि का कितना योग है यह बहने की आवश्यकता नहीं है।

हम उसी धरातल पर खड़े होकर अपनी अनेक समस्याएँ सुलझा सकते हैं जिस पर तुलसीदास और कबीर, सूर और रैदास साध खड़े हो सके थे और जो साहित्य कला-साधकों तथा चिंतकों की भूमि है।

अपने स्वप्नों को मूल्यवान बना देने वाले पारस जैसे उत्तराधिकार को पाकर भी यदि हमारे पास उसके उपयोग के लिए कोई योजना नहीं हो सकती है तो

हमारे समकालीन चाहे भ्रम में पड़ जायें पर आने वाली पीढ़िया हमें क्षमा न करेंगी ।

आज हिंदी जब राष्ट्रभाषा के पद पर अभिषिक्त हो चुकी है तब हमारा कर्तव्य और भी गुरुतर और गभीर हो जाता है । हम दीर्घकालीन दासता की गहरी तमिस्रा पार करके जागरण के द्वार पर पहुँचे हैं । हमारे सामने अभी घुघला क्षितिज है । उसपर अब तक भविष्य का ऐसा सुनहला चित्र नहीं आका जा सका है जिसके अनुरूप हमें जीवन का निर्माण करना है ।

हमारी परतंत्रता हमारी विकासशील परंपराओं को नष्ट करने में सहायता देती रही है जैसा कि स्वाभाविक भी था । कोई भी विजेता किसी विजित जाति पर राजनीतिक विजय प्राप्त करके सतुष्ट नहीं होता । वह तो सांस्कृतिक विजय भी चाहता है और इसकी प्राप्ति के लिए वह विजित के हृदय और बुद्धि पर अधिकार पाने का प्रयत्न करता रहता है । हमारे विदेशी शासकों ने इस दिशा में जो सफलता पाई है उसका प्रमाण हमें जीवन में पग-पग पर मिल सकेगा ।

आज हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं पर हमारी मानसिक दासता अब तक दूर नहीं हो सकी है, न हमारी बुद्धि जड़ता से मुक्त हो सकी है और न हमारी सकीर्णता से त्राण पा सकी है । परिणामतः हमारे सामने नव-निर्माण की कोई रूप-रेखा नहीं है ।

हमारी राजनीति दलों में गतिशील है । हमारा धर्म रूढ़ियों में अचल है और हमारा समाज विपमता में मूर्च्छित है ।

हमें इस अधकार क पार गतव्य खोज लेना है, अन्यथा हमारी गति एक विपम वृत्त में होती रहेगी जमीं कोल्हू के बँल की होती है जो निरंतर चलते रहने पर भी कहीं नहीं पहुँचता ।

नवीन जीवन के स्वप्न अधिकारियों के आदेश से नहीं बनेंगे और न उन्हें सत्य करने के सकल्प फाइली में बद मिलेंगे । स्वप्न और आदर्श, प्रेरणा और सकल्प तो इस देश के साहित्यकार, कलाकार, विद्वान और चिंतक ही दे सकते हैं जो आज सरकारी योजनाओं में उपेक्षित हैं । वे ही नवीन राष्ट्र के अलिखित विधान के निर्माता हैं ।

मुझमें प्रश्न किया जा सकता है कि जब राष्ट्र के सामने खाद्य और वस्त्र जैसी आवश्यक समस्याएँ हैं तब साहित्य, कला, संस्कृति आदि के प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं ? उनकी ओर ध्यान देने का हमें अवकाश ही कहा है ?

उत्तर में, मैं निवेदन करूँगी कि जीवन की प्रकृति सर्वांगोण होती है । हम यह नहीं कह सकते कि जब हम साम ले रहे हैं तब विचार नहीं कर सकेंगे, जब विचार कर रहे हैं तब देखेंगे नहीं और जब देख रहे हैं तब चल नहीं सकेंगे, क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, विचारने, चलने के कार्य साथ होकर ही हमें सार्थक



विस्तार। दूसरे शब्दों में महा मनुष्य की बुद्धि और हृदय खराद पर चढ़ते हैं। और तब नये रूप से समाज के सम्मुख आते हैं। किसी सुंदर स्वप्न, आदर्श या अनुमति को दूसरे को देना महज नहीं होता। इस आदान-प्रदान में देनेवाले और पानेवाले में समान रूप से पात्रता होनी चाहिए जो ज्ञान देनेवाले और पाने वाले दोनों को धन्य कर देता है। उन्ने देने और पाने की परिस्थिति और होती है और वातावरण और होता है। हमारी शिक्षा चाहे वह प्राथमिक हो चाहे उच्च, उसने मनुष्य की सभावनाओं की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल नौकरों दिलाने के लिए प्रमाण-पत्र देती है और उसे भी नहीं दिला पाती। हमारा विद्यार्थी वर्ग जो घोर अर्थ-संकट और सामाजिक कूटा में पलता है, शिक्षा की समाप्ति पर अपने जीवन की समाप्ति के निकट पहुंच जाता है। इस प्रकार की निराशा और आत्मघाती प्रवृत्तियों से घिरी नवीन पीढ़ी से देश को क्या नया निर्माण मिल सकेगा, यह विचारणीय है।

प्रेरणा, स्फूर्ति और ज्ञान की दृष्टि से हमारी शिक्षा में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए जो नवीन पीढ़ी को चारित्रिक श्रद्धा और मास्कृतिक दृष्टि देकर उन्हें इस महान देश के गौरव के अनुरूप सशक्त और उदार मनुष्य बना सके।

जीवन की वर्तमान विषमता को दूर करने का जो रसायन हमारे साहित्य में है उसका शिक्षा में उपयोग न करना मूल होगी। इतिहास बताता है कि जब-जब एक देश दूसरे देश में शक्ति के धोप में बोलता है तब-तब एक दास और दूसरा स्वामी हो जाता है। एक विजित और दूसरा विजेता बन जाता है। परंतु जब-जब एक देश दूसरे से साहित्य के स्वर में बोलता है तब-तब सात समुद्र का अंतर पार कर, उन्नत पर्वतों को लाघकर उनके हृदय एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं। एक दूसरे के सुख-दुःखों से तादात्म्य कर लेते हैं।

साहित्य की भूमि पर कालिदास और तुलसीदास जितने हमारे हैं उतने सारे विश्व के हैं और शेक्सपियर, गीकी, टालस्टाय आदि जितने अपने देश के हैं उतने ही हमारे हैं। हम धरती पर दीवारें खड़ी करके, उसे बाट सकते हैं, पर उन दीवारों की ऊंचाई से आकाश खड़-खड़ में नहीं बट सकता। हम तोल-कर बादलों का बटवारा नहीं कर सकते, नापकर किरणों को विभाजित नहीं कर सकते और गिनकर तारों को नहीं ले-दे सकते। वे सबके होने के लिए ही प्रत्येक के हैं। इसी प्रकार की एकता साहित्य में मिलती है। यदि आज के विषम जीवन में हम नयी पीढ़ी की एकता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें शिक्षा में साहित्य और संस्कृति को ऐसा महत्वपूर्ण स्थान देना होगा जिससे विद्यार्थी को मानव-एकता और विश्वबधुत्य का संकेत प्राप्त हो सके और वह अधिक पूर्ण मनुष्य बन सके। इसके साथ-साथ हमें अपनी नवीन पीढ़ी के विधाता साहित्य-कारों तथा शिक्षकों को भी उपेक्षणीय स्थिति से मुक्त करना होगा।

## नवीन दशक में महिलाओं का स्थान'

मुझे 'नवीन दशक में भारत में महिलाओं का स्थान' शीर्षक विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। विषय एक ओर नवीन दशक में समय की सीमा बाधता है और दूसरी ओर भारतीय समाज में नारी-स्थिति की ओर सचेत कर विषय को सुदूर अतीत तक मुक्त कर देता है। इस प्रकार हमारे लिए वर्तमान की समस्याएँ ही नहीं, अतीत से प्राप्त अपने मूल्यात्मक दाय भाग का परीक्षण भी अनिवार्य हो उठता है।

इस मवध में भारतीय महिला वर्ग के दो स्पष्ट मत हैं जिनपर प्रथमतः दृष्टि-पात कर लेना आवश्यक है। आवश्यक तरुणी वर्ग का अभिमत है कि जब विज्ञान ने विश्व के मूल्यों को दूरिया समाप्त कर दी हैं और सभी देश एक-दूसरे के निकट आ गये हैं तब भारत की नारी विश्व नारी से भिन्न नहीं मानी जा सकती। अतः एक सकीण राष्ट्रीयता में बाधकर उनकी सामाजिक स्थिति के सबध में निर्णय करना उनके प्रति अन्याय है। सक्षेप में भारत की आधुनिक तरुणी के विचारों का यही निष्कर्ष है कि भारतीय सस्कृति के घेरे में उन्हें रख-कर समाज आधुनिक युग की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरा मत उस मध्यमार्गी महिला वर्ग का है जो भारतीय सस्कृति में उपलब्ध मूल्यों को आधुनिक समाज की आधारशिला बनाने में विश्वास रखता है। पर इस वर्ग की धाराएँ इतनी बद्धमूल हैं कि वह आधुनिक और अतीत में सर्वथा भिन्न परिस्थितियों पर किसी अन्य दृष्टि से विचार करना भी अस्वीकार कर देता है।

तीसरा और बहुसंख्यक महिला वर्ग अभी तक इतना अप्रबुद्ध है कि उसमें सोच के इपर-उपर देखने की भी अपेक्षा कम की जाती है। विचारणीय दानों मनो में आसित सत्य है, किंतु पूर्ण सत्य के लिए दोनों का समन्वयात्मक संयोजन ही आवश्यक रहेगा।

यह सत्य है कि मानव जाति की वैज्ञानिक प्रगति ने विश्व के विभिन्न भूखंडों की दूरी कम करके उनमें सहज सामीप्य की स्थिति उत्पन्न कर दी है, परंतु यह सत्य नहीं है कि इस निकटता ने विश्व को एक कुटुंब या परिवार बना दिया है, अथवा मनुष्य की ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, स्वार्थ आदि की ध्वंसमयी प्रवृत्तियां समाप्त कर दी हैं।

प्रत्युत इस सहज सामीप्य ने मनुष्य को हानि पहचानने की संभावनाओं को बढ़ाकर मानव-समाज में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण प्रत्येक छोटे-बड़े देश का मानसिक सतुलन नष्ट हो गया है। कुछ सघर्ष की स्थिति में हैं और जो नहीं हैं वे सघर्ष की भावी आशंका के कारण उनके लिए आवश्यक तैयारी में सलग्न हैं।

जब एक देश दूसरे देश को हानि पहचानना चाहता है तब दूसरे को अपनी राष्ट्रीयता का ही आश्रय लेना पड़ता है। और सत्य तो यह है कि जिस देश के नागरिक अपनी धरती से जितना अधिक रागात्मक लगाव अनुभव करते हैं वह देश सघर्ष में उतना ही अधिक अपराजेय प्रमाणित होता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग ने प्रत्येक छोटे-बड़े देश को राष्ट्रीयता की दृष्टि से अधिक प्रबुद्ध किया है, यह सत्य उपेक्षा के योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत के तरुण वर्ग का विश्व नागरिकता का स्वप्न केवल सुंदर स्वप्न ही रह सकता है।

दूसरा प्राचीनतावादी मत भी अशत सत्य है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य महत्त्वपूर्ण हैं। परंतु वर्तमान युग की समस्याओं से उनकी सगति न बंधाने पर वे हमारी प्रगति के पथों में बाधाएं पतथर हो जाएंगे। किसी देश की संस्कृति से उस देश के समाज का वही सबंध है जो धरती और बीज का होता है। बीज का वृक्ष होना ही नहीं उनके पल्लवों की हरीतिमा, फूलों का रंग और फल का रसमाधुर्य उसकी मिट्टी के स्वभाव पर निर्भर है। जीवन के अंत और बाह्य विकास क्रम में जो मूल्य और जीवन-मदति बनती चलती है, वही देश विशेष या जाति विशेष की संस्कृति है। विकास की यह धारा एक ओर देश काल से और दूसरी ओर शाश्वत जीवन-मूल्यों से सीमित रहने के कारण प्रत्येक युग में नवीन प्राचीन का सगम उपस्थित करती है। जिस प्रकार नदी को, तट के सीमित अक्षांश से देखने पर भी हमें उसके अलक्ष्य उद्गम और गतव्य का बोध होता रहता है। उसी प्रकार अपने युग के कालखंड में देखकर भी हमें अपनी संस्कृति के आदिम स्रोत तथा लक्ष्य का बोध होता रहता है। इस तारतम्य के टूट जाने पर संस्कृतियां तथा उनमें स्पंदित जीवन नष्ट हो जाते हैं, उनका प्रमाण हमें इतिहास दे सकेगा।

संस्कृति के समान समाज में भी कुछ सामयिक तथा कुछ शाश्वत तत्त्व हैं। मानव-समाज केवल भीड़ या पशुओं के समूह का पर्याय नहीं है। समाना-

अर्जात इति समाज — मे उसके जिस रूप का संकेत है उसमें अनेक बर्तव्यों, विभिन्न रागात्मकता संबंधों और विविध विचारों की सामंजस्यमूलक स्थिति रहती है। ये सभी बर्तव्य तथा संबंध मूल्यात्मक हैं, जो दीर्घ काल के साहचर्य, संवेग और विचारों से निर्मित हो सके हैं।

मनुष्य का सामाजिक साहचर्य द्वारा जैसा विकास हुआ है वह अनेक दृष्टियों से जटिल, पर महत्त्वपूर्ण है। वैसे पशु-पक्षियों में भी सूक्ष्मकारी होने या ममूह में रहने की प्रवृत्ति है, किंतु उम प्रवृत्ति के मूल में उनकी सहज चेतना मात्र है जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए बाध रखती है, एक-दूसरे की भगल कामना से नहीं।

वस्तुतः बौद्धिक प्राणी होने के नाते मानव समाज ने ज्ञान-विज्ञान, नीति, धर्म, भाषा, कला, साहित्य आदि का ऐसा विकास किया है, जो उनके सामयिक जीवन में ही नहीं, अनेक भावी पीढ़ियों के जीवन तक प्रसार पाता रहा है।

भोजन आच्छादन-संग्रह की अपेक्षा ज्ञान-संग्रह के लिए मनुष्य को अधिक घनिष्ठ साहचर्य की ही नहीं, अधिक समय की भी आवश्यकता रहती है। समाज-संरचना और वशवृद्धि की दृष्टि से सबसे घनिष्ठ साहचर्य पुरुष और स्त्री का ही कहा जा सकता है।

अपने सृजन और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण नारी जीवन के कोमल, रहस्य और विवामशील पक्ष का पर्याय है, अतः किसी भी संस्कृति और समाज के विकास का मापदंड उसमें नारी की स्थिति ही मानी जाती है। इस स्थिति को मूलतः समझने के लिए मानव के आदिम विकास पर एक विह्वल दृष्टि डालना उचित होगा।

आदिम विकास की स्थिति में हम प्रायः सभी मानव-समूहों में आश्चर्यजनक समानता मिलती है। विवाह संस्था की प्रतिष्ठा के पूर्व अधिकांश भूमि-खंडों का निवासी मानव-ममूह मातृसत्ता का ही रहा होगा और सतान का परिचय माता के नाम से ही दिया जाता होगा। इसके अतिरिक्त सृजन की रहस्यमयता के कारण मातृत्व के संबंध में आश्चर्यजनक दृष्टियों और रहस्य की कल्पना स्वाभाविक रही होगी। मिस्र, फारस, यूनान, मेसोपोटामिया आदि देशों की प्राचीन संस्कृतियों में मातृशक्ति की पूजा ने विविध रूप ग्रहण किए हैं। मिस्रियों की पूजा देवी आइसिस, मेसोपोटामिया की ईश्वर आदि की पूजा के मूल में आदिम आतंक और आश्चर्य की भावना ही गतिशील रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्य आयुधयुवन मातृदेवी मूर्तियों के संबंध में भी यही सत्य है।

वेदकालीन भारत में हमें जिस प्राचीनतम समाज का परिचय मिलता है वह किसी भी मापदंड से आदिम समाज नहीं है और उसमें नारी की स्थिति के मूल में न आतंक की भावना है और न हीनता ही प्रथि।

एक ओर प्राकृतिक सृजनशक्ति का उन्होंने ऐसा उदात्त मानवीकरण किया है जो जीवन के विकास या प्रतीक है और दूसरी ओर सामाजिक सदस्य के रूप में सब प्रकार के अधिकार-प्राप्त नारी को प्रतिष्ठित किया है। अर्थात्, जिसका अर्थ बचनहीन है, आकाश या प्रतीक तथा मानवों की मुक्तिदात्री मानी गई है। इसी प्रकार सरस्वती ज्ञान का, इडा मेधा का तथा पृथ्वी मातृशक्ति का प्रतीक है। नारी-सौंदर्य का जैसा उदात्तचरण उपर्युक्त सूक्तों में मिलता है वैसा विश्व की किसी अन्य सृष्टि में खोज लेना कठिन होगा। इसमें किसी की भी रूप-वर्णना प्यस के लिए नहीं है।

जहां तक तत्कालीन नारी की सामाजिक स्थिति का प्रश्न है, उसके कर्तव्य तथा अधिकार पुरुष के अधिकारों तथा कर्तव्यों से न भ्रूण हैं, न हीन। जिन्हें समाज अधिकारों से हीन रखना चाहता है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं देता, किंतु तत्कालीन शिक्षा-क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष ही नारी का स्थान है।

विद्याध्ययन की दृष्टि से स्त्रियों के दो वर्ग थे—एक वे, जो ब्रह्मचारिणी रहकर ब्रह्मविद्या में अधिकाधिक योग्यता प्राप्त करती थीं और दूसरी वे, जो एक सीमा तक शिक्षा के उपरांत गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर गृहिणी का कर्तव्य सभालती थीं। ब्रह्मवादिनी महिमाओं में अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषिकाएँ हैं और अनेक दार्शनिक परिपदों में ब्रह्म-विषयक तथा अन्य तत्त्वज्ञान-संबंधी विचार-विमर्शों में भाग लेने वाली विदुषियाँ।

शिवागों के सर्व-धर्म सम्मेलन में सब धर्मों की प्रार्थनाओं में जिसे विशेष महत्त्वपूर्ण माना गया था, वह प्रार्थना ब्रह्मवादिनी में मंत्रेय की है

असतो मा सद् गमय  
तमसो मा ज्योतिर्गमय  
मृत्योर्मा अमृत गमय ।

विद्वत्-सभा में याज्ञवल्क्य को चर्चित कर देने वाली गार्गी के नाम से हम सब परिचित हैं। घोषा, अपाला, तोषामुद्रा, विश्ववारा, श्रद्धा, कामायनी आदि मन्त्रद्रष्टाओं में अम्मूण ऋषि की कन्या वाक् विशेष स्थान रखती है, क्योंकि उसके देवी-सूक्त में आगामी युगों की शक्ति-उपासना के अंकुर मिलते हैं।

अहं राष्ट्रीय सगमनी बसूना तथा अहं रुद्राम धनुरातनोमि आदि ऋचाओं में यह कहती है—मैं राष्ट्र को बाधनेवाली शक्ति हूँ। मैं ही उसे ऐश्वर्यों से सपन्न करती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषियों के सहार के लिए रुद्र का घनुष चढाती हूँ। मैं ही आकाश और पृथ्वी में व्याप्त होकर मनुष्य के लिए सप्राप्त करती हूँ।

स्पष्ट ही वाग्देवी के इस रूप में भावी महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महा-शडी की विविध शक्तियों का समाहार है।

आश्वलायन के गृह्यसूत्रों की समावर्तेन या दीक्षात सस्कार की विधि से

ज्ञात होता है कि सहशिक्षा सामान्य तथा अध्ययन-विधि समान थी। समावर्तन के उपरांत स्नातिकाएँ अध्यापन भी करती थी। यह क्रम ७-८वीं शती तक चलता रहा। शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित मडन मिश्र की पत्नी भारती ने शृंगेरी और द्वारका के मठों में अध्यापन किया और उनका शिष्य संप्रदाय भारती उपनाम से जाना जाता है।

शिक्षा के समान ही समाज की दूसरी महत्त्वपूर्ण सस्या विवाह है जो विभिन्न प्रकृति तथा कर्म वाले दो व्यक्तियों को स्नेह तथा नैतिक बंधन में आवद्ध करती है। भारत में उसे पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। तत्कालीन समाज में पति पत्नी में से किसी के श्रेष्ठ या हीन होने का प्रमाण नहीं मिलता। संभवतः इसका कारण वैदिक विचारप्रणालि है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, बृहदारण्यक उपनिषद् आदि पुरुष और नारी की उत्पत्ति के संबंध में जो विचार उपलब्ध हैं उनका निष्कर्ष है कि एक ओर अद्वितीय ब्रह्म में दो होने की इच्छा सपन्न हुई और उसने स्वयं को दो में विभाजित कर लिया। उसके दक्षिण अंश की सजा पुरुष हुई, वाम की नारी हुई। यह धारणा अन्य धर्मों में वर्णित आदिमानव और आदिमानवी की जन्मकथा से भिन्न है।

एक ही तत्त्व दो में विभाजित होकर भी तत्त्वतः एक ही रहता है। भिन्न सरोवरों में जल की जलीयता भिन्न नहीं हो जाती।

सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का समान महत्त्व, वेदांत की भिन्नता में, एकात्मता आदि में यही धारणा विस्तार पा रही है। शिव का अर्द्ध-नारीश्वर रूप इसी दार्शनिक विचार की भावात्मक परिणति है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस धारणा को मानव विकास की दो भिन्न प्रवृत्तियों का सगम कहा जा सकता है। इन सब तथ्यों से इतना तो प्रमाणित हो जाता है कि जिस समय कुछ संस्कृतियों में स्त्री में आत्मा का होना भी स्वीकार नहीं किया जाता था और कुछ में उसे पुरुष से हीन माना जाता था उस समय भारत के समाज में स्त्री आध्यात्मिक तथा भौतिक दृष्टियों से पुरुष के समकक्ष थी।

वैदिक समाज में वधू अपने पतिगृह की सम्राज्ञी तथा पति के सभी कार्यों में सहयोगिनी रहती थी। उसके शिक्षित, वयस्क और स्वयंवरा होने का प्रमाण विवाह के अवसर पर की गई प्रतिज्ञाओं में मिलता है।

‘सम्राज्ञी श्वश्रुपे भव, सम्राज्ञी श्वश्रुपा भव’ आदि विवाह-मंत्रों में वधू के जिन अधिकारों का कथन है वे गृह ही नहीं, सबधियों में भी उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति ज्ञापित करते हैं।

‘समजन्त विश्वदेवा समापी हृदयानि नो’ आदि मंत्रों में वर-वधू के हृदयों में एकता की कामना भी है और जीवनपर्यंत साथ रहने की प्रतिज्ञा भी। किंतु सहमरण शैली की कोई रीति न विचार में ही मिलती है और न आचार में।

आपस्तव धर्मसूत्र के अनुसार पत्नी धर्मजायी में पति की महर्घामिणी तथा पारिवारिक संपत्ति में सह-अधिकारिणी है। पति की अनुपस्थिति में पत्नी संपत्ति में से दान का अधिकार भी रखती है।

शासन की व्यवस्था सभा, समिति और विद्वानों द्वारा होती थी, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक, यज्ञकर्म, प्राचीन आर्याण आदि विषयों पर विचार-विनिमय और वक्तृताएँ होती रहती थीं। इनमें स्त्रियों का भाषण देना स्वाभाविक था, उसका परिचय हमें विवाह के उस मंत्र से प्राप्त होता है जिसमें घर वधू को संबोधित कर सकता है 'वसिनी त्वं आवदासि' (साधिका तुम विद्वानों में भाषण करोगी)। अध्यात्म-विषयक सम्मेलनों के वाद-विवाद में भाग लेनेवाली गार्गी, सुत्रमा आदि तत्त्वान्वेषिकाओं के नाम भी इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं।

गान, नृत्य आदि कलाओं तथा वातने-बुनने आदि शिल्पों के शिक्षण के साथ-साथ उन्हें अस्त्र-शास्त्र खलाने की शिक्षा भी दी जाती थी। विरपना का युद्ध में जाना या युद्धमाली का शत्रुओं से युद्ध करने से सौ गौं छीन लाना आदि प्रमाणित करते हैं कि उनका कर्मक्षेत्र गृह से युद्धभूमि तक फैला हुआ था।

सारास्य में भारतीय नारी की अतीत पृष्ठभूमि गौरवपूर्ण होने के साथ-साथ मानव विकास का एक उज्ज्वल अध्याय भी है।

प्रकृति के जिस नियम से विकास के चरम बिंदु से ही ह्रास की यात्रा आरंभ हो जाती है, उसी से सम्यक्ता के सारूप्य के प्रतीक वैदिक समाज में परिवर्तन का निम्नगामी क्रम आरंभ हुआ होगा। निरंतर युद्ध भी किसी देश को लक्ष्यतः बदलकर समाज को विष्टलित कर देता है और उसमें विश्रामजनित स्थिरता भी ला देता है।

दाशराज युद्ध तथा पण्डितों या दम्पुओं से निरंतर संघर्ष ने भी तत्कालीन समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा, यह अनुमान स्वाभाविक है।

युद्ध में सतानवती माता सामान्यतः रक्षणीय हो जाती हैं, अतः उनके सहयोग के अनेक द्वार और दिशा खुल जाते हैं। यदि यह स्थिति दीर्घकाल तक रहे तो उस वर्ग के वर्तमान और अधिकारों के विषय में भ्रांति या विस्मृति असंभव नहीं है।

प्रथम ज्ञान की उस परंपरा में जो नारी को परिग्रह का कारण, मुक्ति में बाधक तथा मामा मानती थी और दूसरे युद्धों ने समाज में नारी की स्थिति को इतना प्रभावित किया कि यह सहयोगिणी से पुरुष की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाने लगी।

महाभारत और रामायण का समाज इसका उज्वलत प्रमाण है। साधवी पत्नी की अग्नि-परीक्षा या निर्वासन, पत्नी को छूत कर्म सधन-संपत्ति के समान दाव पर लगाकर हार जाना आदि कार्य स्वस्थ समाज के सूचक नहीं कहे जा सकते।

दाशराज युद्ध के समान ही महाभारत के युद्ध ने राजसक्ति और उससे आरक्षित समाज को छिन्न भिन्न कर दिया था। बौद्धकाल तक यह स्थिति इतनी चिन्तनीय हो उठी थी कि भगवान् बुद्ध को नारियो के उद्धार के लिए उन्हें भिक्षुणी बनने की स्वीकृति देनी पड़ी। इन भिक्षुणियों में सपन्न, विपन्न, सवर्ण, अस्पृश्य सभी वर्गों की नारियाँ हैं जिनमें से अनेक धर्म-प्रचारार्थ भारत से बाहर भी गईं और अनेक साधना तथा साहित्य-रचना में सलग्न रही। येरी गाथाएँ उन भिक्षुणियों की विद्वत्ता, संवेदनशीलता आदि गुणों का अतक्य प्रमाण हैं।

वस्तुतः स्मृति युग तक पहुँचते-पहुँचते समाज की सृष्टि तथा विष्टि ऐसी सघि तक पहुँच गई कि पूर्व आदर्श तथा तात्कालीन विषय यथार्थ का एक ही विदु पर मिलना अनिवार्य हो गया। इसी से मनुस्मृति में एक ही शास में 'यत्र नायंस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता' में एक स्वर धाँसता है और 'न स्त्री स्वातन्त्र्य-महंति' में दूसरा। इसके कारण हैं। आदर्श मानव-समाज के उन मूल्यों द्वारा निर्मित होना है जो भावात्मक होने के कारण उसके मनोजगत् में दीर्घकाल तक सुरक्षित रहते हैं और यथार्थ तात्कालिक समस्याओं के बौद्धिक निदान का परिणाम होने के कारण आदर्श से विच्छिन्न हो जाता है। किसी जानि की बाह्य परिस्थितियाँ जब उसके जीवन को शीघ्र खडहर बना देती हैं, तब भी उसके आदर्शों की प्रतिमाएँ उज्ज्वल और अखण्डित रह सकती हैं। इसी कारण आदर्श युगों के आधी-सूफानों को पार कर कही धर्म, कही परपरा और कही साहित्य में सुरक्षित चले आते हैं।

स्मृतिपत्रों में मानवधर्म-शास्त्र या मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था-सबधी ऐसे विधि-निषेध हैं, जिनकी उत्तरवैदिक समाज से लेकर अब तक प्रतिष्ठा रही है। संभवतः यह ग्रन्थ ईसापूर्व तीसरी या चौथी शती में लिखा गया और इसके कुछ अंशों के समय-समय पर जोड़े जाने की संभावना भी है। इसने नारी के सभी अधिकारों को सवीर्ण किया, इसमें सदेह नहीं। पर महाजनपदों, गणराज्यों आदि के विकास में भारतीय नारी यथापूर्व अपना सहयोग देती रही और यह सहयोग चौथी ईस्वी शती तक राज्य के सकट अथवा युद्धकाल में सुलभ रहा। शातवाहन वंश की नायनिका, वाकाटक वंश की प्रभावती, कश्मीर की दिहा, चालुक्य वंश की विजय भट्टारिका आदि के जीवन और कार्य इसके प्रमाण हैं।

येरी गाथा की साधिका कवयित्रियों के समान ही सस्कृत में विज्जका, मारुला, इदुलेखा आदि ने भी सुंदर वाक्यरचना की।

सघर्षरत राज्यों में विभाजित, आक्रमणों के कारण व्यस्त और श्रांत मध्य-युग में सामाजिक दृष्टि से नारी की स्थिति ही नहीं हुई, किंतु अपने शौर्य तथा आत्मदान से उसने नैतिक स्तर पर एक अद्भुत वर्चस्व प्राप्त कर लिया।



मध्य-युग के महत्पूर्ण अवदानों में, चैतन्य का आविर्भाव, सगुण भवतों द्वारा समाज में शक्ति, शील और सौंदर्य की प्रतिष्ठा, निर्गुणोपासन सती द्वारा जीवमात्र की समानता का उद्घोष, तत्रसाधकों द्वारा मानवी शक्तियों में अलौकिकता का प्रतिपादन आदि बड़े कार्यें हैं। जाति-भाति, जन्मना उच्च-नीच आदि की भित्तियों को गिराने का कार्य भी उसी युग में आरंभ हुआ।

इन सब प्रवृत्तियों से नारी-समाज में परिवर्तन स्वाभाविक था। एक ओर हमें युद्धों में सहयोग देनेवाली तथा जौहरघत करने वाली पद्मिनी, कर्णदेवी जैसी वीरांगनाएँ प्राप्त हुईं और दूसरी ओर मीरा, सहजो, दयाबाई आदि साधिकाएँ। इनमें प्रथम वर्ग को सामाजिकता के लिए अवकाश नहीं था तथा दूसरा वर्ग समाज-स्वायत्त के लिए विवश था। साहित्य में भी नारी का चित्र समाजानुकूल ही मिलता है। मीरा पत्नी होने के कारण कष्ट सहने को बाध्य थी और राधा पत्नी न होने के कारण। तत्र-साधक अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए स्त्री को साधन बनाने की साधना करते थे और निर्गुणवादी मत उसे माया कहकर छोड़ने की साधना करते थे। वहीं वह देवताओं के मनोरजन के लिए देवदासी बनी और वहीं पुरुष के मनोरजन की सामग्री।

वस्तुतः उस युग में स्त्री के अधिकार और कर्तव्य संबंधी मान्यताओं की परीक्षा कठिन ही थी।

मत्स्य तो यह है कि मानवी रूप में उसे स्वीकार कर उसके मानवीय अधिकारों का प्रश्न उन्नीसवीं शती के सुधारकों ने उठाया। महर्षि दयानंद, राजा राममोहन राय आदि ने उस सामान्य नारी की व्यथा का अनुभव किया, जिसके पास अधिकार के नाम पर दासता थी और कर्तव्य के नाम पर प्राणदान। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान और ब्रह्मसमाज का प्रारंभ दोनों ही जागरण के लिए वैतालिक सिद्ध हुए। सती, बाल-विवाह जैसी प्रथाओं के विरोध तथा विधवा-विवाह, शिक्षा आदि सुधारों ने तत्कालीन नारी समाज को जो दिशा दी, उसपर चलने की शक्ति उसे देश के सांस्कृतिक जागरण से प्राप्त हुई। भारत माता के मंदिर में जो दीप जला, उसके आलोक से मातृप्रतिभा के चरण ही नहीं आलोकित हुए, भारत की अधोमुखी नारी की मुख-छवि भी उज्ज्वल हुई।

प्रथम बार भारत के भिन्न जाति, धर्म और संप्रदायों के व्यक्तियों ने एक होकर विदेशी शासन से मुक्त होने का प्रयास किया और नारी ने संपूर्ण प्राण प्रवेग से साथ देकर अपने समर्थ सहयोगी होने का प्रमाण दिया। शत्रुओं ने भी जिसका, सुयोग्यतम सेनापति होना स्वीकार किया है, उस भासी की वीरांगना को यदि तत्कालीन पुरुष-समाज का विश्वास और अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होतीं, तो संभवतः क्या दूसरी होती। अनेक अतः शत्रु दुर्बलताओं तथा अपने ही व्यक्तियों के विरोध के कारण वह विद्रोह असफल हुआ। किंतु स्त्री

की अपनी शक्तियों की खोज न समाप्त हुई और न असफल । तब से उसकी यात्रा आलोक से और अधिक आलोक की ओर ही होती रही है ।

राष्ट्र-जीवन में, उस सफलता से, जो जाति को अहंकार से मूर्च्छित कर देती है, वह असफलता मूल्यवान कही जायगी, जो उसे झुनझुन कर मार्ग पर खड़ा कर देती है ।

बीसवीं शती का जागरण अनेक दृष्टियों से अन्य क्रांतियों से भिन्न ही नहीं था, वह बाह्य दृष्टि से अधिक व्यापक तथा अंतर्दृष्टि से अधिक गहरा भी था । उसमें सामान्य जन का आह्वान भी था तथा नैतिक मूल्यों की दृष्टि से उसे विशिष्ट बनाने का प्रयत्न भी । वस्तुतः इस स्वातंत्र्य संग्राम में अपने अस्त्र-शस्त्र ही नहीं, उन्हें चलाने वाले और उनके लक्ष्य शत्रु भी बदल गये थे । अस्त्र-शस्त्रों का स्थान अहिंसा, सत्य आदि नैतिक मूल्यों ने ले लिया था, इनका प्रयोग करने वाले वे सामान्य जन थे जो इनका उपयोग भूल चुके थे, लक्ष्य विपक्षी का हृदय-परिवर्तन था और जय सबके लिए स्व की प्राप्ति थी । वास्तव में हमारा स्वातंत्र्य-संग्राम राजनीतिक से अधिक मूल्यात्मक भाति था, इसी कारण उसका स्पर्श जीवन के सभी पक्षों और विशेषतः उपेक्षित पक्षों ने गहराई तक अनुभव किया । संस्कृति, भाषा, कला, साहित्य, धर्म, नीति आदि में वह दीप्ति उसी प्रकार विचछुरित हुई जैसे अनेक शीशों पर एक ही दीपशिखा प्रतिफलित होती है ।

महात्मा गांधी की इस उक्ति का, कि यदि माताएँ साथ नहीं आती तो मैं सौ वर्ष प्रयत्न करके भी देश को स्वतंत्र नहीं कर सकूँगा, का जैसा उत्तर भारत की नारी ने दिया वह उसकी व्यापक पीड़ा और युगव्यापी अशिक्षा देखते हुए अवल्पनीय था । कारण स्पष्ट है ।

भारत का सामान्य जन, जिसमें स्त्री भी सम्मिलित है, शिक्षित न होकर भी संस्कृत है । जीवन-मूल्यों से उसका परिचय अक्षरों द्वारा न होकर अनुभवों द्वारा हुआ है, अतः उनका संस्कार समय के साथ गहरा होता गया है । आज भी नीति, धर्म, दशन, आचार, कर्तव्य आदि का एक सहज बोध रखने के कारण भारत का अशिक्षित समुदाय, शिक्षित समुदाय की अपेक्षा घरती के अधिक निकट और जीवन संग्राम में ठहरने के लिए अधिक समर्थ है ।

हमारे स्वातंत्र्य-संग्राम में, अशिक्षित पर संस्कृत, शिक्षित पर असंस्कृत दोनों वर्ग का प्रतिनिधित्व है । उसमें नारी की परंपरागत सीमाओं में इतना परिवर्तन नहीं हुआ, जितना उसके मानसिक जगत् में स्वाभाविक ही गया ।

उसकी तुलना उन पक्षियों से की जा सकती है जो जाल से मुक्त न होकर भी जाल के साथ ही आकाश में उड़ जाते हैं । बेड़ियाँ टूटी नहीं, रुड़ियाँ छूटी नहीं, किंतु उसने मुक्त आवास का स्पर्श पा लिया । इस प्रकार मुक्ति और बंधन दोनों साथ रहे और भेरे विचार में आज भी हैं । इसके अतिरिक्त स्वतंत्र होने

के उपरांत विभाजन की रक्त से उपनती वंतरणी ने भी उसे गहरे धाव दिये हैं।

सम्मुख सघर्ष में लगे धाव वीरता के प्रमाण पत्र होते हैं, अतः उनसे मनोबल बढ़ता है। किंतु अहेरियो से घिरे पशु के समान विवश स्थिति में जो आघात मिलते हैं, वे अपनी दुर्बलता का प्रमाण होने के कारण आहत को अधिक हीनता का अनुभव कराते रहते हैं।

इस सबध में स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय नारी किसी भी अर्थ में न सांप्रदायिक है और न कठोर विध्वंसक। उसी से समाज की पाशविक वृत्ति उसे स्तब्ध, मूर्च्छित या भ्रात करती रही है। परंतु जिस नियम से चदन में अग्नि रह सकती है या तूल जैसी हल्की वस्तु बठित हो सकती है उसी नियम से अपने शील और सहनशीलता के लिए विरूपात नारी में विध्वंसक विद्रोह जाग उठता है और तब समाज सांस्कृतिक सकट की स्थिति में पहुंच जाता है। यह विद्रोह भारतीय नारी में न स्वातन्त्र्य-संग्राम में जागा था और न स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय। यह आक्रोशपूर्ण विद्रोह आज जागा है और इसके अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण हैं।

स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत भारतीय नारी की स्थिति में राजनीतिक और वैधानिक दृष्टि से जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनके अनुसार समाज में परिवर्तन नहीं हो सका।

भारतीय संविधान ने उसे मताधिकार ही नहीं नागरिक के सभी अधिकार प्रदान किये। उसके कर्मक्षेत्र में भी अधिक विविधता तथा व्यापकता आ गई। उत्तराधिकार, दहेज, विवाह-विच्छेद-संबंधी विधान बन जाने से उसके वैधानिक अधिकारों में भी वृद्धि हुई किंतु भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई। अतः समाज के गठन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन सम्भव नहीं हो सका। समाज में समय और आवश्यकता के अनुसार जो कुछ टूट जाता है वह भी अपने स्थान पर रह जाता है और जो नया बनता है वह भी। मानो एक ही यंत्र में डीले-कसे दोनों प्रकार के पेच और बोल्ट हो।

समाज में एक प्रकार से कई युग एकसाथ जी रहे हैं। कारण स्पष्ट है। शासन लिखित विधान से चलता है और समाज अलिखित परंपरा से संचालित होता है।

समाज की अलिखित परंपरा में परिवर्तन का कारण उसके सदस्यों की मूल्यात्मक या सांस्कृतिक दृष्टि ही रहती है। दुर्भाग्य से उस मूल्यात्मक दृष्टि का हमारे समाज में अभाव है। विधान में बाल विवाह का निषेध है, समाज में बाल-विवाहों का क्रम निरंतर है। विधान में दहेज लेना निषिद्ध है, समाज में विवाह के लिए उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। विधान में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खुले हैं। समाज उच्चशिक्षित महिनाओं का अविश्वास करता है।

विधान अस्पृश्य को दूर रखने पर दंडित है और समाज अस्पृश्य को पास लाने पर बहिष्कार करता है। इस घात-प्रतिघात में न निर्माण संभव है, न ध्वंस।

जब वैधानिक स्थिति और सामाजिक स्थिति परस्पर विरोधी हो, तब सदस्यों के अधिकार अलंकारमय रह सकते हैं।

समाज वास्तव में मानव-संबन्धों की सामंजस्यपूर्ण स्थिति की सज्ञा है, अतः संबन्धों के स्वस्थ रूपों पर ही समाज का स्वास्थ्य निर्भर रहता है। अस्वस्थ समाज राष्ट्र का सबसे क्रूर शत्रु है, इस सत्य को अभी हम पूर्णतः समझ नहीं सकते हैं।

उन्नीसवीं शती के द्रष्टा और सुधारकों की दृष्टि इस ओर गई थी और उन्होंने मानवीय संबन्धों के परिष्कार का प्रयत्न भी किया था। बीसवीं शती का अधिकांश, स्वतंत्रता की संघर्ष-कथा है। उस समय दृष्टि का केंद्र विदुषी विदेशी शासन से मुक्ति ही रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उक्त केंद्र-विदुषी से छूटी दृष्टि ने केवल अधिकार की दिशाएँ खोजीं।

परिणामतः राजनीति तथा समाज दोनों ही पक्ष-विपक्षों में बंट गये।

इस सदम में साहित्य की भूमिका भी विशेष महत्वपूर्ण रही है। वैसे तो भारतीय जीवन ने जितने चढ़ाव-उतार दखे, जितने आलोक अधिकार के आग्रह पार किये, सबसे साहित्य उसका निरंतर और विद्वस्त संगी रहा है किंतु उन्नीसवीं शती के जागरण से बीसवीं के छः दशकों तक उसकी सीमा को जैसा विस्तार मिला है, उतने जीवन के किसी पक्ष को अछूना नहीं छोड़ा। जटिल मनोविज्ञान से स्थूल इतिवृत्त तक, देश के ज्ञान से विदेश के विज्ञान तक, चार्वाक से फ्रायड तक, कालिदास से सार्त्रे तक, मार्क्स से गांधी तक सब कुछ भारतीय साहित्य की सीमा में आ गया है।

नारी जागरण की दृष्टि से तो साहित्य उसके स्वत्व और व्यथा का समर्थ व्याख्याकार ही रहा है। कवियों के खंभे में भारत की जय ही नहीं गूजी, नारी की जय भी ध्वनित हुई है। कथाकारों की आँखों में, भारतमाता की परवशता पर ही आसू नहीं आये हैं, विवश नारी के बंधनों पर भी आये हैं। बकिम, रवीन्द्र, धरत, मैथिलीशरण, प्रसाद आदि ने भारतीय नारी की महिमा की परिधि में उसकी युगांतर दीर्घ मर्मव्यथा को बाणी दी है। इसी से उनके साहित्य में गंगा यमुनी आभा है।

महिलाओं ने इस रचनापर्व में कितना सहयोग दिया है, यह हेमन्तकुमारी चौधरानी, सरोजिनी नायडू, सुभद्राकुमारी चौहान, तोरणदेवी आदि की रचनाओं से प्रकट है।

आर्थिक दृष्टि से आज की स्त्री को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसके विस्तार की असंख्य संभावनाएँ हैं। जैसे-जैसे उसके कर्मक्षेत्र की लक्ष्मणरेखा मिटती जाती है वैसे-वैसे वह नवीन वर्तव्य समालने की क्षमता प्राप्त करती

जाती है। पर समाज की स्थिति के कारण, यह आर्थिक स्वावलम्बन भारतीय स्त्री को पारिवारिक सहानुभूति से वंचित कर अकेला बनाता जाता है। पुरुष अकेला हो सकता है, परंतु स्त्री अनेक सवधों की बँट्ट होने के कारण एक सस्था के समान है। उसके लिये अकेलापन, एक प्रकार का निर्वासन दंड बन जाता है और उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उल्लाम के साथ दकिन जितनी गरिमापूर्ण हो जाती है, क्लान्ति या थकावट के साथ उतनी ही दयनीय।

इस सबध में परिचम की नारी का जीवन भी द्रष्टव्य है। उसके पास शिक्षा है। स्वतंत्र जीवन है, विस्तृत कर्मक्षेत्र है, किंतु गृह की इवाई टूट गई है और इस टूटने की रिक्तता ने उसके मनोबल को भी तोड़ दिया है। आज वह जिस आत्मघाती उन्माद में क्रियाशील है, वह मानसिक निष्क्रियता का परिणाम है। भौतिक सुविधाएँ सुलभ करने वाले कर्मक्षेत्र ने उसके जीवन को अपने भार से ही चूर-चूर कर डाला है।

नवीन युग की भारतीय नारी भी इस भार का अनुभव कर रही है जो बाहर से हर क्षण को भरकर भीतर की हर मांस को खाली कर देता है। स्वतंत्रता सब के लिए जीने की शक्ति न दे सके तो मनुष्य के लिए प्रसाधनमात्र रह जायेगी और सबके लिए जीने की विद्युत् सहानुभूति के जल में उत्पन्न होती है।

आधुनिक युग, परतत्रो और पीड़ितों के उत्थान का युग रहा है और उनके उत्थान से मानव समाज के सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।

युग की अनेक उपलब्धियों में सबसे मूल्यवान उपलब्धि मानव-गरिमा की सार्वभौम स्वीकृति है। इस सदर्भ में संयुक्त राष्ट्र का १९४८ का घोषणापत्र भी उल्लेखनीय है, जिसने स्त्री-पुरुष, वर्ण, देश, जाति, धर्म आदि के भेदों को पार कर मानवमात्र की समानता और उसके जन्मजात अधिकारों को वाणी दी। ये अधिकार, मनुष्य की राजनीतिक स्वतंत्रता से लेकर उसके बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास तक फैले हुए हैं।

घोषणापत्र मनुष्य की व्यक्तिगत विशेषताओं को स्वीकृति देते हुए, उसको प्राप्य समान सुविधा की परिभाषा प्रस्तुत करता है। एक निश्चित जीवनस्तर के नीचे जीवन यापन करनेवाला मानव भौतिक अभावों से भी ग्रस्त होता है, उसके दीर्घ जीवन की संभावनाएँ कम हो जाती हैं और उसकी मनुष्यता निम्नतर होती जाती है। भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ मनुष्य का शिक्षा तथा संस्कृति पर भी जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है।

आत्मगौरव के जागरण तथा सामयिक परिस्थितियों ने विश्व के सभी पराधीन और उपेक्षित देशों को स्वतंत्रता की ओर अग्रित ही नहीं किया, उन्हें अपनी-अपनी संस्कृति, भाषा, शिक्षा के विकास की ओर भी उन्मुख किया। विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति हुई कि मनुष्य चंद्रमा पर भी अपने

चरणचिह्नो से अपनी प्रगति का इतिहास लिखा आया ।

यातायात के वैज्ञानिक साधनों के कारण पृथ्वी पर दूर-दूर बसे मानवों के बीच दूरियां समाप्त हो गईं और विश्व पहले से छोटा जान पड़ने लगा । एक की वैज्ञानिक उपलब्धि से प्राप्त सुविधा का उपभोग अनेक करने लगे, यह भी सत्य है । और एक के वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों से अनेक आतंकित होने लगे, यह भी सत्य है । एक देश के चिंतन मनन, साहित्य, जीवन-पद्धति आदि का दूसरो पर प्रभाव पड़ना जितना सहज हो गया, अपनी जीवन पद्धति, चिंतन-मनन आदि को सुरक्षित रखने की चिंता भी उतनी ही अधिक होने लगी ।

इम प्रकार राष्ट्रीय चेतना तथा विश्व चेतना की टकराहट से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उससे जनमानस भी अस्थिर हुआ और समाज भी ।

समाज के अनेक सबधों का केंद्र होने के कारण भारतीय नारी और विशेषतः नवीन पीढ़ी की नारी में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई, उसने अतीत से चली आई अनेक मान्यताओं को खंडित कर दिया है और अनेक समस्याओं को जन्म दिया है । ये समस्याएं जीवन के अनेक क्षेत्रों से सबध रखने पर भी उद्गम की दृष्टि से एक हैं ।

राजनीतिक दृष्टि से भारत की नारी अधिक अधिकार-संपन्न है । उसका कारण है । यहाँ नारी ने अपने वर्गगत अधिकारों के लिए सघर्ष न करके संपूर्ण देश की स्वतंत्रता के लिए किया है । प्रथम मुक्ति संग्राम की सेनानी लक्ष्मीबाई, सशस्त्र क्रांति की अनेक जानी-अनजानी क्रांतिकारिणियां, आजाद हिंद सेना की नारी सैनिकाएं तथा द्वितीय स्वतंत्र आंदोलन की नयियां—सबका सघर्ष तथा आत्मोत्सर्ग संपूर्ण देश की मुक्ति के लिए था । भारत के भंडे का श्रेय जिसे है वह भीखाबाई कामा भी विदेश में निर्वामित जीवन व्यतीत करती रही ।

परिणामतः नारी की वर्गगत महत्ता के स्थान में राष्ट्रगत प्रतिष्ठा मिल सकी है ।

इंग्लैंड जैसे प्रबुद्ध और सविधान-प्रिय देश की नारी को सफे जिस्ट मूवमेंट जैसे आंदोलनों के द्वारा दीर्घकाल तक मताधिकार के लिए सघर्ष करना पड़ा । तब १९१८ में वह मताधिकार प्राप्त कर सकी । साहित्य और सस्कृति में अग्रगामी माने जाने वाले फ्रांस देश की नारी को मताधिकार १९२० में मिल सका है । चंद्रमा को छू आने वाले तथा वैज्ञानिक प्रगति के घनी अमेरिका की महिलाओं को भी इस अधिकार के लिए सन् १९४४ तक प्रतीक्षा करना पड़ी । आज भी अनेक देशों की नारियां मताधिकार पाने के लिए ही सघर्ष कर रही हैं ।

भारत की शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित नारी ने भी भारत के गणराज्य बनते ही स्वाभाविक और सहज रूप से पुरुष के साथ ही मताधिकार पा लिया । स्वतंत्रता के पूर्व भी उसे सम्मानित स्थान मिलते रहे । सन् १९१६ में एनी-

सेसंट तथा १९२५ में श्रीमती सरोजिनी नायडू मुख्यप्रधान कांग्रेस के अध्यक्ष-पद पर प्रतिष्ठित हुईं और प्रचार-प्रसार आदि की दृष्टि से उनका कार्यकाल विशेष महत्त्वपूर्ण रहा ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद्, विधानसभा आदि में अधिक संख्या में महिलाओं ने प्रवेश किया । प्रथम मंत्री के रूप में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती सुचेता कृपलानी, प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू का कार्य उनके अधिकारों के समान ही गरिमामय रहा है ।

परंतु इन ऊँचे दीपाधारों के नीचे विस्मृत और अधेरी छायाएँ भी डोलती रहती हैं, जो भारत की बहुसंख्यक, अशिक्षित तथा रुढ़ियों की बंदिनी नारियों की हैं । प्रत्येक राजनीतिक दल में महिलाओं का स्वागत है, परंतु उनकी उपयोगिता के संबंध में पुरुष समाज अब तक द्विविधा में है । वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक सिद्धांतों का विघटन हुआ है तथा उसके खड्ग पर स्वाधो का गठन होता जा रहा है । राजनीतिक क्षेत्र की नारी के समक्ष दो ही विकल्प शेष हैं, स्थिति से समझौता करना या उससे सघर्ष की भूमिका को स्वीकार करना । गृह की भित्तियों में लौटकर बंदी हो जाने का विकल्प उसे आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके लिए जड़ता या मृत्यु का पर्याय है । आकाश में असंख्य आसर्वाएँ रहने पर भी पक्षी पक्ष में नहीं लौटना चाहता । तबिन राजनीतिक स्थिति के समान ही सनातन सामाजिक स्थिति भी विषम हो गई है ।

नारी की दृष्टि से हमारा समाज चार वर्गों का सघात कहा जा सकता है—उच्च या अत्यंत संपन्न वर्ग, उच्चमध्यम वर्ग, निम्नमध्यम वर्ग तथा श्रमिक-सर्वहारा वर्ग । इनमें से श्रमिक वर्ग की नारी को पति के साथ श्रम के सभी कार्यों में सहयोग देने का भी अधिकार है और विषम सामाजिक संबंधों को तोड़ डालने का भी । परंतु श्रम का आधिक्य और जीवन की सुविधाओं का सर्वथा अभाव उसकी मुक्ति की दीप्ति को मलिन करते रहते हैं ।

इसके विपरीत जिसे उच्च और संपन्न वर्ग की सजा दी जाती है, उसमें नारी शिक्षित, संस्कृत और कलाकुशल होने पर भी अंतकार-मात्र है । उसे न अपनी गृहस्थी के लिए श्रम की आवश्यकता है और न सतान के लिए । वैभव से घिरी संपन्न वर्ग की महिला अपने मनोरंजन के लिए कोई सामयिक सामाजिक कार्य कर सकती है, किंतु उसका प्रधान बर्तव्य शृंगारित-प्रसाधित होकर भोज की मेज पर बैठना या पति के साथ अपने वर्ग के समाज, सभा आदि में उपस्थित होकर पति के गौरव में वृद्धि करना ही रहता है । उसके हर कार्य की परीक्षा उसके समाज की प्रतिष्ठा की दृष्टि से ही की जाती है, अतः आज के व्यापक नारी-जागरण के कारण उसमें भी अस्तित्व जागने लगता है ।

उच्च-मध्यवर्ग, मपन्न-वर्ग से दूर होकर भी उसके समान दिखने की भावना से ग्रस्त रहता है और निम्न-मध्यवर्ग सर्वहारा के समीप होकर भी उससे दूर दिखने के आडवर में व्यस्त। इस प्रकार मध्यवर्ग में कहीं परंपराएँ टूटती हैं और वही बनती हैं। सभी क्षेत्रों में मध्यवर्ग के व्यक्ति ही कार्य करते हैं, परिणामतः समाज का विकास या ह्रास बहुत कुछ इसी वर्ग पर निर्भर रहना है। कार्यालय से लेकर कला, साहित्य तक मध्यवर्ग की गति है, अतः उसका असतोप भी अनेकरूपी है। कभी असतोप के कारण आर्थिक हैं, कभी सामाजिक और कभी मानसिक द्वंद्व।

इस समाज की नारी को भी घर-बाहर, नवीन पुरातन आदि की अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। भारत के भावी नारी-समाज की रूप-रेखा इन्हीं समस्याओं के स्वस्थ निराकरण पर निर्भर रहेगी।

अर्थ का अभाव और स्वावलम्बन की इच्छा दोनों ने मध्यवर्ग की शिक्षित नारी को घर से बाहर आने में सहायता दी है, किंतु अभी तक दोनों ही क्षेत्रों में उसकी स्थिति शका से देखी जाती है।

सामाजिक दृष्टि से समुक्त परिवार की व्यवस्था टूट गयी है, किंतु व्याय-हारिक दृष्टि से घर में पति-पत्नी सतान की सीमित इकाई में वृद्ध माता-पिता अवयस्क भाई, अविवाहित बहनों तथा अन्य निकट और असमर्थ सबंधियों की स्थिति यथापूर्व है। नगरों में स्थानाभाव के कारण अधिकांश मध्यवर्गीय घर तीसरे दर्जे के मुसाफिरखाने जैसे जान पड़ते हैं। सामान्यतः बाहर से धक्कर व्यक्ति घर में विश्राम और शांति पाने की आशा के साथ आता है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में घर के साथ विश्राम या शांति की सगति नहीं बैठती। सबंधों में सघर्ष और कटुता, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव, घर में कोई निश्चिंत केंद्र-संचालक न होने के कारण अव्यवस्था आदि ने मिलकर घर के वातावरण से किसी मानसिक लगाव को असंभव कर दिया है। इस स्थिति में गृहणी ही नहीं, तरुण-तरुणियाँ पर भी अस्वस्थ प्रभाव डाला है। कभी-कभी आर्थिक कारणों से और कभी घर के वातावरण से मुक्ति पाने के लिए शिक्षित नारी बाहर कार्य खोजती है। अनेक महिलाओं ने लज्जा के साथ स्वीकार किया कि वे घर से मुक्त होने के लिए ही विवाह विच्छेद चाहती हैं, पतियों के किसी दोष के कारण नहीं। तरुण विद्यार्थी-विद्यार्थिनियाँ स्पष्ट कहते हैं कि घर के वातावरण में सास लेना कठिन होने के कारण वे बाहर ही घूमते रहना चाहते हैं।

जिस घर और परिवार में मनुष्य जन्म लेता और दौंसव बिनाता है, उसके सस्कार जीवनपर्यंत नहीं मिटते। ऐसी स्थिति में जो दस वर्ष की बालिका या बालक आगामी दशक में बीस वर्ष के तरुण-तरुणी होंगे वे कैसे सस्कार प्राप्त



कर रहे है। यह विचारणीय है यह कहना कि बिद्व भर मे ऐसा हो रहा है, अत हमारी स्थिति चिंतनीय नहीं, समीचीन नहीं है, इस तर्क से हम ऐसे दुष्चक्र में फस जाते हैं जिसका वही छोर नहीं मिलता।

पश्चिम में जो औद्योगिक तथा वैज्ञानिक प्रगति हुई है, उसने मनुष्य को सुविधा की दृष्टि से सपन्न बनाकर प्रतिस्पर्धा के जिस निर्भय बाजार में खड़ा कर दिया है, उसमें मानवीय मूल्यों के विकास की संभावना नहीं है। इस परिस्थिति से उनके दूरदर्शी विचारक स्वयं भी चिंतित हो उठे हैं। इसके विपरीत हमारे देश में अभी कृषि संस्कृति का युग समाप्त नहीं हुआ, जिसमें मानवीय मूल्यों का सृजन और संस्कार दोनों होते हैं।

पश्चिम की आत्मघाती प्रवृत्तियों का अधानुसरण हमारे लिए वंसा ही हास्यास्पद है जैसे किसी पशु के अनुकरण में अपने पैर काट लेना। महिलाओं की दृष्टि से बाहर का कार्यक्षेत्र अब तक सीमित है। कारखानों में सर्वहारा वर्ग की स्त्रिया ही जाती हैं। राजनीति का कार्यक्षेत्र विशेष अवकाश और साधनों की अपेक्षा रखता है। शिक्षण होने के लिए विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक है। डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि के कार्य भी दीर्घकालीन शिक्षण और व्ययसाध्य हैं। इंजीनियर और अन्य मंत्र-संबंधी विभागों में स्त्रियों का प्रवेश अभी आकाश-कुसुम है। प्रतियोगिताओं में उत्तीर्ण जो महिलाएँ उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं, उनकी योग्यता के विषय में भी कोई अब तक आश्चर्य नहीं हो सका है। यह स्थिति कभी-कभी इतनी दुर्वह हो जाती है कि स्त्री का मनोबल और आत्म-विश्वास ही खंडित हो जाता है। कोई भी स्वाभिमानी हर क्षण परीक्षा देने को अपमान ही मानता है। एक बार अग्नि-परीक्षा दे चुकने वाली सीता क्या दूसरी बार अग्नि-भय से परीक्षा नहीं दे सकती? आत्मविश्वास मनुष्य का आंतरिक बल है और दूसरों का अपने प्रति विश्वास उसका अथक साथी है। दोनों को न मिलने पर यात्री निर्बल और एकाकी हो जाता है। सामाजिक स्थिति के कारण भारत की स्त्री घर-बाहर सब क्षेत्रों में सदेह से देखी जाती है, जो उसके आत्म-विश्वास के लिए विष है। समाज उसे सहस्राक्ष की कठोर दृष्टि से देखता है और परिवार व्यग्रपूर्ण उपेक्षा से।

यह सत्य है कि अनेक युगों से स्त्री के मामले ऐसा मुक्त तथा व्यापक क्षितिज नहीं आया जैसा आज है, या जैसा निवृत्त भविष्य में आने की संभावना है। विगत युगों से उसे स्वतंत्र रूप से किसी दिशा या मार्ग को चुनने का अधिकार नहीं था। धर्म के प्रतिनिधि समाज ने युग की परिस्थिति के अनुसार स्त्री के लिए जो दिशा या कर्तव्य निश्चय कर दिया, उसी की सीमा-रखा व भीतर आचरण अच्छा या बुरा हो सकता था। एक समय में एक ही लक्ष्य या धर्म निश्चित था, जिसकी ओर स्त्री को बिना तर्क किये चलना था और उस लक्ष्य

तक पहुँच जाना ही उसके जीवन की सार्थकता का प्रमाण माना जाता था ।

तब समष्टि ही व्यक्ति की नियामक थी और अब व्यक्ति ही समष्टि का निर्माता है ।

आधुनिक युग में नारी केवल पत्नी, माता आदि सबघो के द्वारा ही अपना परिचय नहीं देती, वह अपने-आपको राष्ट्र या समाज के उत्तरदायी नागरिक के रूप में उपस्थित करती है ।

यह सत्य है कि प्रकृति ने अपने सृजनक्रम के लिए पुरुष और नारी की रचना की है, परंतु मनुष्य तो प्रकृति का अस्त्र-मात्र नहीं है । फिर जीवन का बहुत-सा अंश ऐसा है जिसमें वह प्रकृति के उद्देश्य की सिद्धि नहीं करता । ऐसी स्थिति में उसके व्यक्तित्व के अन्य उपयोग भी होंगे जो उसे समाज, राष्ट्र और विश्व का मदस्य बनाते हैं ।

प्रबुद्ध चेतना के बिना नवीन मनोविज्ञान को तत्त्वतः समझना कठिन होने के कारण, इस स्वतंत्रता में उच्छ्रूलता का भ्रम हो जाना सहज है ।

नवीन सदर्भ में शिक्षा को जैसा रूप मिलना अनिवार्य था, वह नहीं दिया जा सका ।

स्वतंत्र होने के पूर्व हमारी शिक्षा का जो लक्ष्य था, वह स्वतंत्र देश के अनुरूप न था, न हो सकता था । परंतु वर्तमान शती के पाचवें दशक से अब तक भी उसमें तत्त्वतः परिवर्तन न होना देश के सर्वांगीण विकास के लिए घातक ही सिद्ध हुआ है ।

भारतीय महिला समाज में अशिक्षितों की संख्या ८१ प्रतिशत है । १६ प्रतिशत में अधिक संख्या साक्षरों की है, शेष में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षिताएँ हैं ।

इस प्रकार उच्च शिक्षाप्राप्त महिलाओं की संख्या नगण्य ही बही जाएगी परंतु संख्या की दृष्टि से उपेक्षणीय इसी वर्ग पर सामान्य नारी का दिशा-निर्देश निर्भर है ।

संक्रातिकाल में ऐसा नेतृत्व स्वाभाविक ही कहा जा सकता है, किंतु स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माणकाल में समष्टि का अधिकार व्यक्ति से अधिक रहता है । एक शिक्षित पर एक लाख अशिक्षितों का बोझ हो तो उनकी अपनी यात्रा ही कठिन हो जाती है, समग्र देश या समाज को साथ ले चलने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस वर्तव्य के निर्वाह के लिए समाज की जो अनुकूलता उपेक्षित रहती है, हमारा देश में उसका अभाव है । शिक्षितों की निष्क्रियता का दूसरा कारण उनमें उच्च संवेदना की भी कमी है जो अपनी सुख-सुविधा से अधिक महत्व दूसरों के दुःख को देनी है । बालक-बालिकाओं की शिक्षा में भेद हो या नहीं, इस सबघ में हमारे शिक्षा-शास्त्री एकमत नहीं हो सकते ।

शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के लिए भी है और जीविकोपार्जन के लिए भी, अतः उसका लक्ष्य दोहरा हो जाता है।

शासितो के व्यक्तित्व या चरित्र का विकास विदेशी शासकों के हित में नहीं था और शासितो के जीविकोपार्जन के प्रश्न उनके कार्यालयों में हल हो जाते थे। ऐसी स्थिति में शिक्षा के अतर्वाह्य किमी भी लक्ष्य पर विचार की आवश्यकता नहीं हुई। परन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत परिस्थितियों में परिवर्तन होना स्वाभाविक था।

स्वतंत्र देश का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक होने के लिए विद्यार्थी वर्ग को चरित्र की आवश्यकता थी, जो व्यक्तित्व के विकास में ही सम्भव था। जीविकोपार्जन की क्षमता, सबका सामाजिक प्राप्य थी। दोनों अतर्वाह्य लक्ष्यों की उपेक्षा कर देने से शिक्षा एक प्रकार से समय बिताने का साधन हो गई। इस उपेक्षा का परिणाम तब प्रकट हुआ जब विद्यार्थी ने शिक्षा के सब सोपान पार कर लिए।

व्यक्ति-विकास के लक्ष्य के अभाव ने उनके आचरण को प्रभावित किया तथा आजीविका के अभाव ने उसे परजीवी बनाकर अमामाजिक कर दिया।

भारतीय विद्यार्थियों की स्थिति इससे कुछ भिन्न है। स्त्री का कर्मक्षेत्र घर होने के कारण उसके माघ परीपजीवी या बेकार का विशेषण नहीं लगाया जा सकता। उनके जीवनयापन की व्यवस्था पिता, भाई, पति आदि को करनी चाहिए, ऐसी समाज की सनातन मान्यता है।

परिवार के अर्थसंकट को दूर करने के लिए दाहर कार्य करने पर भी उसका यह अधिकार सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त प्रशसा का लाभ भी होता है। व्यक्तित्व की दृष्टि से शिक्षा द्वारा उसका उचित विकास तो नहीं होता परन्तु उसकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि आदि उसके लिए तथा उसके परिवार के लिए गर्व के विषय रहते हैं। इसके विपरीत पुरुष की विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि का मापदण्ड नौकरी ही रहती है। बेकारी ने यह गुण निंदा के कारण बन जाते हैं।

इस सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण कुठाग्रस्त विद्यार्थिनियों की संख्या कम है और जो हैं, उनकी कुठा, निराशा आदि के कारण जीविकोपार्जन के अतिरिक्त कुछ और हैं।

नवीन युग में सब देशों की प्रबुद्ध नारियों ने जो विकास किया है उसमें भारत की नारी का भी अशदान है। जैसे भिन्न-भिन्न पर्वतों से निकलनेवाली नदियाँ भी अपने-अपने मार्ग से बहती हुई एक ही समुद्र में मिलती हैं वैसे ही विश्व के छोटे-बड़े देशों की नारियाँ अपने-अपने देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ एक विकास का लक्ष्य रखती हैं।

समाज का कोमल पक्ष होने के कारण उन्हें विकास के मार्ग में कुछ कठि-

माइया भेलनी पड़ी, परतु उन्होने अपना स्वत्व प्राप्त करने का सकल्प नहीं छोडा। सघर्ष में उन्होने कुछ ऐसी प्रवृत्तिया भी प्राप्त कर ली, जिनसे समाज अपरिचित रहा। इनमें मुख्य शारीरिक शक्ति है।

स्त्री के सत्रघ में समाज की बद्धमूल धारणा रही है कि वह शारीरिक बल की दृष्टि से पुरुष से दुर्बल है। प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की समानता करके उसने प्रमाणित कर दिया है कि उक्त धारणा के मूल में कोई तथ्य नहीं था। अतिरिक्त में यात्रा करके, वायुयानों का अपहरण करके सैनिकों के समान गुरिल्ला युद्ध में बठोर कर्म करके उसने अपनी शक्ति की अग्नि-परीक्षा दी और उसमें सफल हुई।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से युद्ध और क्रूर कर्म उसके विकास में बाधक हैं क्योंकि वह मातृजानि है, सृजन उसका स्वभाव है। किंतु जब नवीन युग में उसकी स्नेह-सहानुभूति से बनी गृहस्थी ही जल गई तब उसका प्रतिशोध निबंध हो गया।

भारत की नारी पर भी इसका प्रभाव पड रहा है। यदि अन्न के बिना उमकी अवोध सतान मरती रही, सांप्रदायिक दगों में उसका अपमान होता रहा, उमकी गृहस्थी जलती रही, तब उसका कंसा रूप होगा, यह अभी कहना कठिन है। नारी की वीरता के उदाहरण हमारे इतिहास में असंख्य हैं, क्रूरता के नहीं। भविष्य में यह भी सुलभ हो सकते हैं।

विश्व में जिन्हें साहसिक कार्य कहा जाता है, उनमें भी आज की नारी पुरुष की प्रतियोगिनी है। पर्वतारोहण का कार्य अब तक केवल पुरुषों में विशेष साहसियों को ही आवृत्त करता था। आज हिम से ढके पर्वतशिखरों के अभियान, कोमल-वात शरीर वाली युवतियों का मानो मनोरजन हो गया है। प्रतिवर्ष पर्वतारोहण में प्रशिक्षित महिला दलों का गठन होता है और ऊंचे पर्वत-शिखर स्त्रियों के चरणचिह्नो से चिह्नित हा जाते हैं। भविष्य में साहसिक कार्यों के अधिकारी केवल पुरुष न माने जायेंगे। तैराकी, खेलकूद, अस्त्र-संचालन, लक्ष्य-भेद आदि की प्रतियोगिताओं में स्त्रिया भी ले रही हैं और सफल भी हो रही हैं।

आजीविका की दृष्टि से कुछ नये क्षेत्र भी स्त्रियों के अधिकार में आ गए हैं। रूस में इंजीनियर, नौ-अधिकारी जैसे पदों पर स्त्रिया कार्य कर रही हैं। विमान चालक, पैरासूट या छतरीधारी सैनिकों जैसे पदों पर भी स्त्रिया हैं और यात्रकीय विभाग में भी। रूस में रेल विभाग का संचालन स्त्रियों के हाथ में है। जिन देशों में बीसवी शती के आरंभ तक स्त्रिया दास की स्थिति में रही, उनमें भी अनेक महत्त्वपूर्ण विभाग उनके अधिकार में आ गए हैं।

इन विशेष कार्यों के अतिरिक्त नागरिक सेवा-क्षेत्र में भी स्त्रियों की संख्या वृद्धि पर है। जिन उच्च पदों के लिए प्रतियोगिताएं आवश्यक हैं उनपर स्त्रिया प्रतियोगिता में सफल होकर ही पहुंच रही है। प्रतियोगिताओं में विजयी होना

जिस योग्यता की अपेक्षा रखता है, उसका अर्जन अध्यवसाय और बुद्धि दोनों की अपेक्षा रखता है। मनुष्य की बाह्य स्वतंत्रता उसकी शक्तियों को किस सीमा तक मुक्त कर सकती है, इसका प्रमाण हमारे समाज की स्त्री है।

चिकित्सा, ग्याय आदि वं क्षेत्रों में चुनाव अपनी रुचि पर निर्भर है, परंतु वे क्षेत्र अधिक व्यय तथा समयसाध्य हैं। जो महिलाएँ डाक्टर, वकील आदि के रूप में इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनका योग्यता उनके मुख्य सहयोगियों से कम नहीं है।

सका ने विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री दी है, भारत ने द्वितीय और इजराइल ने तृतीय और ये देश नवजागत देश हैं।

भारत में विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र शिक्षा तथा चिकित्सा का है, क्योंकि आगामी दशक में बौद्धिक विकास शिक्षक पर तथा शारीरिक विकास चिकित्सक पर निर्भर करेगा।

आगामी पीढ़ी को शिक्षा के नवीन लक्ष्य के अनुसार शिक्षित करना समय की ऐसी मांग है जिसे अनसुना कर देना संपूर्ण देश के लिए घातक है। गत दो दशकों से अधिक समय तक हमारा देश इस सन्ध में सावधान नहीं रहा, जिसका दुष्परिणाम वर्तमान पीढ़ी की अशांति में व्यक्त हो रहा है।

पुराने अनुभवों ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा द्वारा निर्माण का कार्य शैशव से ही आरंभ होना आवश्यक है अन्यथा फिर बद्धमूल सस्कारों को मिटाना या सस्कारहीनता दूर करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। भारत में शिक्षा का पात्र बालक ही नहीं, प्रौढवर्ग भी है, जिसके प्रबुद्ध होने पर ही समाज और देश की अनेक विपमताएँ दूर हो सकती हैं। इन दोनों वर्गों के साथ बेकारी की समस्या भी नहीं है। शैशव में शिक्षण नौकरी का लक्ष्य नहीं रखता और प्रौढ अपनी जीविका की समस्या हल कर चुके होते हैं।

घर और बाहर में सामंजस्य चाहने वाली शिक्षित महिलाओं का उपयोग इनके शिक्षण में किया जा सकता है, किंतु तब शिक्षा को सेवाकार्य के ऊंचे तथा व्यापक स्तर पर रखना होगा। इस समय शिक्षण शासक द्वारा निश्चित शासित के कार्य के समान है जिसमें गरिमा खोजना रेगिस्तान में जल खोजना हो जाता है।

माध्यमिक तथा उच्चतर पर शिक्षा-क्षेत्र और भी अधिक अस्थिर हो उठा है। शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के विषय आदि के सन्ध में शिक्षा-शास्त्रियों का विचार भिन्न है और उसका कार्यान्वयन भिन्न है, क्योंकि विचार वाले अधिकाररहित और अधिकार वाला विचाररहित हैं।

स्त्रियों की सख्या इस क्षेत्र में मानो सतुलन बनाये रखने का कार्य करती है। अपने अधिकारों के लिए जैसे आंदोलन मुख्य शिक्षक कर सकते हैं, वैसे यदि

शिक्षिकायें करें तो आभिजात्य बन जाने की शका से उनका संपूर्ण परिवार उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगता है ।

शिक्षा के समान ही महत्वपूर्ण क्षेत्र चिकित्सा का है, किंतु उसमें महिला चिकित्सको की संख्या शिक्षिकाओं के अनुपात में कम है । एक तो यह शिक्षा, जितना अर्थ और समय चाहती है उतना देना सबके लिए संभव नहीं और दूसरे उक्त शिक्षा के लिए रुचि का प्रश्न भी रहता है ।

चिकित्सको को जिस धैर्य, सहानुभूति तथा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वह वर्तमान विषम परिस्थितियों और तनावपूर्ण वातावरण में संभव नहीं ।

सामान्यतः सब पुरुष या स्त्री इस क्षेत्र के उपयुक्त नहीं होते । जो होते हैं उन्हें अपने ज्ञान का प्रयोग अधिक मानवीय परिस्थितियों में करना पड़ता है ।

रोगी बालक के समान हठी भी होता है और अस्थिर भी । वह चिकित्सक से अधिक-से-अधिक सहानुभूति चाहता है । महिला चिकित्सक स्त्री होने के नाते इस क्षेत्र में पुरुष से अधिक सफल हो सकती है परंतु इस सफलता के लिए मानसिक तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी ।

महिला चिकित्सको की एक और कठिनाई भी है । सामान्य समाज से उनका संपर्क नहीं रहता है और उनका अपना समाज इतना विरल या छोटा है कि वे सर्वथा अकेली हो जाती हैं । रात-दिन व्यथित और अतिक्रम करने वाले रोगियों के संपर्क के कारण जीवन का जो चित्र उनके समक्ष आता है वह उल्लासप्रद तो कहा ही नहीं जा सकता ।

जिन व्यक्तियों को वे शारीरिक व्यथा से मुक्त करती हैं वे भी उन्हें मनुष्य के स्थान पर यत्र समझते हैं । डॉक्टर यदि अपने रोग की चर्चा करता है, तो घुटने वाला रोगी विरक्त होकर सोचता है कि यह क्या इलाज करेगा, जब अपना ही इलाज नहीं कर सकता ।

यह सब मानवीय या सामाजिक ऋणियाँ होती हुए भी जिन महिलाओं ने चिकित्सा का वसंत स्वीकार किया है वे सत्य तथा पूर्ण मनोयोग के साथ उसका निर्वाह करती हैं । परंतु किसी अद्भुत व्यवस्था के कारण हमारे देश के अनेक चिकित्सालयों में न दवाइयाँ रहती हैं, न शल्यक्रिया के औजार और न परिचारिकाएँ, फिर भी हम उपालय देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि जनसंख्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह मानो मृत्यु में जीवन की साधना है ।

कानून के क्षेत्र में महिला वकीलों की वृद्धि उनके प्रबुद्ध होने का लक्षण है । हम मृत्यु को असत्य और असत्य को मृत्यु बनाने की कुशलता को वकील की ध्येयता का प्रमाण मानते आए हैं । यदि महिलाएँ भी उसी कला को अपना लें तो हर घर असत्य की पाठशाला बन जाएगा । परंतु यदि वे इस राजमार्ग को

छोड़ दें तो कुछ-कटवो से मार्ग बनाकर भी वे जीवन के लक्ष्य तक पहुँच सकेंगी ।

भारत में महिला अपने हित में बने कानूनों के सबंध में अब तक अनभिज्ञ है । उसरी दृष्टि से जो होता आया है वही कानून या विधि है । इस अज्ञान के कारण सामान्य स्त्री न अपन अधिकार में परिचित है और न न्याय से । न्याय दतना महंगा है कि कभी-कभी किसी अधिकार को प्राप्त करने से उसे छाड़ना हितकर हो जाता है । वकील, बैरिस्टर महिलाओं की सख्या कम है, यह गत्य है, परंतु यदि वे अपनी अज्ञान बटनों की विधि का आलोक दे सकेंगी, तो उन्हें भावी पीढी की प्रबुद्ध बनाने का थंभ प्राप्त होगा । भारतीय महिला में जो एक सहज विवेक है वह यदि जाग्रत रहे, तो न कोई कर्मक्षेत्र उसके लिए दुर्गम होगा और न कोई वर्तव्य दुर्बल ।

युग के अनुसार अन्य कर्मक्षेत्रों के द्वार भी उन्मुक्त हुए हैं । एयर होस्टेस, रिसेप्शनिस्ट, सेल्स गर्ल, फंशन मॉडल आदि अनेक नये नाम तथा वर्तव्य वाले क्षेत्रों में उसने पैर रखा है । इन क्षेत्रों में उसके जैसे मधुर-बटु अनुभव होंगे उन्हीं के आधार पर नवीन दशक की नारी का भावी कर्मक्षेत्र निश्चित हो सकेगा । नवीन पीढी को नवीन अनुभवों का पायेष ही स्वीकार होता है ।

आज की बालिका ही आगामी दशक की युवती होगी । अपने देश, समाज आदि की अतीत समृद्धि भी उसके सामने होगी और नृटिया भी । इसके अतिरिक्त तब उसके ममदा देग-विदेग के नारियों के इतिहास की एक विधि और विस्तृत चित्रशाला होगी, जिसमें उसकी पूर्वजाओं के सघर्ष, जय-पराजय आदि से उसका परिचय आत्मीय और स्वाभाविक होगा । अतीत के साथ निबटवर्ती अयजाओं के सघर्ष और समझौतों पर भी वह विचार करेगी । यह संभव नहीं कि वह किसी सुदूर अतीत में लौट आने की या लौट जाने की इच्छा करे । समावना यही है कि वह अपने अनुभवों के आलोक में पूर्ववर्ती पीढी से प्राप्त सस्कारों का परीक्षण करे तथा अपने लिए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप कोई मार्ग चुने ।

नृतत्वशास्त्र कहता है कि मनुष्य-शरीर के कोषों में ऐसे तत्त्व मिलते हैं जो उसे अपने आदिम पूर्वजों से प्राप्त हैं । मानसिक विकास में भी ऐसे तत्त्व हैं जो नवीन परिस्थितियों में नवीन रूप ग्रहण करते रहते हैं । यह स्वाभाविक भी है । बीज बोने वाला भावी वृक्ष को प्रत्यक्ष नहीं देखता किंतु यह निर्विवाद रूप से जानता है कि अमुक वृक्ष ही उत्पन्न होगा ।

किसी भी युग में पूर्वसंचित मानव-ज्ञान, धोई-पोछी स्लट के समान तिरोहित नहीं हो जाता । न किसी पीढी की जीवन-यात्रा अतीत के पायेष के बिना चली है ।

आगामी दशक की युवती वर्तमान दशक की बालिका है । अपने बाल्यकाल में उसने जो सस्कार और अनुभव प्राप्त किये हैं उन्हीं की आधारशिला पर उसके भविष्य का निर्माण होगा । अन्य देशों के ज्ञान-विज्ञान उसके लिए त्याज्य नहीं

होंगे। यह सत्य है, किंतु भारत की धरती में उसका सबंध विच्छिन्न नहीं हो सकता। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरों पर उसकी स्थिति आज की स्त्री से उच्चतर होना अनिवार्य है। वर्तमान युग की भारतीय नारी को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा, जिसमें मुख्य विदेशी शासन का था। आगामी दशक की स्त्री स्वतंत्र देश की नागरिक होने के कारण अपने स्वत्व के लिए समाज से याचना करने की आवश्यकता नहीं समझेगी। युगों से दलित-पीड़ित रहने के कारण जो हीनता के संस्कार बन गये थे, उन्हें आधुनिक भारतीय नारी ने अपने रक्त और प्रसवेद से इस प्रकार धो दिया है कि आगामी युग की नारी को उस पर कोई रंग नहीं चढ़ाना पड़ेगा।



## कला और हमारा चित्रमय साहित्य

जिस प्रकार मानव शरीर का जितना बाह्य अंश हम अपने चक्षुओं से देख सकते हैं, उतना उसे पूर्ण नहीं बना पाते, उसके हृदय, मस्तिष्क आदि अनेक हमारी दृष्टि से छिपे अंग उसे पूर्णता देकर कार्य के योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार दान-काल की सीमा में बपा हुआ, परिस्थितियों में बना हुआ मनुष्य का जितना जीवन हमारे सम्मुख रहता है, उतना ही उसकी पूर्णता के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसकी पूर्णता के लिए हमें बेबल चलन काम करने या देखने वाले सीमित जीवन को ही नहीं सम्भना पड़ेगा वरन् कल्पना-लोक में विचरते, स्वप्न देखते तथा सत्य को खोजते हुए जीवन को भी जानना होगा।

मनुष्य का जीवन रागात्मक तथा इतिवृत्तात्मक अनुभूतियों का सघात कहा जा सकता है जिनमें एक उसे व्यावहारिक मसार के लिए उपयोगी बनाती है और दूसरी एक अलौकिकता की सृष्टि कर कला को जन्म देती है, जो व्यावहारिक जीवन की रुझानों को सरम बनाती हुई उसके सम्मुख विकास का सुदरतम आदर्श उपस्थित करती रहती है। वास्तव में मनुष्य में सत्य का ऐसा एक क्रियात्मक और रहस्यमय अंश छिपा हुआ है जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए सुदरतम साधन खोजता रहता है और इस सत्य का सौंदर्य में रागात्मक प्रकाशन ही कला के सत्य शिव सुंदर को परिभाषा हो सकता है।

कलाकार का लक्ष्य जीवन की कुरूपता तथा सौंदर्य, दुर्बलता तथा शक्ति, पूर्णता और अपूर्णता—सब की सामंजस्यपूर्ण रागात्मक अभिव्यक्ति है और उसकी चरम सफलता जीवन तथा विश्व में छिपे हुए सत्य को सब ओर से स्पर्श कर लेने में निहित है। हम बाह्य विश्व को दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं—प्राकृतिक और मानवीय, एक के द्वारा हम वस्तुओं के भौतिक उपकरणों का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को भी उन्हीं की श्रेणियों में सम्मिलित कर लेते हैं, दूसरे से विश्व के विभिन्न रूपों में व्यक्तित्व का आरोपण कर उन्हें भी मनुष्य के समीप के रूप में स्वीकार कर उनके सौंदर्य पर मुग्ध और अभिव्यक्ति पर खिन्न होने लगते हैं। पहला दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक से संबन्धित है और ससार की सारी सुषमा में

काल दिखाकर उसकी व्यर्थता के प्रति हमारे हृदय में विराम उत्पन्न किए बिना नहीं रहता। दूसरा कलाकार का है, जो विश्व की अपूर्णता को अपनी कल्पना से पूर्ण और उसके सौंदर्य के आवरण में सत्य की भाँकी दिखाकर हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न कर देने में समर्थ है।

सत्य के अन्वेषक दोनों हैं, परंतु एक परिचित वस्तु को भी अपरिचित बनाकर उससे दूरी की भावना को जन्म देता है, दूसरा परिचित को परिचिततम बनाकर उसे अपना एक अंश मान लेने पर बाध्य करता है। उदाहरणार्थ—रश्मियों से खेजने के लिए उत्सुक तरंग शिशुओं से हमारा निकटतम परिचय है, परंतु जल को बनाने वाले हाइड्रोजन और आक्सीजन से हम अपरिचित हैं। इसी से एक को हम चाहते हैं तथा दूसरे से अपना ज्ञानकोप बढ़ाकर भी दूर रहना चाहते हैं।

इन्हीं कारणों से कलाकार हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। वह अपनी एकत्रीकरण शक्ति से एक वस्तु की अपूर्णता में दूसरी की पूर्णता मिटाकर एक ऐसी नवीन वस्तु का निर्माण कर देता है, जो हमारे लिए सौंदर्य, शक्ति आदि का अमर आदर्श बन सकती है। इसी से हमारे जीवन के उच्च और सुंदरतम आदर्श कलाकारों की ही कृतियाँ रहे हैं।

कलाकार यदि सत्य अर्थों में कलाकार हो, तो वह कल्पना और उससे जीवन सगीत की सुरीली लय की सृष्टि कर लेगा। उसके, कला में साकार आदर्श तलवार की झनझनाहट में नहीं टूटते, वासुरी की मादक तान में नहीं बह जाते, मनुष्य की दुर्बलता पर हताश नहीं होते, कुरूपता पर कुठित नहीं होते और क्षणिक सौंदर्य पर चमत्कृत होना भी नहीं जानते। सभी सुगम दुर्गम मार्गों में, सारे सुख-दुखों में, सारी फूल झूलमयी परिस्थितियों में कला जीवन की सगिनी रही है और भविष्य में भी रहेगी।

कला, कला के लिए है या जीवन के लिए—यह प्रश्न उत्तर को अपने भीतर ही छिपाये हुए है। कला यदि जीवन की, सौंदर्य में, सत्य में, अभिव्यक्ति है तो भी वह जीवन से सबद्ध है। वह यदि जीवन की अपूर्णताओं को पूर्ण करने का प्रयास है तो भी उसके निकट है और यदि केवल उससे प्रसूत या उसका प्रतिबिम्ब है तो भी उसी की है। प्रचारांतर से कहा जा सकता है कि जीवन कलामय है और कला मजीब, अतः इनका परस्पर अपेक्षित अस्तित्व अनपेक्षित बनकर नहीं जी पाता, चाहे निर्जीव प्रतिमा बनकर रह सके। प्रायः कार्य और कारण या उपकरण और उससे बनी वस्तु में रूप, रंग और आकार की भिन्नता हो सकती है, प्रकृति की नहीं, परंतु हमारी कला इस कार्य-कारण-संबंधी नियम के अनुसार नहीं चलती, कारण वह क्षणिक जीवन से प्रसूत होकर भी अमर है। वह हमारे नीरस जीवन को सरस बनाने में, निराश्रय हृदय को अबलब देन

में और हमारे साधारण जीवन के लिए आदर्श स्थापित करने में सदा से समर्थ रही है ।

हमारा जीवन अपनी उच्चतम, प्रियतम भावनाओं को, कल्पनाओं को उसमें साकार करता है और फिर उस आकार के अनुसार अपने-आपको बनाने का प्रयत्न करता रहता है ।

कलाओं में वाष्प जैसी श्रेष्ठ कलाओं की अपेक्षा चित्र जैसी दृश्य कलाओं की ओर मनुष्य स्वभावतः अधिक आकर्षित रहता है । मूर्तिकला, चित्रकला आदि दृश्य कलाएँ एक ही माध्यम हमारे नेत्र, स्पर्श और मन को तृप्त कर सकती थीं, इसी से वे हमें अधिक सुगम और तात्कालिक आनन्ददायिनी जान पड़ीं । विशेषकर चित्रकला, मूर्तिकला के वाटिक्य से रहित और रंगों में सजीव होने के कारण अधिक आदर हो सकी । यह बोधगम्य इतनी अधिक है कि ईश्वर में कठिन से-कठिन ज्ञान इसके द्वारा सहज हो जाता है । यह जीवन के निकट इतनी है कि बालक पहलू सारे प्रत्यक्ष ज्ञान को टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं में बाँधने का प्रयत्न किए बिना नहीं रहता । प्राचीन बाल में इतने मनुष्य के निकट कितना सम्मान पाया, इसका निदर्शन अजंता तथा एलोरा के गह्वरों में अंकित चित्र हैं । पुरातन काल की सभी पौराणिक कथाएँ चाहे विरही यक्ष से सबंध रखती हों, चाहे राजा दुष्यंत से—बिना इस कला के मानो पूर्ण ही न होनी थीं ।

कला मनुष्य से सबंध रखती है और मनुष्य को किसी विशेष वातावरण में पलकर बड़ा होना पड़ता है जिसके प्रभाव में पूर्णतया मुक्त हो सकना उसके लिए समभव नहीं । यह वातावरण सामाजिक परिस्थितियों से और सामाजिक परिस्थितियाँ प्रायः राजनीतिक परिस्थितियों में प्रभावित होकर विशेष रूप-रखा पाती हैं । परंतु, यह निर्विवाद है कि प्रत्येक परिस्थिति अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकने वाले कलाकारों को उत्पन्न कर लेती है । एक युग की विशेष परिस्थितियाँ और उनके अनुरूप निर्मित आदर्श हमारे युग में ठीक उसी रूप में नहीं लौटते और यदि लौटें भी तो विकास की गति में बाधा ही बनकर लौटेंगे । उपयोगी बने रहने के लिए उन्हें पुरानी आत्मा को नये कलेवर में छिपाकर अवतीर्ण होना पड़ता रहा है । जिस समय मनु सम्मुख थे, हाथ में अस्ति थी, उस समय कला का आह्वान हृदय की सारी रोद्रीता और निष्ठुरता जगाने के लिए ही हुआ था । उसके उपरांत जब पराजित जाति हताश थी, अपमान के झूल में विधा हृदय लिये तड़प रही थी, उस समय कला एक हाथ में भक्ति की मुद्रा और दूसरे में विनास की मदिरा लेकर अवतीर्ण हुई । कोई तन्मयता में अपने-आपको भूला और किसी ने नये में वास्तविकता डूबा दी । इसी प्रकार समय की लहरों से परिस्थितियों और परिस्थितियों से कला में परिवर्तन आते रहे, जिन पर उनके युग-विशेष की अमिट छाप थी । हमारे वर्तमान युग की



पुरुषोत्तम के नाम से, प्रख्यात राम और योगिराज कृष्ण के पराक्रम और ज्ञान को रेखाओं में सजीव कर देने में समर्थ चित्रकार न उन्हें मिलता है और न वे उसे खोजने का कष्ट ही उठाना चाहते हैं। ऐसे चित्रों के आधार पर, यदि अपकार करते हैं तो केवल इतना कि कला के आदर्श को अपेक्षाकृत अवनत करके जन-साधारण की रुचि को परिष्कृत नहीं होने देते और यदि उपकार करते हैं तो इतना कि कला और पाठक दोनों को निर्बंध नहीं बहने देते।

विषय पर कोई कला निर्भर नहीं रहती। सच्चे चित्रकार की तूलिका भगवान बुद्ध की चिरघात मुद्रा अंकित करके भी धन्य हो सकती है और हल कंधे पर लेकर घर लौटने वाले कृषक का चित्र बनाकर भी अमर हो सकती है। कलाकार अमरता का विषादक स्वयं हो सकता है, परंतु तभी, जब उसकी कला उसकी अतन्वित साधना में तप-तपकर धरा सोना बनकर निकलनी है, ऐसे कलाकारों का अभाव है, यह सत्य नहीं, परन्तु इसमें बहुत-कुछ सत्य है कि हम उन्हें न पहचानते हैं और न पहचानने का प्रयत्न करते हैं। फलतः अनधिकारियों के हाथ में पड़कर न तो कला विवसिन होती है और न जिनके लिए कला अवतीर्ण हुई है, उनकी रुचि ही विकाम पाती है।

तीसरी श्रेणी में वे सचित्र पत्र-पत्रिकाएँ रखी जा सकती हैं, जिन्हें अपने व्यवसाय के अतिरिक्त किसी की चिन्ता नहीं। उन्हें न कला की उन्नति-ज्वलति से संपर्क रखना है, न जनसाधारण की भलाई-बुराई का विचार करना है, अतः प्रायः वे साधारण मनुष्यों की दुर्बलता से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं, उसे दूर करने का नहीं। वैसे तो सारा चित्रजगत् ही स्त्रीमय हो रहा है, परंतु जिन्हें केवल व्यवसाय की चिन्ता है उनके पत्रों में तो स्त्रियों की सोचनीय दुर्दशा बर डाली है। जिस चित्रकार को देखिये अस्तव्यस्त या विवस्त्रा युवती का चित्र बना रहा है। उगी की भाग है, फिर परिस्थितियाँ का दास चित्रकार क्या बरे।

युवती का चित्र देना कोई दोष नहीं है, परंतु उसके पीछे जो एक पाशविक मनोवृत्ति छिपी है, उसी को अमंगलमयी बहना चाहिए। यदि एक चित्रकार हिमालय की चोटी को छूकर रंगों के फव्वारे की तरह विखर जाने वाली किरणों को अंकित करने के लिए विकल हो उठा हो, अशांत समुद्र की ऊँची-नीची लहरों में भूल-भूलकर अतः की ओर जाती हुई छोटी तरणी का चित्र बनाने के लिए उसका हृदय उमड़ आया हो, जर्जर वस्त्र में लिपटे क्षीण-मलीन बालक का हाथ पकड़कर पेड़ के नीचे आ बैठने वाली अघी भिलारिन का चित्र आकने-आकते यदि उसकी तूलिका धक गई हो और सुनहली गोधूली में लौटते हुए श्याम कुशकाय कृषक और उसकी रुखे-बिखरे बालों वाली बालिका का मुख यदि उसके कागज पर उतर आया हो, तो वह युवती का सौंदर्य भी अंकित करके और अधिक पवित्र हो उठेगा। उसके लिए स्त्री का सौंदर्य मगार के अलखड सौंदर्य का एक खड मात्र

है। जग ऐसा नहीं होता और चित्रकार केवल वासना से सूखे कठवालो के लिए नारी के पूत सौंदर्य को मदिराघारा बनाकर बहाने चलता है तब अवश्य ही उसमें न कला का आदर रह जाता है, न स्त्री का। प्राचीन चित्रों में चौरहरण लीला को हम अश्लील समझा करते थे, अब स्वयं ही उसे दूसरे रूपों में दिखाने में भी हम कुठित नहीं होते।

चौथी श्रेणी में आने वाली वाक्पट सबधी परिवारों के अद्भुत चित्रों और मुद्राओं की छाह से भी दूर चित्र-परिचयों के विषयों में तो 'गिरा अनपन नपन बिन वानी' कहना चाहिए। यह तो चित्रकार की कल्पना नहीं है। सत्य का प्रति-बिंब है। कैसे-कैसे नग्न नृत्य के कला के नाम पर करा लेते हैं और हम सब असीम धर्म से देख आते हैं, यह सत्य होकर भी कहानी जैसा लगता है। इस समानता के युग में स्त्री मागने गई थी अपनी स्वतंत्रता और दे आई इस प्रकार स्त्रीत्व के प्रदर्शन का बचन। बाजार के पोस्टर, दवा के, तैल के विज्ञापन, पत्र-पत्रिकाओं का अधिकांश, वाक्पट, मंच मंच जगह स्त्री का जैसा प्रदर्शन पुरुष करना चाहते हैं, अकुठित भाव से करते हैं। यदि वह बाधा डालती है तो इन्हीं बीभत्स प्रदर्शनों को स्वाधीनता का चिह्न बताकर उस समझा दिया जाता है। वह स्वयं यह नहीं जानती कि इनसे उसका आदर हो रहा है या अनादर, पहले से अच्छी दशा है या बुरी। वह सोचती है, उसे सत्कार के उन्मुक्त वातावरण में स्वच्छंद भाव से आने-जाने का अधिकार मिल गया है, जिसके लिए वह युगों से लालायित थी। जिस जाति ने स्त्रियों की एक बड़ी सख्या को समाज, धर्म आदि के सब बंधनों से केवल अपनी स्वच्छंद प्रवृत्तियों की परिचर्या कराने के लिए ही मुक्त कर रखा है, वह स्त्रियों की वास्तविक स्वाधीनता का मर्म कितना जानती होगी, यह कहना कठिन है।

केवल सिद्धांत रूप से या स्त्रियों के प्रति निरादर का विचार कर ऐसे चित्र और प्रदर्शन बहिष्कार के योग्य न समझे जायें, तो भी समाज के नवयुवकों की मनोवृत्तियों पर पड़ने वाला उनका प्रभाव उन्हें आपत्तिजनक प्रमाणित किए बिना न रहेगा। अवश्य ही प्राचीन युग के एकांत में स्त्री का चित्र भी न देखने देने वाले सिद्धांत इस बीसवीं सदी के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, परंतु इसके विपरीत एकांत और कोलाहल दोनों ही में स्त्रीमय जगत देखना भी हमारे जीवन के लिए उपयुक्त न होगा। एक ओर हम जिन स्त्रियों को समाज का कलक कहकर बस्ती के एक कोने में फेंक आने को उत्सुक हैं, दूसरी ओर आकर्षक परिचय देकर उन्हीं के चित्र छापकर उसी रुचि को प्रश्रय देने में भी हमें सकोच का कारण नहीं दिखाई देता, यही विचित्रता है। सजीवनी जड़ी तो आज तक किसी को नहीं ज्ञात हुई, परंतु मृत्यु को तत्क्षण उपस्थित कर देने वाली विष-वृत्तियों को सब जानते-पहचानते हैं। इस मुमूर्षु जाति के आलसी और अकर्मण्य युवकों के रक्त में जीवनी शक्ति

पहुँचाने का उपाय तो दूढ़ने वाले दूढ़ते-दूढ़ते ही नष्ट हो गए, परंतु इस तद्रा को मृत्यु के समान स्थिर कर देने वाली ज्वालामुखी मदिरा बिना खोजे ही सबको प्राप्त हो गई ।

आज का बालक क्या देखता, क्या समझता और किस प्रकार अपने आगामी जीवन की रूपरेखा निर्धारित कर लेता है, इसका यदि निरीक्षण किया जाय, तो कदाचित् ही कोई ऐसा कठिन हृदय व्यक्त होगा, जिसके प्राण न सिहर उठें । जब क्षय के बीटाणुओं के समान विपैली दुर्भविनाओं और अस्वाभाविक वासनाओं के बीटाणु उनके रक्त में, उनके विचारों में और उनकी कल्पनाओं में बम जाते हैं, तब उनका स्वस्थ युवा हो सकना संभव नहीं । चित्र जिस प्रकार बालक की मानसिक वृत्तियों का केंद्र बन सकता है, उसके मस्तिष्क और मन दोनों पर स्थायी संस्कार छोड़ जाता है, उस प्रकार कोई और बला नहीं कर सकती । अतः यदि हम अपनी चित्रों की सृष्टि की रचना में विशेष मतर्क न रह सकें, तो संभव है, अपना और दूसरों का अत्यधिक अपकार कर डालेंगे । हमारे सस्ती उत्तेजना फैलाने वाले चलचित्र जो अपकार कर सकें हैं, वही हमारे पतन को दमनीय बनाने के लिए पर्याप्त हैं । उस दशा को और अधिक शोचनीय बना देने में न कोई विशेष पुरस्कार है, न लाभ । अवश्य ही हमारे पाठकों की एक विशेष रुचि बन गई है । अच्छे चित्रकार भी सत्या भ्रम और सबके लिए अप्राप्य हैं । हमें सबकी रुचि के विपरीत जाने के प्रयत्न में हानि भी सहनी पड़ेगी, परंतु यह न भूलना चाहिए कि ऊँचे लक्ष्य तक पहुँचने में असफलता उतनी बुरी नहीं, जितना बुरा लक्ष्य को नीचा बनाते रहना है ।

पार कर हमारा आख्यान-साहित्य सामान्य जन के धूल-भरे आगन में आ खड़ा हुआ है। आज आसू पवित्र इसलिए नहीं है कि वह किसी देवता की मूर्ति की स्थिर पुतलियों में छलक उठा है, हसी सुंदर इसलिए नहीं है कि वह किसी दिव्य अधर पर झलक उठी है और स्पंदन महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वह किसी अमर के वक्ष को चंचल करता है। वरन् इन सबके पूत, सुंदर और मूल्यवान होने का एकमात्र कारण है कि ये साधारण मनुष्य की जन्मजात विशेषताएँ हैं।

इस प्रकार आधुनिक युग का साहित्य, पूर्ण देवता पर अपूर्ण मानव की विजय का लेखा है।

अंग्रेजों की पराधीनता के विरोध में जाग्रत राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक रुढ़िग्रस्तता के विद्रोह में उत्पन्न सुधार-आंदोलनों ने हिंदी और मराठी दोनों के गद्य को प्रगतिशील विकास दिया है। वह गद्य आदर्श, आदर्शोन्मुख यथार्थ, बठोर यथार्थ की अनेक भूमियाँ पार करता हुआ आज मनुष्य के मनस्तत्त्व की ऐसी भूमि पर प्रतिष्ठित हो चुका है, जहाँ से वह मनुष्य के प्रत्येक कार्य और जीवन की प्रत्येक घटना को ही नहीं, उन कार्य और घटना की पृष्ठभूमि में छिपे असह्य सस्कारों और आवेगों का भी परीक्षण कर सकता है।

कादंबरी की अनुकृति से आकार पाकर उपन्यास और बाल-बोधकथा से गति पाकर कहानी-साहित्य आज जीवन के कोमलतम स्तरों के प्रत्यक्षीकरण और परिष्करण में समर्थ हो सके हैं। ललित साहित्य ही नहीं, कोश-रचना, व्याकरण जैसे उपयोगी साहित्य भी मराठी के कोप की बहुमूल्य निधि हैं।

नाट्य साहित्य का प्रश्न उठते ही हमारा ध्यान सबसे पहले संस्कृत नाटकों की ओर जाता है जो अपने देश में ही नहीं, विदेशी विद्वानों से भी अभिनंदित हो चुके हैं।

नाटक की दृष्टि से संस्कृत-साहित्य इतना अधिक समृद्ध है कि संस्कृत से जन्म और विकास पाने वाली प्रादेशिक भाषाओं के लिए अनुवाद का उपक्रम ही स्वाभाविक कहा जायगा। हिंदी के राजा वक्षमणसिंह, भारतेन्दु हरिश्चंद्र और मराठी के कृष्णशास्त्री राजवाडे, देवल और किलोस्कर ने संस्कृत नाटकों के रूपांतर को हिंदी और मराठी में प्रतिष्ठित किया। सन् १८७४ से लेकर वर्तमान काल तक नाटक-साहित्य ने परिणाम से लेकर प्रकार तक और तंत्र से लेकर ध्येय तक विकास की जैसी चित्रशाला प्रस्तुत की है, वह विस्मय की वस्तु है।

रगमच नाटक की वसूटी है, अतः ये दोनों अविच्छिन्न सबंध में बंधे रहेंगे।

जिन परिस्थितियों के कारण हिंदी की वीरगाथाओं और मराठी के शाहीर काव्य के बीच में कई सदियों का व्यवधान आ पड़ा है, उन्हीं परिस्थितियों ने दोनों के नाट्य साहित्य के विश्वास में भी अंतर उपस्थित कर दिया हो तो आश्चर्य की बात नहीं।



है जिन्होंने सस्कृत की कठिन सीमा में आबद्ध धर्म और सस्कृति को जन-भाषा में मुक्त प्रवाह दिया ।

श्री ज्ञानदेव, नामदेव, एवनाथ, तुकाराम, रामदास आदि संतो की परंपरा में हम मानवमात्र की समानता और भक्ति के अधिकार की जैसी स्वीकृति पाते हैं, वह हिंदी के सत-साहित्य के लिए नवीन नहीं है ।

सत्य तो यह है कि हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं ने कभी हमारे विचारों के आदान-प्रदान का पथ नहीं अवरुद्ध किया । उत्तर के नाथपथ का ज्ञान जैसे बेरोक-टोक दक्षिण के समुद्रतटों को छू आया, दक्षिण की भक्ति का प्रवाह वैसे ही विष्णु की श्रेणियाँ पार कर हिमालय से जा टकराया ।

भारतीय सस्कृति के हृदय से उद्भूत ज्ञान और भक्ति की गंगा-यमुना हर प्रदेश की सरस्वती से मिलकर ऐसे नये प्रयोगों की रचना करती गई है, जो रूप से भिन्न जान पड़ने पर भी तत्त्वतः एक ही कहे जायेंगे ।

महाराष्ट्र प्रदेश पर जैसे यादवों का स्वर्णकाल, यवनो की पराधीनता, शिवाजी का सघर्ष, अंग्रेजी शासन आदि अनेक युगों के प्रवाह बह चुके हैं, वैसे ही उसके साहित्य को विविध धूप-छाया और आघी-तूफानों के भीतर से मार्ग बनाना पड़ा है और यह निर्विवाद है कि राजमार्ग पर चलने वाले साहित्य से वह साहित्य अधिक समर्थ होगा जिसे अपना पथ स्वयं प्रशस्त करना पड़ता है ।

यह सयोगजनित न होकर तत्कालीन सामान्य परिस्थितियों का परिणाम है कि हमारी प्रादेशिक भाषाओं के आदिम साहित्य, धर्म की सीमा में उत्पन्न और साधना द्वारा पोषित हुए हैं । केवल विशेष सघर्ष और जय-पराजय ही इस समानता में व्यतिक्रम उपस्थित कर सकते हैं ।

श्री विठ्ठल की भक्ति में केंद्रित वारकरी संप्रदाय, ज्ञानाश्रयी नाथपथ, कृष्ण-भक्तिप्रधान महानुभाव पथ आदि से मराठी वाङ्मय को गरिमा और माधुर्य की जो विविधता मिली है, वह किसी भी साहित्य के लिए गर्व का कारण हो सकती है ।

ज्ञानेश्वरी टीका तथा दासबोध जैसे तत्त्वपरक ग्रंथों, भक्ति से रससिक्ता अभंग पदों, वीरगाथाओं में मुखर प्रवादों या पोवाडों, शृंगार से छलकती लावण्यमयी या लावणियों के प्रहर पार कर मराठी साहित्य ने आधुनिक युग की उस सीमा-रेखा पर पैर रखा है, जिसने उसकी दृष्टि के सामने नये रूप-रंगों के विस्तृत क्षितिज को आवरण-मुक्त कर दिया ।

कथा, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना आदि में तरंगित होकर जीवन के असीम आकाश को अनंत रूपों में विविध-प्रतिविविध करने वाला गद्य-साहित्य आधुनिक युग का महत्त्वपूर्ण दान है, इसमें सदेह नहीं ।

पौराणिक गाथाओं, इतिहास के आख्यानों, विशिष्ट जन-कथाओं आदि का क्रम

पार कर हमारा आख्यान-साहित्य सामान्य जन के धूल-भरे आगन में आ खड़ा हुआ है। आज आसू पवित्र इसलिए नहीं है कि वह किसी देवता की मूर्ति की स्थिर पुतलियों में छलक उठा है, हसी सुदर इसलिए नहीं है कि वह किसी दिव्य अघर पर झलक उठी है और स्पदन महत्त्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वह किसी अमर के वक्ष को चंचल करता है। वरन् इन सबके पूत, सुदर और मूल्यवान होने का एकमात्र कारण है कि ये साधारण मनुष्य की जन्मजात विशेषताएँ हैं।

इस प्रकार आधुनिक युग का साहित्य, पूर्ण देवता पर अपूर्ण मानव की विजय का लेखा है।

अंग्रेजों की पराधीनता के विरोध में जाग्रत राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक रूढ़िप्रस्तता के विद्रोह में उत्पन्न सुधार-आंदोलनों ने हिंदी और मराठी दोनों के गद्य को प्रगतिशील विकास दिया है। वह गद्य आदर्श, आदर्शोन्मुख यथार्थ, कठोर यथार्थ की अनेक भूमियाँ पार करता हुआ आज मनुष्य के मनस्तत्त्व की ऐसी भूमि पर प्रतिष्ठित हो चुका है, जहाँ से वह मनुष्य के प्रत्येक कार्य और जीवन की प्रत्येक घटना को ही नहीं, उस कार्य और घटना की पृष्ठभूमि में छिपे असह्य सस्कारों और आवेगों का भी परीक्षण कर सकता है।

कादंबरी की अनुकृति से आकार पाकर उपन्यास और बाल-बोधव्यास से गति पाकर कहानी-साहित्य आज जीवन के कोमलतम स्तरों के प्रत्यक्षीकरण और परिष्करण में समर्थ हो सके हैं। ललित साहित्य ही नहीं, कोश-रचना, व्याकरण जैसे उपयोगी साहित्य भी मराठी के कोप की बहुमूल्य निधि है।

नाट्य साहित्य का प्रश्न उठते ही हमारा ध्यान सबसे पहले संस्कृत नाटकों की ओर जाता है जो अपने देश में ही नहीं, विदेशी विद्वानों से भी अभिनवित हो चुके हैं।

नाटक की दृष्टि से संस्कृत-साहित्य इतना अधिक समृद्ध है कि संस्कृत से जन्म और विकास पाने वाली प्रादेशिक भाषाओं के लिए अनुवाद का उपक्रम ही स्वाभाविक कहा जायगा। हिंदी के राजा नरहरिदास, भारतेन्दु हरिश्चंद्र और मराठी के कृष्णशास्त्री राजवाड़े, देवल और किलोस्कर ने संस्कृत नाटकों के रूपांतर को हिंदी और मराठी में प्रतिष्ठित किया। सन् १८७४ से लेकर वर्तमान काल तक नाटक-साहित्य ने परिणाम से लेकर प्रकार तक और तंत्र से लेकर ध्येय तक विकास की जैसी चित्रशाला प्रस्तुत की है, वह विस्मय की वस्तु है।

रगमच नाटक की वसूटी है, अतः ये दोनों अविच्छिन्न सवध में बंधे रहेंगे।

जिन परिस्थितियों के कारण हिंदी की बीरगाथाओं और मराठी के दाहिरे काव्य के बीच में कई सदियों का व्यवधान आ पड़ा है, उन्हीं परिस्थितियों ने दोनों के नाट्य साहित्य के विकास में भी अंतर उपस्थित कर दिया हो तो आश्चर्य की बात नहीं।

देश के अन्य भागों से अपेक्षाकृत पहले हिंदी का क्षेत्र सघर्ष का केंद्र बना और उस सघर्ष की समाप्ति पराजय में होने के उपरांत परिस्थितियाँ इतनी बदल गयीं कि साहित्य के नाटक जैसे प्रकार का विश्वास कठिन ही था । फिर रगमच की स्थिति तो और दूर की कल्पना कही जाएगी ।

धर्म के क्षेत्र में रामलीलाएँ, रासलीलाएँ ही रगमच का अभाव जैसे-तैसे पूरा करने लगीं और लोक-जीवन में स्वाग, नौटंकी आदि ही मनोरंजन के साधन रह गये । जब स्थिति में कुछ परिवर्तन संभव हुआ, तब व्यावसायिक पारसी थियेटर ही रगमच की भूमिका में आ उपस्थित हुआ, जो उर्दू की सस्ती रगीनी से रगीर, पर यहाँ के सांस्कृतिक स्पंदन से शून्य था । जीवन की गहराई में जहाँ न होने के कारण ही वह व्यवसाय का साधन, सवाक् चलचित्रों के तूफान में खो गया है ।

हिंदीभाषी क्षेत्र की सामाजिक रूढ़िवादिता ऐसी रही कि संस्कृत और शिष्ट व्यक्ति के लिए रगमच पर खडा होना भी लज्जा का कारण माना जाता था ।

हिंदी नाटक अनूदित, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्यामूलक आदि परिचित क्रमों को पार कर एकाकी तक पहुँच जाने पर भी जिस प्राप्य से दूर है, वह मराठी नाटक को अपने शीशव में ही प्राप्त हो गया था । इस दृष्टि से मराठी अधिक भाग्यवती कही जायगी, क्योंकि नाट्य-साहित्य के साथ ही उसके रगमच का जीवन दीर्घ और विकास स्वस्थ है ।

किल्गोस्कर के 'शाकुल', 'सौभद्र', देवल के 'मूच्छकटिक', खाडिलकर के 'बीचक-बंध', स्वयंवर' जैसे नाटकों से लेकर आधुनिकतम नाटक तक रगमच की कसौटी पर परखे भी गये हैं और उन्होंने रगमच की भीमा और सभावनाओं का परीक्षण भी किया है ।

लोक-जीवन पर व्यापक और स्थायी प्रभाव डालने के साधनों में अन्यतम नाटक है, इस सत्य का बोध तो मनुष्य को युगों पहले ही चुका है; पर इस साधन की प्रयोगात्मक रूप-रेखा युग-विशेष की समस्याओं के साथ में ढलती-निखरती रही है ।

जीवन भीतर से अनेक संस्कारों और मानसिक विकारों का और बाहर से घटनाओं का सघात है । इन घटनाओं की नाटकीय स्थितियाँ कभी-कभी मानसिक द्वंद्वों और सघर्षों की ओर इस प्रकार संकेत कर देती हैं कि घटना अकेली न रहकर जीवन के निरंतर क्रम में स्थान पा लेती है । नाटक सामान्य घटनाओं में से ऐसी ही विशेष घटना का प्रत्यक्षीकरण है । जिस नाटककार की दृष्टि मानव प्रकृति के गहनतम स्तरों तक पहुँचने की शक्ति रखती है, वही बिलखी घटनाओं की सगति बैठा सकता है और उसी का चयन और प्रत्यक्षीकरण जीवन को गहराई में स्पर्श कर पाता है ।

साहित्य जीवन का चित्र अवश्य है, परंतु वह फोटोग्राफी मात्र नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वह स्वप्नद्रष्टा चित्रकार की कुशल उगलियों से आका गया ऐसा चित्र है जिसमें हर रेखा किसी सभाव्य यथार्थ को सत्य बनाती है और रंग किसी अलक्ष्य स्वप्न को धरती पर उतारता है। आज जीवन की वह परिस्थिति नहीं है जिसमें कण्व का आश्रम सभव हो सकता, पर इससे शकुंतला की मर्मव्यथा अपरिचित नहीं हो जाती। साहित्य और कला के लिए, 'क्षण क्षण यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतया' ही कहा जा सकता है। यह नवीनता वस्तुसापेक्ष न होकर तत्त्वगत है और यह तत्त्व असीम विविधता का कारण बनता रहता है।

आदिम युग से आज तक मनुष्य अपने हृदय और बुद्धि का परिष्कार करता आ रहा है; पर इस क्रम के किसी भी बिंदु पर उसकी मानसिक तथा बौद्धिक वृत्ति का तारतम्य नहीं टूटा। किसी भी युग में मनुष्य जीवन की घोंई-पोछी स्लेट पर अपने अनुभवों की वर्णमाला नहीं आरंभ करता। मनुष्य के आसू, हसी के कारण भिन्न हो सकते हैं; परंतु उनके मूलगत विपाद, आनंद एक ही रहेंगे।

इन मूलभावों की स्थिति को स्वीकार कर समाज अपनी स्थिति की रक्षा के लिए कुछ विधान रचता है, व्यक्ति अपनी हित-रक्षा के लिए कुछ नियम बनाता है। परंतु मनुष्य से मनुष्य का संपर्क केवल विधान और नियम से संचालित नहीं होता, क्योंकि वह प्रत्येक आदान-प्रदान को किसी अलक्ष्य तुला पर तोलकर उसका मूल्य निश्चित करता रहता है। ससार के सारे विधान, जीवन के सारे नियम, मनुष्य को मनुष्य के लिए प्रसन्नतापूर्वक छोटा-सा त्याग करने पर भी बाध्य नहीं कर सकते; पर वह स्वेच्छा से प्राण तक दे डालता है। अतः सामाजिक सबंधों का, इस अत्यंत व्यावहारिक पक्ष से लेकर एक अति मानवीय दार्शनिक पक्ष तक, विवेचन किया जा सकता है। दूसरे व्यक्ति की व्यथा से तादात्म्य ही हमें उसकी दुःखद स्थिति में परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है, पर उस तादात्म्य की सीमा हमारे मानसिक सस्कार की सापेक्ष है। इस प्रकार मानवी सबंधों में सामंजस्य की स्थिति सयोग-साध्य ही रहती है।

## हिंदी पत्र-जगत् : एक दृष्टि

आधुनिक युग में विकसित होकर जिस कला ने अपनी परिधि में मनोविज्ञान तथा मनुस्मृति को एकाकार कर लिया है, उसे पत्रकारिता ही कह सकते हैं। उसके जन्म के मूल में तो अन्य कलाओं के समान मनुष्य की आत्मविस्तार की प्रवृत्ति ही है, परंतु देश-काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर उसका निरंतर तथा बहुरूपी विकास आत्म-विस्तार से अधिक उसकी स्वार्थमूलक शक्ति-विस्तार है।

मनोविज्ञान उक्त कला का ऐसा अमोघ शस्त्र है, जो व्यष्टि और समष्टि को एकसाथ ही स्पर्श करके एवं व्यापक घरातल पर दोनों के मानसिक परिवर्तन का कारण हो जाता है। दूर-भूमि का कोई व्यवधान अमान्य होने के कारण उसकी प्रक्षेपण शक्ति के माग में अवरोध नहीं है।

वैज्ञानिक सुविधाओं से रहित अतीत युगों में एक देश के सेनापति और सेना ही दूसरे देश के आक्रमण हो सकते थे, जिनकी ध्वसात्मक गति सीमित भी होती थी और उसके मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न किया जा सकता था।

आज एक समग्र देश मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दूसरे अनदृष्ट देश के प्रति अकारण घृणा, शत्रु या मित्र भाव में आबद्ध हो सकता है। अतः एक मानसिक तनाव और सघर्ष की स्थिति निरंतर गतिशील रहती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस गतिशीलता को गहराई, विस्तार तथा सुदूर क्षितिज देने का कार्य समाचार-पत्रों द्वारा ही संपन्न किया जाता है।

पत्र जगत् के कार्य को आज के वैज्ञानिक युग के दूरभाष, आकाशवाणी, दूर-मुद्रक, दूरचित्रक, रेडियोवीक्षण आदि ने अधिक विश्वसनीय, शक्तिसंपन्न और सहज बना दिया है।

अन्य देशों की स्थिति के समान ही हमारे देश की स्थिति है। भौगोलिक विस्तार तथा विविधता की दृष्टि से भारत एक ऐसा महाद्वीप कहा जाएगा, जिस का प्रत्येक प्रदेश एक स्वतंत्र देश के समकक्ष रखा जा सकता है। परंतु सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से वह एक और अलख है। प्रदेशों के

अनुसार ही अनेक भाषाओं, उपभाषाओं की स्थिति अनिवार्य है, परंतु उद्गम और सांस्कृतिक दाय की दृष्टि से, वे सब सहोदराएँ ही रहकर सार्थकता पाती हैं।

साहित्य के समान ही पत्रों का कर्तव्य भी दोहरा हो जाता है। उन्हें भी अपनी प्रादेशिक विशेषता को सुरक्षित रखते हुए, संपूर्ण महादेश की विशेषता को अधुष्ण रखना पड़ता है। यह कार्य लक्ष्यगत एकनिष्ठता तथा प्रयत्नगत विविधता से ही संभव है।

भारत के अधिकांश भाग की भाषा होने के कारण हिंदी युग-युगांतर से जिन दोहरे कर्तव्य का निर्वाह ही नहीं, सफलतापूर्वक निर्वाह करती आ रही है, वह उसके सामर्थ्य और दूरदृष्टि का प्रमाण है।

नवीन युगबोध से संबद्ध होने के कारण हिंदी पत्रकारिता के पास विशेष प्राचीन परंपरा न हो, यह स्वाभाविक है; परंतु लक्ष्यत वह भारतीय चेतना तथा संस्कृति की वाहिनी रही है। चाहे पत्रों को अहिंदीभाषी क्षेत्र में जन्म और विकास मिला, चाहे हिंदीभाषी क्षेत्र में, उनका लक्ष्य राष्ट्रीय अखंडता का संरक्षण तथा प्रदेश में महादेश तक व्याप्त चेतना का जागरण रहा।

इसी कमीटी पर हम आज के समाज और उस पर तात्कालिक प्रभाव डालने वाले पत्रों की परीक्षा कर सकते हैं।

सम्प्रदाय और संस्कृति पर अपना दावा सिद्ध करने के लिए किसी भी समाज के पास उसका लौकिक व्यवहार ही प्रमाण रहता है। अन्य कमीटियाँ महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं, परंतु प्रथम नहीं।

दर्शन, साहित्य आदि से संबद्ध उपलब्धियाँ तो व्यक्ति के माध्यम से आती हैं। कभी वे समष्टि की अव्यक्त या व्यक्त प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और कभी उनका विरोध। एक अत्यंत युद्धप्रिय जाति में ऐसी विचारक या साहित्यकार भी उत्पन्न हो सकता है, जो शांति को जीवन का धर्म लक्ष्य घोषित करे और ऐसा भी जा उमी हिंसक प्रवृत्ति की महत्ता और उपयोगिता सिद्ध करे।

पर सम्प्रदाय और संस्कृति किसी एक में सीमित न होकर सामाजिक विशेषता है, जिसका मूल्यांकन समाजबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार में ही संभव है। वह कृति न हाकर जीवन की ऐसी धौली है जिसकी मिट्टी से साहित्य, दर्शन, ज्ञान विज्ञान की कृतियाँ संभव होती हैं।

विगत कुछ वर्षों में हमारे जीवन से संस्कार के बंधन टूटते जा रहे हैं और यदि यही क्रम रहा तो आसन्न भविष्य में हमारे लिए संस्कृति पर अपना दावा सिद्ध करना कठिन हो जाएगा। हरे पत्ते और सजीव फूल वृत्त से एक रस-मयता में बंधे रहते हैं, पर बिखरने वाली पखुडियाँ और झड़नेवाले पत्ते न वृत्त के रस में रसमय रहते हैं न वृक्ष की जीवनी शक्ति से मनुजित।

हमारे समाज के संबध में भी यही सत्य होता जा रहा है। न वह जीवन

के व्यापक नियम से प्राणवत् है और न अपने दशगत सस्कार से रसमय । उसकी यह विच्छिन्नता उसके बिखरने की पूर्वसूचना है या नहीं, यह तो भविष्य ही बता सकेगा, पर इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि यह जीवन के स्वास्थ्य का चिह्न नहीं ।

हमारे विषम आचरण, भ्रात अमस्कृत त्रियाशीलता, अपराधो मे समाप्त होने वाले आवेग आदि प्रमाणित करते हैं कि हमारा मनोजगत् ही ज्वरग्रस्त है ।

यह सत्य है कि हमारी परिस्थितिया कठिन हैं, पर यह भी मिथ्या नहीं कि हमारी मानसिक स्थिति हमें न किसी परिस्थिति के निदान का अवकाश देती है और न सघर्ष के अनुरूप साधन खोजने का । हम यकते हैं, परंतु हमारी धवावट के मूल में किसी सुनिश्चित लक्ष्य के प्रति आस्था नहीं है । हमारी त्रियाशीलता रोगी की छटपटाहट और क्षण क्षण करवटें बदलने की क्रिया है, जो उसकी चिंतनीय स्थिति की अभिव्यक्ति मात्र है । हर मानव-समाज के जीवन में ऐसे मक्रातिकाल आते रहते हैं, जब उसकी मान्यताओं का कामाकल्प होता है, मूल्यांकन के मान नये होते हैं और जीवन की गति में पुरानी गहराई के साथ नई व्यापकता का सगम होता है ।

परंतु जैसे नवीन वेगवती तरंग का पुरानी मथर लहर में मिलकर अधिक विशाल हो जाना स्वाभाविक और अनायास होता है, वैसे ही सस्कार और अधिव सस्कार, मूल्य और अधिक मूल्य का सगम सहज होता है । सुदर और सुदरतर, शिव और शिवतर, आशिक सत्य और अधिव आशिक सत्य में कोई तात्त्विक विरोध नहीं हो सकता । सुदरतम, शिवतम और पूर्णतम सत्य तक पहुँचने के लिए हमें सुदर, शिव और आशिक सत्य को कुरूप, अशिव और असत्य बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और युग का मानव यह सिद्धांत मुला देता है, उस युग के सामने सत्य, शिव, सुदर तब पहुँचने का मार्ग रुद्ध हो जाता है । आलोक तक पहुँचने के लिए जो अपने सब दीपक बुझा देता है, उसे अधेरे में भटकना ही पड़ेगा । किसी समाज को ऐसे लक्ष्य-रहित कार्य से रोकने के लिए अनेक अंतर-बाह्य सस्कारों की परीक्षा करनी पड़ती है, निर्माण में उसकी आस्था जगानी पड़ती है, सघर्ष को मृजन-योग बनाना पड़ता है ।

आधुनिक युग में मानसिक सस्कार के लिए दर्शन साहित्य, शिक्षा आदि के जितने साधन उपलब्ध हैं वे न द्रतगामी हैं न सुलभ ।

साधनों की खोज में हमारी दृष्टि यत्र-युग की सबसे विशाल कृति पत्र-पत्रिकाओं पर न पड़े तो आश्चर्य की बात होगी । जीवन का जैसा निकट और अनायास स्पर्श उन्हें नित्य प्राप्त है, वैसे अन्य साधनों को नहीं, अतः समाज के अ-सस्कार और सस्कार दोनों का दायित्व एक सीमा तक उनका कहा जा सकता है ।

यदि किसी ऐसे सबंध की कल्पना की जाये, जो एक व्यक्ति से दूसरे को दूर

रखते हुए भी उन्हें निकट पहुँचाने में समर्थ हो, प्रत्यक्ष व्यक्तित्व के आवरण के बिना भी उनमें सहानुभूति और स्नेह की गृष्टि कर सके तथा अन्य लौकिक सब्यों के अभाव में भी उन्हें दृढ़ बौद्धिक और साहित्यिक बंधन में बाध सके, तो सबसे प्रथम हमारा ध्यान सपादन तथा उसके बृहत् लेखक और पाठक परिवार की ओर जाएगा।

एक ओर ऐसा व्यक्ति है जो अपने एक मस्तिष्क के विचारों को अनेक मस्तिष्कों तक पहुँचा देने का इच्छुक है, अपन एक हृदय की पुरार को अनेक हृदयों में प्रतिध्वनित कर देने के लिए आकुल है और दूसरी ओर ऐसा मानव समुदाय जो प्रत्येक समस्या का समाधान करने से पहले उस पर दूसरों के विचार जान लेना चाहता है, अपनी सोती हुई प्रेरणा को जगान के लिए, बिसरे भावों को एकत्र करने के लिए तथा किसी भी विशेष दिशा में अग्रसर होने के लिए औरों से साहाय्य और सकेत की अपेक्षा करता रहता है।

सपादन इन दोनों के बीच का दूत है, परंतु ऐसा जो एक के विचारों तथा उद्गारों का मूल्य और अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क तथा हृदय पर उनके अच्छे या बुरे प्रभाव का निर्णय करता है। वह न देने योग्य अपथ्य के विषय को अपने ही तक सीमित रखकर देने योग्य पेय को सुंदर पात्र में अन्य व्यक्तियों को समर्पित करता है। वास्तव में यह अपन बृहत् परिवार का ऐसा बड़ा बूढ़ा है, जो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अपना स्नेह और अपनी सहानुभूति बाँटता है, परंतु किसी को भी उनका दुरुपयोग नहीं करने देता। सुंदर भविष्य के मदेश-वाहक छोटे से छोटे अकुर की प्राण के समान रक्षा करने वाले तथा बड़ी उच्छृंखल और उपवन के सौंदर्य को घटा देने वाली शाखा को काट देने वाले माली के मोह और विराग के समान ही उसका प्रेम और उमकी कठोरता है। किसी भी अवस्था में उसकी दृष्टि अपने केंद्रबिंदु लोकतल्याण से नहीं विचलित होती।

उमके उत्तरदायित्व को देखते हुए यह समझना महज हो जाता है कि यह कार्य किसी दुर्बल, साहसहीन तथा समय के प्रवाह में प्रत्येक लहर के साथ बह जाने वाले या किनारे पर बैठकर उन्हें गिनते रहने वाले व्यक्ति का नहीं है, वरन् उस साहसी का है, जो प्रवाह में उतरकर भी स्थिर रहकर उमकी महाराई की थाह ले सके तथा अन्य बहने वालों को महारा दे सके।

केवल सगृहीत कर देने के अर्थ में सपादन का प्रयोग चाहे पुराना हो, परंतु इस हलचल से भरे युग में उमकी परिभाषा विशेष रूप से नवीन है। इस समय हमें यह आवश्यकता नहीं कि हमारे सपादन महाभारत जैसे महाकाव्य को सपादित करने के भगीरथ प्रयास में लग जायें, परंतु यह उनके कर्तव्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य है कि वे उन भावनाओं और विचारों को सर्वसाधारण तक पहुँचा सकें जो सुंदर भविष्य के अग्रदूत हो सकते हैं तथा उन सत्कारों को मिटाने का



प्रयत्न करें जिनसे प्रगति में बाधा पड़ती है।

हिंदी पत्रों की सख्या के अनुसार उनके सपादकों की सख्या भी न्यून नहीं, जिसमें पुराने-नये, अनुभवी-अनुभवहीन, शिक्षित-अर्धशिक्षित, उत्तरदायित्वयुक्त, उत्तरदायित्वशून्य सभी प्रकार के व्यक्ति मिल जाते हैं। लोगों की यह धारणा देखी जाती है कि इनमें अधिक सख्या अनधिकारियों की या ऐसे व्यक्तियों की है, जो किसी भी कार्य के उपयुक्त न होने के कारण इसी क्षेत्र में आ गए हैं। इसे सुनकर हम अप्रसन्न हो सकते हैं, परंतु केवल हमारा अप्रसन्न हो जाना ही तो इस कथन को असत्य नहीं प्रमाणित कर सकता। यदि विचार किया जावे, तो इस धारणा में सत्य का अभाव न जान पड़ेगा।

हम प्रत्येक क्षेत्र में छोटे-से-छोटे कार्य के लिए भी वर्ता में उन गुणों को पहने देख लेते हैं जिनमें वह कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सकता है, परंतु आश्चर्य का निपय है कि सपादन ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त पात्रता जाचने की हमारे पास कोई कसौटी नहीं। हिंदी में कुछ उत्तेजनापूर्ण लिख-पढ़ लेने के अतिरिक्त सफल सपादन होने के लिए और किसी विशेष गुण की आवश्यकता हो सकती है, इस ओर हमारा प्रायः ध्यान नहीं जाता। अतः यदि कुछ ऐसे व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश पा गए हैं, जिनके दुर्बल कंधे इस गुरु भार को समाल नहीं सकते तो आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसी अवस्था में भी हम अपने यहां सुयोग्य सपादकों का नितांत अभाव नहीं पाते।

प्रत्येक दुरवस्था के समान इसके भी कारण हैं। प्रथम तो हमका उत्तरदायित्व हमारे प्रतिकूल वातावरण और कठोर परिस्थितियों पर है, जो हमें अपने भावी जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य स्थिर करने का अवकाश ही नहीं देती और यदि हम किसी प्रकार ऐसा करने में समर्थ हो गए तो उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमें साहस और शक्ति एकत्र करने की सुविधाएँ तथा साधन नहीं मिलते।

हमारे जीवन में बेकारी तथा उससे सभूत दरिद्रता ने ऐसा डेरा डाल रखा है कि उनसे छुटकारा पाने के लिए किसी कार्य को स्वीकार करते समय अपनी पात्रता-अपात्रता पर विचार करना कठिन ही नहीं, असंभव हो उठता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश पत्र व्यवसायी-समुदाय के हाथ में है, जिनके लिए लोक-कल्याण की चिंता उतनी स्वाभाविक नहीं है जितनी अपने व्यवसाय-संबंधी हानि-लाभ की। अतएव उन्हें सिद्धांतवादी योग्य व्यक्तियों से अधिक उनकी आवश्यकता होती है जिनके द्वारा जनसाधारण का सस्ता मनोरंजन हो सके।

यहां तक तो परिस्थितियों का दोष कहा जा सकता है, जिन पर मनुष्य कभी विजय पा लेता है और कभी नहीं। यदि पा लेता है तो परिस्थितियाँ उसकी इच्छा-नुसार अपने-आपको बदल लेती हैं और नहीं पाता तो उसे अपने-आपको परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है। आवश्यकता के अनुसार कोई मनुष्य चाहे

मोची का काम करने पर बाध्य हो चाहे न्यायाधीश का, उसे दोष देना अनुचित होगा, परंतु दोषी वह तब ठहराया जा सकता है जब न वह मोची का कार्य ठीक करने का प्रयास करे, न न्यायाधीश का। परिस्थितियाँ हमें अप्रिय कर्तव्य स्वीकार करने पर अवश्य ही बाध्य कर सकती हैं, परंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे हमें सच्चाई और मनोयोग के साथ उस कर्तव्य के पालन से रोक सकें।

कोई केवल सपादक के आसन पर आसीन होकर ही अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर लेता, जैसे नश्वर हाथ में आ जाने से ही कोई डाक्टर नहीं हो जाता। रोगी के एक-एक स्वस्थ रोम में ममता तथा केवल दूषित अंग को दूर करने की क्षमता ही चिकित्सक को चिकित्सक कहलाने का अधिकार देती है। इसी प्रकार समाज के स्वस्थ विकास की ओर प्रयत्नशील तथा उस विकास की गति को रुद्ध कर देने वाली बाधाओं को दूर करने में तत्पर व्यक्ति ही सपादक का उत्तरदायित्व वहन करने की शक्ति रखता है। प्रत्येक कर्तव्य के समान इस गुरु कार्य में भी कर्ता के हृदय तथा मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ, परिष्कृत और विकसित होना चाहिए, क्योंकि सकीर्णता कर्ता और कर्तव्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध होती है। एक ओर उसमें इतनी सहानुभूति, इतनी उदारता की आवश्यकता है जिसमें वह किसी भी दुबलता को उपहास के योग्य न समझे और दूसरी ओर इतना ज्ञान कि उसका निदान तथा दूर करने के उपाय जान सके। इस प्रकार अक्षय सहानुभूति द्वारा अपने विस्तृत परिवार का आत्मीय बनने के उपरांत वह बहुत ही सरलतापूर्वक दूसरों के स्वस्थ मानसिक विकास में सहायना दे सकता है, जो उसके कर्तव्य का मुख्य लक्ष्य तथा दृष्टि का केंद्रबिंदु कहा जा सकता है।

सकीर्ण हृदय की संकुचित दृष्टि केवल अपने अधिकार तथा उनसे होने वाले व्यक्तिगत हानि-लाभ तक ही परिमित रह सकती है और सकीर्ण विचारों वाला अदूरदर्शी अपनी उलझी धारणाओं से दूसरों की समस्या को और भी जटिल बना देता है।

सपादक, विशेष राजनीतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में काम करता है, अतः यह प्रश्न कि उसे इनसे सबंध रखने वाले प्रत्येक विषय का बसा ही ज्ञान होना चाहिए या नहीं जैसा उन विषयों के विशेषज्ञों को होता है, कुछ कम महत्त्व नहीं रखता। प्रत्येक वस्तु का व्यावहारिक ज्ञान उसके विज्ञान-अंश से भिन्न किया जा सकता है, यह हम जानते हैं। यदि ऐसा न होता तो माघारण व्यक्ति बिना विशेषज्ञ हुए कोई कार्य ही न कर सकता। फिर जब एक ही विषय की विशेषज्ञता में जीवन बीत सकता है, तब एक ही जीवन में अनेक विषयों का विशेषज्ञ होना संभव भी नहीं। जल, पवन, वनस्पति आदि के उपयोग तथा उनके गुण या अयुक्तियों का ज्ञान सबके लिए आवश्यक है, परंतु वे किन उपकरणों से बने हैं, उन उपकरणों को कैसे भिन्न किया जा सकता है, आदि की

विवेचना और खोज उन विषयों से अनुराग रखने वाले विज्ञानाचार्यों के लिये सुरक्षित रहती है।

साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ परस्पर अन्योन्या-पेक्षी हैं, क्योंकि साहित्य, समाज तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता रहता है और वे साहित्य में अपन-आपको प्रतिबिंबित करती रहती हैं। अतएव संपादक, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र आदि का विशेषज्ञ चाहे न हो, परंतु उसका इन विषयों के व्यावहारिक रूप से अनभिज्ञ होना अनुचित ही नहीं, हानिकर भी होगा। समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत-विशेष की खोज उसका ध्येय न होने पर भी उनका विकास-क्रम और उनके समाज-विशेष में परिवर्तन उसके ज्ञातव्य रहेंगे। साहित्य में भी कोई विशेष विस्मृत घटना खोज निकालना या ऐसा ही अन्य कार्य चाहे उसका लक्ष्य न हो, परंतु साहित्य की जीवनदायिनी शक्ति, उसका युगांतरगामी प्रभाव तथा भविष्य के निर्माण में उसकी उपयोगिता आदि के विषय में न जानना उसकी अदूरदर्शिता ही होगी। कहा जाता है कि शिक्षक का आसन उसी के लिए है जो निरंतर विद्यार्थी बना रह सके। यह संपादक के लिए भी सत्य है। उसका कर्तव्य इतना गुरु है, उसका लक्ष्य इतना ऊंचा है तथा उसके साधन इतने अपूर्ण हैं कि जिज्ञासु विद्यार्थी बने बिना वह न किसी को कुछ दे सकता है और न अपने लक्ष्य तक पहुंच ही सकता है। हमारे वर्तमान संपादक-परिवार में थोड़े ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो मित्र की प्रशंसा, अभिन्नो की निंदा और विरोधियों पर अशिष्ट आक्षेपवर्षा से कुछ समय निकालकर अपने कर्तव्य के अनुरूप अध्ययन में उसे व्यतीत करते हों।

संसार के महान से महान परिवर्तन के, बड़ी से बड़ी शक्ति के तथा भयावह में भयावह उथल-पुथल के सम्मुख भी उन्हें व्यक्तिगत कलह और आक्षेपों में उलझा देखकर किसे आश्चर्य न होगा। उनके इस स्वभाव से लोग इतने अधिक परिचित हो उठे हैं कि कितने ही सभ्रान्त व्यक्ति अपनी यह धारणा भी व्यक्त करते हुए सकोच/का अनुभव नहीं करते कि जो व्यक्ति सभा में अशिष्ट, मित्रों में अनुदार तथा असहनशील और व्यवहार में कलह-प्रिय हो, उसे हिंदी का लेखक या संपादक समझना चाहिए। यह सम्मान क्या निकृष्ट से निकृष्ट संपादक को भी शोभा देगा? परंतु तब तक इसका उत्तर ही क्या दिया जा सकता है जब तक हमारा प्रत्येक कार्य उनके कथन का प्रमाण बनता जा रहा है, हमारे जीवन का प्रत्येक दिन हमें आगे बढ़ाने की अपेक्षा पीछे लौटा रहा है। इसमें सदेह नहीं कि संपादकों के मार्ग में ऐसी बाधाएं हैं जो उनके विकास को चारों ओर से घेरे रखना चाहती हैं परंतु यदि उनमें साहस और आत्मसम्मान हो, सगठित शक्ति हो, संसार को अपनी आवश्यकता का अनुभव करा देने योग्य दृढ़ता हो तो बाधाएं उनकी गति की बेडिया नहीं बन सकती, व्यवसायी जगत् उन्हें कठपुतली

का नाच सिखाने का साहस नहीं कर सकता और प्रतिकूल परिस्थितियाँ उन्हें मोम के खिलौनों की तरह गला-गलाकर नये नये रूप रंगों से नहीं सजा सकती ।

व्यक्तिगत दुर्बलताओं, व्यावसायिक परिस्थितियों के अतिरिक्त सपादकीय जीवन को विपाक बना देने का कारण लेखकों और सपादकों में विश्वास तथा सद्भावना की कमी भी है । संभव है इस विषय में कोई एक पक्ष अधिक या कम दोषी हो, परन्तु दोष दोनों ओर हैं, इसमें सदेह नहीं । हमारा आधुनिक लेखक अपने प्रथम प्रयास को सपादक द्वारा तुरत ही असह्य व्यक्तियों तक पहुँचा देने की आकुल हो उठता है । वह किसी प्रकार भी यह विश्वास करना नहीं चाहता कि समार की दृष्टि में उमके प्रथम प्रयास का मूल्य कुछ नहीं भी हो सकता है । जीवन का प्रथम प्रयास अस्फुट ऋदन के अतिरिक्त और क्या होता है ? चलने का प्रथम प्रयास लड़खलाने और गिरने उठने के अतिरिक्त और क्या होता है ? फिर लिखने का प्रथम प्रयास ही क्यों इतना पूर्ण, इतना सुंदर और इतना कल्याणमय समझा जाये कि उमका समार की दृष्टि से छिपा रहना दुर्भाग्य माना जाए ? प्रत्येक कला के समान साहित्य भी एक माधन है जिसमें जीवन की सुंदरतम अभिव्यक्ति संभव हो सकती है, परन्तु यह मान लेना कठिन हो जाता है कि अभिव्यक्ति का प्रयास ही उस कसौटी पर खरा उतर सकता है । ऐसे नवीन लेखकों को जब तक अपने सब प्रकार के उद्गारों के, विशेष सज-धज से, पत्र के किसी कोने में बिराज जाने की आशा रहती है, उनके समान सपादक-स्तात्रपाठी व्यक्ति डूब निकालना कठिन हो जाता है, परन्तु इस आशा के नष्ट होते ही उनके निकट सपादक का रूप उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता है जैसे स्वर्णमृग क्षण-भर में मारोच हो गया था । व्यक्तिगत रूप से जिन कटु सम्मतियों के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, वे ही सपादक से सबूत होकर पक्षपात से विपरीत जान पड़ने लगती हैं ।

यह सत्य है कि अनेक सपादक भी नवीन लेखकों के साथ न विशेष सहानुभूति रखते हैं और न उनकी रचनाओं की ओर आवश्यक ध्यान ही देते हैं, परन्तु प्रायः इस व्यवहार का कारण निस्सार रचनाओं की अधिकता भी होती है । जो व्यक्ति नित्य धीमे लेखों में से पढ़ने में कोई सार नहीं पाता, उसकी ऐसी धारणा बन जाना असंभव तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु हानिकारक अवश्य है । जो व्यक्ति पात्र पत्रियों का पत्र शुद्ध नहीं लिख सकता, उमका पञ्चमी पृष्ठ का लेख भेजना अपने प्रति भी अन्याय है और सपादक के प्रति भी, क्योंकि उसका साहित्य की आराधना में परिश्रम से जो चुराना, सपादक में भी यही दुर्बलता उत्पन्न कर देता है ।

आधुनिक युग में अपने व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य जितना परतंत्र है उमसे कम गुणा अधिक सपादकीय जीवन में है । वह पत्र की नीति, पाठकों की रुचि, अपनी आवश्यकता, संचालकों के व्यावसायिक दृष्टिकोण आदि से इस प्रकार टक जाता है कि हम कठिनाई में बाह्य कारण का भेद कर उमके व्यक्तित्व तक पहुँच

पाते हैं। यदि उसमें अपने उत्तरदायित्व के अनुसार दृढ़ता, साहस तथा आत्म-विश्वास होता तो संभव है, ये परिस्थितियाँ बदल जाती, परंतु दुर्भाग्य से उसकी दुर्बलता ही अन्य गुणों के रिक्त स्थानों को भरती रहती है।

संघप्रतिष्ठ लेखकों से भी उसका ऐसा संघ नहीं जो स्पृहणीय समझा जा सके। जिनको उसकी सहायता की आवश्यकता है, उसकी वह अवहेलना करता है और जिनकी उसे आवश्यकता है, वे उसकी उपेक्षा करते हैं। नवीन लेखकों से जैसा अनुनय-विनय उसे प्राप्त होता है, वैसा ही उसे प्रख्यात लेखकों को देना पड़ता है, अतः उनके संघ में किसी प्रकार की आत्मीयता और सहानुभूति उत्पन्न ही नहीं हो पाती। यह तो प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति स्वीकार कर लेगा कि हमारे लेखकों के पास शुद्ध साहित्यिक जीवन व्यतीत करने के साधन कम हैं और असुविधाएँ असंख्य हैं। पत्र-पत्रिकाएँ अपनी वृद्धि के लिए उनकी सहायता तथा सहयोग अवश्य चाहते हैं, परंतु उन्हें अपने विकास के लिए किसी प्रकार की सहायता या सुविधा देना अपना कर्तव्य नहीं समझते। कितने ही लेखक हमारे साहित्य के लिए अमूल्य निधि मिद्ध होते, यदि आधिक कठिनाइयों ने उनका मार्ग रुद्ध न कर दिया होता।

परंतु इस दशा का उत्तरदायित्व केवल संपादक पर न डाल देना चाहिए, क्योंकि वह तो स्वयं ही अपनी सुविधाओं से पगु हो चुका है। यदि संपादकों में अपने गुरु भार को वहन करने की क्षमता उत्पन्न हो सके, उनमें तथा लेखकों में सहानुभूति तथा विश्वासपूर्ण अटूट संघ स्थापित हो सके और उनकी शक्ति सगठित हो सके तो हमारी अधिकांश आपत्तियाँ दूर हो जाएँ। यदि हम अपनी ही दुर्बलता से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपनी अदूरदर्शिता से भविष्य के संकेत को नहीं देख पाते हैं, अपने ही स्वार्थप्रिय स्वभाव से सहयोगियों को साथ नहीं ले रहे हैं और आप ही अपने शत्रु हो रहे हैं, तो किसी अन्य को अपनी आपत्तियों का कारण समझ लेना एक और दुर्बलता को आत्मसात् कर लेना होगा।

हम क्या करें और कैसे करें, इसपर विचार करने का समय पीछे आता है। पहले अभाव का तथा उस अभाव को दूर करने के साधन का स्पष्ट बोध तो होना चाहिए।

जो देश की बड़ी सख्या के मस्तिष्क के लिए भोजन प्रस्तुत करते हैं उनका अज्ञान और उनकी भ्रांति देखकर किसे विस्मय न होगा। पिंजरबद्ध मूषक को देखकर सत्तार को इतना कौतूहल नहीं होता, जितना पिंजरबद्ध सिंह को देखकर होता है।

हम स्वयं ही अपनी उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं, जो आगे चलकर हमारे भावी जीवन को डालती हैं। अतः अपनी दुर्दशा के कारण भी हमी हैं।

हिंदी सर्वधानिक रूप से राष्ट्रभाषा के पद पर अतिरिक्त ही रही है। इन-  
 उसके साहित्य-ज्ञान-विज्ञान को ही नहीं, पत्र-जगत् को भी, जो स्वयं का स्वयं  
 राजदूत है, उसकी गरिमा-वृद्धि में महायत्न होना चाहिए।

हिंदी के पत्रों की दैनिक, मासिक, मासिक, त्रैमासिक, छमासिक, छमासिक  
 अनेकहफात्मक विविधता को, सबलन-मासिक, कदा-मासिक रूप में अत्यंत  
 देकर निबंध विस्तार दे डाला है।

पत्रों के सरकारी, असरकारी वर्गीकरण के अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 भी स्वाभाविक कही जाएगी। मस्याओं द्वारा प्रकाशित मृगय, अर्थगत अर्थगत  
 की विचारगत तथा माघनगत अपनी-अपनी सीमाएँ होने के कारण, अर्थगत अर्थगत  
 योगिता-सबधी कसौटी भी भीमिन ही रहेगी।

सरकारी पत्रों की नीति जितनी निश्चित है, उतनी ही अर्थगत अर्थगत।  
 उनके सबध में न पाठक को जिज्ञासा है, न प्रकाशक को चिन्ता। अर्थगत अर्थगत में  
 जो वितरणोत्सव आरंभ होता है, वह अन तत्क निबंध अर्थगत अर्थगत है।

विदेशी दूतावासों से भी अनेक हिंदी पत्र प्रकाशित होने हैं, अर्थगत अर्थगत  
 सबधी ज्ञातव्य के साथ उसकी प्रचारात्मक नीति का भी अर्थगत अर्थगत है।  
 भारतीयता की दृष्टि में पाठक में आत्मवीर्य अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 करना न उनका लक्ष्य हो सकता है, न होना चाहिए। अर्थगत अर्थगत या अर्थगत  
 विषय में ज्ञातव्य ही नहीं, विशेष विचार-पद्धति को भी, अर्थगत अर्थगत तथा अर्थगत-  
 तम प्रभविष्णु रूप में विज्ञापित करना ही उनके पत्रों का अर्थगत अर्थगत।

असरकारी पत्र-पत्रिकाओं में अधिकांश अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 जिनके निकट पत्र-प्रकाशन पारसं या गौण व्यापार है। अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 जगत् तक जो कुछ आर्थिक दृष्टि से लाभकर है। अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 उत्पन्न कर सकता है, सब पारसं व्यापार को भीना में अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 स्नान के उपरांत गीता-पाठ के स्थान में भी अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत। गगा-  
 सकता है और अर्थगत अर्थगत के एकांत म अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 लिए भी।

साधनहीन, किंतु उत्साही सामान्यवर्गीय निश्चित अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 प्रकाशन का सौभाग्य पाता है, उसे दुर्भाग्य से अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 उसे अकाल मृत्यु से बचाने के लिए 'महाजन देन पत्र म पत्र' ही अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 पडता है।

आधुनिक प्रचार-युग में प्रत्येक अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 किसी भी प्रतियोगिता के स्तर पर अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 को उत्कृष्ट प्रमाणित करने में समर्थ है।

इसके अतिरिक्त पत्र-प्रकाशन स्वयं अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत अर्थगत  
 हिंदी पत्र-जगत् - पत्र अर्थगत / ६३

पूर्ण साधन भी । ऐसे पत्रों के द्वारा शिक्षित जन उपकृत भी होते रहते हैं, अतः सामाजिक असतोष का उपचार भी सहज हो जाता है । उपकृत कभी विद्रोही की भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता । सपन्न प्रकाशक के लिए इस पार्श्व व्यापार में लाभ अधिक तथा व्यय नगण्य है, अतः उनके पत्रों को पुस्तक-विज्ञापन-पत्रिकाओं की सजा ही दी जा सकती है ।

राजनीतिक दलों के पत्र अपने नेताओं तथा अपनी विशेष विचारधारा के प्रति प्रतिश्रुत तथा प्रतिबद्ध रहें, यह स्वाभाविक है । एक दल के पास दूसरे दल के छिद्रान्वेषण का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें क्रियाशीलता के अंत का प्रश्न दल के अंत का प्रश्न बना रहता है ।

हिंदी का पाठक मानो पागलखाने का विक्षिप्त मानव है । जिस उपचार के नाम पर वह सीखचों में बंद है उसी के नाम पर बाहर के उपचारकधर्मी मुक्त हैं । उसके सुख-दुःख, हास-रोदन भी इनने अयथार्थ हो गए हैं कि कोई उसके रोने पर हसता है और किसी को उसके हसने पर दया आती है । कोई शृंखला से उसका शरीर बाधता है, कोई मन को सुलाने के लिए इजेक्शन देता है । कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का प्रयोग करता है, कोई प्राकृतिक उपचार का ।

हिंदी के पाठक को देखकर उस सैम्सन की कथा का स्मरण हो आता है जो केश काट दिये जाने पर अशक्त हो गया था और केश उग आने पर जिसने अपने विरोधियों पर मंदिर ढहा दिया था ।

विचारों के अभाव में हमारा पाठक ही दुर्बल है, अतः उसे पर अत्याचार सहज है । जिस दिन वह प्रबुद्ध होगा उसकी अपराजेय विद्युत् शक्ति से सभी शरीर की शृंखलाएँ तथा मन के कुंठाजनित घघन जल जाएंगे । तब उपचारक तथा रोगी की भूमिकाओं में भी परिवर्तन अनिवार्य है ।

## हिंदी रंगमंच

नाटक जीवन की दृश्य अनुकृति के द्वारा जीवन का सशोधनात्मक अनुरजन है, अतः उसे साहित्य के अन्य प्रकारों से अधिक कठिन सामाजिक कर्म माना जा सकता है। काव्य, कथा आदि में सृजन और उपयोग दोनों ही दृष्टिकोण से दो पक्ष आवश्यक होते हैं—साहित्यकार और पाठक। रचनारार की एकात में रची कृति एकात में एकाकी पाठक के संवेदनशील हृदय पर अपना रहस्य प्रकट कर सार्थक हो जाती है। परंतु नाटक की सार्थकता के लिए एकाकी पाठक और एकात स्थिति कोई महत्त्व नहीं रखती। उसके लिए स्रष्टा और अनेक दर्शकों के बीच में विभिन्न अभिनेताओं की महत्त्वपूर्ण स्थिति है और इन तीनों पक्षों की क्रिया और परिणाम का सामंजस्यपूर्ण तारतम्य ही नाटक को चरम सिद्धि तक पहुंचा सकता है और ऐसा तारतम्य सहज नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सतुलन का अभाव उसे केवल सशोधन या केवल अनुरजन में सीमित करने में समर्थ है।

स्वस्थ समाज में यह साधन शिक्षा, जीवन-दर्शन, प्रेरणा, अनुरजन आदि का स्वाभाविक साधन हो जाता है, परंतु एक अस्वस्थ समाज में उसके, उपदेशात्मक अपवादात्मक रूपों में सकीर्ण हो जाने की अधिक संभावना रहती है।

जहां तक हिंदी नाट्य साहित्य का प्रश्न है, उसने रंगमंच का साथ छोड़कर अकेले ही एक लंबा पथ पार किया है, अतः इस अकेलेपन से उसके स्वाभाविक विकास में बाधा न पड़ती तो आश्चर्य की बात होती।

संस्कृत नाट्य साहित्य विशेष समृद्ध है, परिणामतः संस्कृत भाषा से जन्म पाने वाली सभी प्रादेशिक भाषाओं में नाटक का आरंभ अनुवादों के रूप में हुआ। हिंदी भी इसका अपवाद नहीं है। परंतु विशेष राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण रंगमंच का सूत्र उसके हाथ से छूट गया। तब से अब तक हिंदी का नाटक-साहित्य अनूदित, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक कर्मों को पार कर चुका है। भारी बलेबर में एकाकी से हल्केपन तक आ गया है, परंतु रंगमंच उससे पग मिलाकर न चल सकने के कारण और अधिक पिछड़ता ही गया



है। धर्म के क्षेत्र में रामलीलाएँ, रासलीलाएँ और नोव-जीवन में स्वाग, नोटकी आदि ही रगमच का अभाव भरते आये हैं, परन्तु आधुनिक युग के बोलपटो से उनकी पराजय निश्चित है।

जीवन के नवनिर्माण के साधनों की खोज के क्रम में हमारी दृष्टि इस महत्त्वपूर्ण साधन पर पड़ी है अवश्य, परन्तु जब तक रगमच और नाट्य साहित्य के बीच की खाई नहीं पट जाती तब तक नाटक के उपयोग-संबंधी समस्या का समाधान कठिन है।

अन्य सृजनात्मक और क्रियात्मक पक्ष वाली कलाओं के समान, नाटक के भी दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आश्रित रहेंगे। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता और उसे मुक्त या सयत करता रहता है। सृजनात्मक साहित्य की गति, जीवन के बाह्य और आंतरिक रूपों में अबाधित है, अतः वह स्वयं मुक्त रहकर जीवन की मुक्ति का विधान करने के लिए अधिक स्वतंत्र है और मदा रहेगा। जीवन की व्यक्त भौतिक स्थिति से लेकर उसके अव्यक्त गूढ रहस्य तक सब कुछ उसके शब्द-संकेत पर मनुष्य के अतर्जगत् में पल्लुडियों के ममान खुलता चरता है। इसके विपरीत क्रियात्मक पक्ष के लिए, काल-स्थिति के अनेक बाह्य बंधन स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। एक में मानो सौरभ की अव्यक्त पर पहचानभरी उड़ान है और दूसरे में मानो उस विस्तार को समाप्त वाली पल्लुडियों का निर्माण है। एक में मुक्त प्रसार का हल्कापन है और दूसरी में घनत्व।

इनमें एक भी पक्ष विच्छिन्न होकर एक ऐसी विपरीत दिशा ग्रहण कर सकता है जहाँ दूसरे की गति असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाती है। परस्पर पूरकों की निरपेक्ष मुक्ति उन्हें अधूरा बनाने का दूसरा नाम है।

अनेक सामाजिक परिस्थितियों के कारण नाटक के सृजनात्मक और क्रियात्मक पक्षों में विच्छेद अनिवार्य हो गया और तब से उनकी निरपेक्ष पर अधूरी स्थिति, निरपेक्षतर और अधिक अधूरी होती गई है। इन्हें एक बिंदु पर मिलाये बिना न सापेक्ष बनाया जा सकता है न पूर्ण, पर इस मिलन-बिंदु पर आने के लिए दोनों ही सीमाओं का मोह छोड़ना आवश्यक हो जाता है।

जिस प्रदेश में हिंदी रगमच की स्थिति और विकास स्वाभाविक था, उसे देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक सघर्ष भेदना पड़ा और उस सघर्ष की समाप्ति पराजय में होने के उपरांत परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल रही कि सांस्कृतिक जीवन में विषम अवरोध उपस्थित हो गया। कलाओं का क्रियात्मक विकास जीवन के स्वस्थ सामूहिक विकास का मापदंड है। विकास की दृष्टि से उनमें जीवन का आत्मसंरक्षण ही नहीं, आत्म-प्रक्षेपण भी रहता है और इस प्रक्षेपण के लिए समाज की ग्रहणशील मनोभूमि के साथ-साथ ग्रहण के अनुकूल भौतिक स्थिति भी आवश्यक रहेगी।

सघर्ष और पराजय के युग में समाज की आत्मरक्षण और गोपन की स्थिति ने यदि हमारी संगीत, नृत्य, अभिनय आदि सभी सामूहिक सांस्कृतिक कलाओं की गति रुद्ध की है तो आश्चर्य की बात नहीं। उनका घर्म या विलास की सकीर्ण सीमाओं में शरण लेना भी स्वाभाविक था। प्रवाहहीन विशाल जलराशि को अंत में सीमित गर्त ही शरण देते हैं।

हिंदी के क्षेत्र में घर्म की सीमा के बाहर ये कलाएँ अछूत के समान मन की अस्वच्छता के अवसर पर ही स्मरण और प्रयुक्त की जाती रही हैं, इसी से इनसे स्रष्टाओं को सामाजिक स्वीकृति के अभाव में अप्रतिष्ठित रहकर ही कला-सृजन का मूल्य चुकाना पड़ा है।

क्रमशः ये सब सशोचनारमक अनुरजनवती कलाएँ, एक ऐसे वर्ग की व्यावसायिक पूजा बन गईं, जिसे समाज से बहिष्कृत रहकर भी उसके मनोविनोद की सामग्री प्रस्तुत करनी पड़ती थी।

स्वस्थ समाज में व्यक्ति और समष्टि के बीच में जितने प्रकार के आदान-प्रदान सम्भव हैं, उनमें साहित्य और कला का आदान प्रदान ही श्रेष्ठ है। देने वाला अपने कर्तव्य की समस्त निष्ठा के साथ मस्तक ऊँचा करके देता है और लेने वाला सौहार्द के अखंड विश्वास के साथ मस्तक झुकाकर लेता है। परंतु विषम और अस्वस्थ समाज में लेने वाला, रोगी के खिजलाहट-भरे हठीले भाव से मागता है और देने वाला अज्ञान परिचारकों के समान रोगी को बहलाने की घबराहट के साथ देता है। इस आदान प्रदान से न एक स्वस्थ होना है और न दूसरा आरवस्त। जीवन के सर्वांगीण निर्माण की याजना न रगमच की अनिवार्य आवश्यकता सिद्ध कर दी है, परंतु जब तक हमारे प्रयत्न एकांगी रहेंगे, तब तक स्वस्थ रगमच का विकास असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगा।

रगमच के लिए आवश्यक तीनों पक्षों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन ही उसे लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ है। अतः इनमें से किसी पक्ष से विच्छिन्न होकर चलना हमें किसी अन्य दिशा में पहुँचा सकता है। रूपक, साहित्य का आवश्यक अंग है और इस रूप में उतका सृजन, साहित्य के अन्य अंगों के समान नाटककार की विशेष प्रतिभा, जीवनदर्शन आदि की अपेक्षा रखता है। नाटक समष्टि को सब ओर से स्पर्श करता है, परंतु इसी कारण वह जीवन की गहराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। समुद्र सब ओर से पृथ्वी को छूने के कारण गभीर और रहस्यमय तल से विच्छिन्न नहीं हो जाता।

ऐसी स्थिति में गरुड नाटक के लिए जीवन की गहनता और रहस्यमय अलंकारों से परिचित प्रतिभावान स्रष्टा की स्थिति अनिवार्य रहेगी। कुछ दंतवृत्तों को एकाग्र कर केना मात्र नाटक नहीं बन जायगा। पर नाटककार के लिए जैसे जीवन के गभीर रहस्य का माहात्म्य आवश्यक है, उगो प्रकार उमके व्यक्तिगत

साक्षात्कार को समष्टि का साक्षात्कार बनाने वाले रगमच की सीमाओं की जान-कारो अनिवार्य है। जीवन व अनेक मूल्यवान सत्य तथा अनत और निगूढ रहस्य, शास्त्र म सुरक्षित और साहित्य म संप्रेषणीय हैं। परंतु ये समष्टि को एक साथ बँटाकर उक्त सत्य या रहस्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराते, वरन् पात्रता अपात्रता की परीक्षा और प्रतीक्षा के लिए स्तत्र हैं। नाटक को हर सत्य, हर रहस्य को इस प्रकार वाणी देनी पडती है कि समष्टि उमका आवाहन सुनने के साथ साथ उक्त सत्य या रहस्य को साधार देख सके। इस समष्टि को भूलकर नाटककार अपने सत्य के साथ अकेला रह जाना है और यह अकेलापन नाटककार की सिद्धि नहीं माना जा सकता।

हर रचना म सैद्धांतिक पक्ष व ममान ही महत्त्वपूर्ण उमका शिल्पपक्ष या विज्ञान है। अनुभूति, कल्पना और बौद्धिक क्रिया समान होने पर भी रचना-विधान एक नहीं हो सकता। अनुभूति की तीव्रता समीत मे जो विधान स्वीकार करती है, वह चित्र म नहीं और चित्र मे जा गिल्प अमीकार करती है वह मूर्ति मे नहीं। रचना-विधान की दृष्टि म साहित्य म विरोध विविधता है, अत उसके कविता, कथा, नाटक आदि प्रकारो व मून म अनुभूति की एकता होने पर भी अभिव्यक्ति के रूपो मे अनेकता रहती है। इसी कारण एक उत्तम कवि के लिए सफल कथाकार और एक सफल कथाकार के लिए सिद्ध नाटककार हो जाना नियम नहीं, नियम का अपवाद हो सकता है। शिल्प-विधान की दृष्टि से साहित्य के विभिन्न अवयव एक-दूमे की अनुकृति नहीं होते, अत जिस रचना-विधान का आश्रय लेकर महाकाव्य सार्थक हो सकता है, उसी का अनुकरण कर उपन्यास सफल नहीं माना जाता और उमी शिल्प-सीमा मे बंधकर नाटक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुच सकता।

रगमच कोई गढा-ढला हुआ साचा नहीं है, जिसमे नाटक को दबकर विकृत हो जाना पडेगा। वह तो नाटक की निराकार आत्मा को रूप-रगो मे साकारता देने का साधन मात्र है। हर सीमा के समक्ष असौमता की असह्य सभावनाएँ हैं, अत नाटक के साथ ही रगमच की सकीर्ण और कठिन रेखाएँ विस्तृत और लचीली हो सकती हैं, उससे विच्छिन्न होकर नहीं। विश्वात्मा की व्यापक अनुभूति भी तो हमारे सीमित हृदय के साथ बधी हुई है। व्यक्ति अपनी अनुभूति और बौद्धिक विकास से महान और विराट् होने के लिए शरीर की सीमाओ को न खड खड कर सकता है और न उससे पर्वत नदी-वन बाधकर घूम सकता है। पर ठीक ऐसी ही स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब नाटककार अपने नाटक की महान आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए रगमच को लघु और सीमित समझता है। आत्मा की मुक्त उडान के लिए जब वह रगमच का बंधन तोड बँठता है, तब उसे वायवी विस्तार चाहे जितना अधिक मिल जाये, धरती के रगरूपो में स्पंदित

प्रत्यक्षता पाना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। इस प्रवृत्ति से रगमच की भी क्षति हुई है, क्योंकि आत्मा की अशरीरी स्थिति तो कल्पना में स्थान पा सकती है, पर आत्मा के अभाव में शरीर की कोई स्थिति संभव नहीं रहती।

दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष अभिनेता वर्ग का है जिनमें नाटक की आत्मा अवतरित होती है।

न वे यत्र मात्र हैं और न अर्थ के लिए श्रम बेचने वाले श्रमिक मात्र। नाटक के पात्रों की क्रिया या घटना ही नहीं, उनके अतर्द्ध, सुख, दुःख आदि को संपूर्ण मार्मिकता के साथ अभिनय द्वारा ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है। परिणामतः अभिनेताओं की मानसिक पृष्ठभूमि और चेष्टा, क्रिया आदि में एक सामंजस्य अनिवार्य हो जाता है। अभिनेता की सफलता की कसौटी उसकी आत्मविस्मृति और अपनी भूमिका के आधार से पूर्ण तादात्म्य की शक्ति ही रहेगी। पात्र-विशेष की पृष्ठभूमि, परिस्थिति, सस्कार, सघर्ष आदि से उसे बौद्धिक के साथ-साथ रागात्मक संवर्ध की भावना करनी पड़ती है। नाट्यशास्त्र, नाट्यकला, नाट्य साहित्य आदि का ज्ञान भी उसके अभिनय की सफलता में सहायक हो सकता है।

हमारे यहाँ व्यावसायिक रगमच नगण्य और अव्यावसायिक अनिश्चित है। सांस्कृतिक या शिक्षा संस्थाएँ यदा-कदा कंसे आयोजन कर लेती हैं। परंतु ऐसे विरल अवसर अभिनय कला को विकास के लिए अवकाश नहीं दे सकते।

रगमच अपने आपमें एक महत्त्वपूर्ण शिल्प भी है। अन्य देशों में मंच, यवनिवा, नेपथ्य, पट-परिवर्तन, आलोक आदि का विज्ञान प्राचीन से आधुनिकतम होते होते बहुत-से क्रम पार कर चुका है। उसके तत्संबंधी ज्ञान और शिक्षा के बिना सफल रगमच की कल्पना मात्र है।

रगशालाओं का अभाव भी नाट्य-कला के विकास की एक बड़ी बाधा है। सिनेमा हॉल न नाट्यकला की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बने हैं और न वे सुलभ ही रह सकते हैं। अव्यवसायी रगमच उनके उपयोग के लिए अधिक अर्थ-व्यय भी नहीं कर सकता। रगमच की कला के विकास के लिए ऐसी रगशालाएँ अनिवार्यतः आवश्यक हैं, जो केवल अभिनय को ध्यान में रखकर बनाई गईं हों और सब नाट्यमंडलियों को नाम मात्र के व्यय पर सुलभ हो सकें। नाट्यशास्त्र तथा रगमच-संबंधी साहित्य का निर्माण और प्रकाशन भी रगमच के विकास को स्वस्थ दिशा दे सकेगा।

अब तक हमारे समाज ने अभिनय को मस्ता मनोरंजन कौतूक ही माना है, अतः रगमच की दिशा में हुए प्रयोगों का कोई लेखा-जोखा तक उपलब्ध नहीं है। यदि हम अपने रगमच-संबंधी प्रयोगों के इतिहास को एत्र कर सकें तो उससे हम उक्त प्रयत्न की त्रुटियों और परंपरा का बोध हो सकेगा। बिना उन्नत सांस्कृतिक धरातल पर प्रतिष्ठित हुए यह कला समाज के धरातल को सांस्कृतिक

परिष्कार देने में असमर्थ रहेगी, पर इस कार्य के लिए सस्कृत, शिक्षित, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रगमच से सबद्ध होना पड़ेगा। इस कला का सामाजिक महत्त्व समझकर जब हम उसके विकास का प्रयत्न करेंगे तभी वह अवज्ञा की परिधि के बाहर आ सकेगी।

तीसरा पक्ष दर्शक का है जिसकी रुचि का परिष्करण ही रगमच का लक्ष्य रहता है।

हमारे समाज में साधारण दर्शक से परिष्कृत रगमच का अपरिचय इतना पुराना हो चुका है कि वह उसी को परिचय मानने लगा है। सवाक् पटो ने भी दर्शक की रुचि को विकृत से विकृततर करने का ही प्रयत्न किया है। ऐसी स्थिति में केवल उसकी रुचि पर निर्भर रहकर रगमच अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेगा।

## हिंदी संगमंच-२

जीवन से भी कठिन पर अधिक प्रभावशालिनी जीवन की अनुकृति है, यह सत्य जितना रगमंच पर परीक्षित होता है उतना अन्य किसी क्षेत्र में नहीं।

साहित्य का क्षेत्र साहित्यकार और पाठक दोनों की दृष्टि से इतना व्यापक है कि उसकी कसौटी न समय से सीमित हो सकती है, न जीवन से। उसका क्षणिक भवभूति के साथ स्वर मिलाकर 'बालोह्य निरवधि विपुला च पृथ्वी' कह सकता है और अपने समानधर्मा के आगमन की प्रतीक्षा में युगयुगांतर बिता सकता है। परंतु नाटक की तात्कालिक कसौटी रगमंच है और रगमंच का अकालक्षम परीक्षक दर्शक-समाज। रगमंच या तो तत्क्षण परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है या अनुत्तीर्ण, अतः उस प्रथम क्षण की तैयारी ही सारे त्रियांकलाप और सृजन का केंद्र रहती है।

हमारी सस्कृति ने इस कला के जीवनव्यापी प्रभाव का कितना मूल्य आंका, इसे जानने के लिए हम भरत के नाट्यशास्त्र तथा रूपको के विविध प्रकारों को देख सकते हैं।

अवश्य ही आज हमें उस समय का अभिनय-मंच ही साहित्य कुछ अधिक सवीर्ण बंधनों में बंधा जान पड़ेगा। प्रायः सभी नायक-नायिकाओं को एक ही ही रूप-रेखा में अवतीर्ण होना पड़ता था तथा सभी कथानकों का सुख में ही अंत निश्चित था। आधुनिक दृष्टिकोण में चाहे हम इसे बड़ी भारी त्रुटि मान लें, परंतु तत्कालीन मान्यताओं के अनुसार यह त्रुटि नहीं कही जाएगी।

किंगी माधारण समाज की अवस्था बालक की अवस्था से अधिक समानता रखती है, अतः दोनों के ज्ञान प्राप्ति के सामूहिक साधनों में भी कुछ समानता स्वाभाविक कही जायगी। एक स्थिति में बालक अपने बड़े होने का स्वप्न देखना पसंद करना है और ऐसी अवस्था में उसके मन पर समवयस्क के रोने-हमने तथा उसके धन्य कार्यों का इतना स्थायी और अनुकरण की प्रेरणा देने वाला प्रभाव नहीं पड़ता, जितना उसमें बड़े व्यक्ति के कार्यों और चेष्टाओं का। परिणामतः

वह उनके प्रत्येक कार्य को विशेष ध्यान से देखकर उमंग अनुकरण करने की चेष्टा किया करता है। संभवतः रंगमंच के प्रभाव को स्थायी और संप्रेषणीय बनाने के प्रयत्न में ही हमारे प्राचीन नाट्यशास्त्र को कुछ ऐसी सीमाओं को स्वीकृति देनी पड़ी हो, जो आज हममें एकरसता की अनुभूति उत्पन्न कर सकती हैं। साधारण जनता के चित्त पर विशिष्ट व्यक्तियों के त्याग और बलिदान सुख और दुःख, संपत्ति और विपत्ति का जैसा अनुकरणशील प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, वैसे सामान्य व्यक्तियों के कार्यों तथा उनके सुख-दुःख का नहीं। समाज में विरागियों की संख्या कम नहीं, परंतु राजकुमार मिथ्याई का विराग ही हमारे अंतस्तर में अंकित रह जाता है, अनेक माध्विया ब्रह्म संहती हुई प्राण देती रहती हैं, परंतु मंथिली जैसी सती की अग्नि परीक्षा ही हमारे हृदय में दीपक की तरह जलती रह सकती है। हम उसी का अनुकरण करना चाहते हैं, जो हमारा अग्रगामी हो।

मानव-समाज की इसी दुर्बलता को देखकर प्राचीन काल के कलाविदों ने विशिष्ट व्यक्तियों के आदर्श चरित्रों को अभिनय के लिए चुना। इन चरित्रों के उत्थान-पतन, अतृप्त तथा आपत्तियों में जनता अधिक प्रभावित होती थी। इससे अतिरिक्त अभिनय का आरंभ भी देव-मंदिरों में देव-देवियों के चरित्र-चित्रण द्वारा हुआ था, फलतः साधारण चरित्रों की प्रमुखता मिलना अधिक सामाजिक विकास और विस्तृत दृष्टिकोण की अपेक्षा रखना था। वैसे उसमें विदूषक तथा अन्य साधारण चरित्रों का समावेश रहता अवश्य था, परंतु कथानक का नायकत्व किसी विशिष्ट व्यक्ति को मिलना अनिवार्य था। इस प्रयत्न में नायक-नायिकाओं में कुछ एकरूपता अवश्य आ गई, परंतु इससे समाज की उद्देश्य-सिद्धि और कला के विकास में बाधा नहीं पड़ी।

दुःखानुभव के विषय में प्राचीन कलाविदों के विचार हमारे विचारों से भिन्न थे। उसकी दृष्टि में जो कुछ सुंदर, सत्य और कल्याणमय था, उसका नाश संभव ही नहीं था, उसे अमरता का चिरंतन अधिकार भी था। केवल कुत्सित, कुरूप, असत्य और अमंगलकर ही मृत्यु का अधिकारी था, परंतु कुत्सित असत्य को वे अपने कथानक में प्रमुख स्थान नहीं देते थे, अतः उसका दुःख या मृत्यु में अतः केंद्रबिंदु नहीं था। वैसे प्रयत्न से वे अपने अभिनय के लिए आदर्श चरित्र चुनते थे, वैसे ही सतर्कता से वे उस चरित्र को नष्ट होने से बचाते थे। आपत्तियों और बाधाओं में, आधी तूफानों से लोहा लेना उन्हें अच्छा लगता था, दुःख के अथाह समुद्र को पार कर जाना उनका लक्ष्य था, परंतु पराजय और वह भी कुत्सित के द्वारा सुंदर थी, असत्य के द्वारा सत्य की, मृत्यु के द्वारा जीवन की पराजय उन्हें असह्य थी। इस तर्क के युग में हमें चाहे यह इच्छा उपहासास्पद जान पड़े, परंतु जीने के इच्छुक के लिए मृत्युजय मंत्र का प्रभाव रखती है। वास्तव

म यदि मनुष्य को सत्य और सौंदर्य की अमरता में विश्वास न हो तो उनके प्रति उसका आकर्षण भी न रह जावे, इस साधारण सत्य को प्राचीन कलाकारों ने भली भाँति समझा था। इसी से वन की हरिणियों के साथ खेलने वाली भोली शकुंतला भरी सभा में राजा पति के द्वारा मिथ्यावादिनी ठहराई जाकर भी आधुनिक युग की निराश रमणी की तरह न आत्महत्या कर सकती है और न प्रतिशोध लेने को पागल हो उठती है। उसका सौंदर्य, उसकी मरलता, उसका विश्वास और उसका अयाचित प्रेम ऐसे शाश्वत गुण हैं जिनका नष्ट होना तो संभव ही नहीं, साथ ही जिनके बिना दुष्यंत का दर्पपूर्ण पुरुषत्व भी पूर्ण नहीं हो पाता। उसके लिए यदि पृथ्वी पर दुष्यंत से मिलन संभव नहीं तो वह उससे अंतरिक्ष में मिलेगी, परंतु मिलेगी अवश्य।

इस दृष्टिकोण से चाहे हम सहमत न हो, परंतु इसे कला के लिए बाधक सिद्ध करना ठीक होगा। आज तक शकुंतला से अधिक सुंदर और सरल चरित्र की सृष्टि हम नहीं कर सके हैं और भविष्य में कर सकने की संभावना भी कम है। शकुंतला की मृत्यु या उसके चिर वियोग से नाटक चाहे दुःखात होता चाहे नहीं, परंतु सौंदर्य और सत्य में हमारे विश्वास की अवश्य ही दुःखमय मृत्यु हो जानी।

वास्तव में कर्ण रस का परिपाक अंत पर निर्भर भी नहीं रहता। कितना ही दुःखात प्रधान ऐसे हैं, जिनके अंत हमें प्रमत्त कर देते हैं, विन्न नहीं, और कितने ही सुखान ऐंसे हैं, जिनके अंत में हम जीवन पर मडरानी हुई विषाद की छाया देखकर अस्थिर हो उठते हैं। भवभूति के उत्तररामचरित का अंत हमें उतना कर्ण से आर्द्र नहीं करता, जितना राम और सीता का अंतद्वंद्व। अभिनय में आनंद या कर्ण की प्रधानता दर्शकों के मनोभावों द्वारा आबी जानी चाहिए, क्या वे सुखमय या दुःखमय अंत से नहीं। अभिनय यदि हमारे सुख-दुःख के सघर्ष, जीवन की जटिल समस्याओं और मानव हृदय के धाजीवन न मिलने वाले अंतद्वंद्व की दुःखता को यथार्थ रूप से चित्रित कर सके तो वह मकरुण है, यदि वह सत्य, शिव और सुंदर की अमरता का ज्ञान करा सके तो वह आनंदमय है। उस युग की नाट्यता का यही मूल मंत्र था और यहूत समय तक रहा।

वर्तमान काल में हमें अभिनय कला का जो परिषय मिला, वह ध्यवगायी पारमी गिद्यटर कानियों का रगमच पर ही मित गया। यह आश्चर्य का विषय है कि हिंदी नाटकों के आविर्भाव में अब तक हमारा कोई रगमच नहीं रहा। ध्यवगत रूप से कभी कुछ ध्यविनयो ने मतोविनोद के लिए किसी नाटक का अभिनय कर नी निपा तो उनमें किसी स्थायी रगमच की स्थापना नहीं हो सकी।

पुनत हमारा हिंदी नाटक माहिरय जितनी अध्ययन की वस्तु है, उतनी अभिनय की नहीं। उनमें अभिनय, ध्यवनेता, दर्शकों का उतना ध्यान नहीं



रखा जाता जितना अध्ययनशील पाठकों का । इसी से हम उनका पाठ्य-पुस्तकों की तरह अध्ययन अभिनय से अधिक सुगम जान पड़ता है । यदि अपना कोई रग-मच रहता तो उसकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हम इस कला द्वारा अपनी संस्कृति, अपने आदर्श और अपने इतिहास को सर्वसाधारण के हृदयों में जीवित रख सकते थे । जो व्यवसायी थियेटर कपनिया जनता की दर्शक-शक्ति से लाभ उठाने आईं उन्हें समाज की संस्कृति का और इस कला का महान् सामाजिक लक्ष्य का न ज्ञान था और न उन्हें इसकी आवश्यकता ही जान पड़ी । जनता कोई भी खेल देखने के लिए मचले हुए बालक के समान व्यग्र हो रही थी । उसे न अभिनय-विषयक कोई ज्ञान था और न उसके सम्मुख रगमच की कोई रूप-रेखा थी, जिससे वह इन कपनियों के अभिनय और मच की तुलना कर सकती । यदि उसके सम्मुख मच पर अक्सर एक उड़ने लगती, तो भी उसे कौतुकमिश्रित प्रमत्तता होती और कठपुतलिया नाचती तो भी । उसने जो देखा उसीकी प्रशंसा की और उसके कौतुकप्रिय स्वभाव से लाभ उठाकर यह व्यवसाय बिना सामाजिक या सांस्कृतिक लक्ष्य के, बिना अभिनय-कला के ज्ञान के दिनोदिन वृद्धि पाने लगा । हमें इन रगमचों से अस्मात् कभी-कभी कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री भी मिलती रही, यह अस्वीकार करना सत्य की अपेक्षा करना होगा, परंतु अधिकांश में वहां सस्ती उत्तेजना बढ़ाने वाले गीत, कामुकता को प्रश्रय देने वाले मृत्यु और विवृत प्रभाव डालने वाले चरित्रों का ही प्राधान्य रहा । इन रगमचों ने वह दिया जिसे रासधारी, राधाकृष्ण के बहाने देन का निष्फल प्रयत्न करते थे और इन्होंने वह छीन लिया जिसे रामलीला वाले, सफलतापूर्वक देते थे । इनके पास साधन थे । चमत्कृत कर देने वाले दृश्य, चकाचौंध कर देनेवाला प्रकाश, कौतूहल उत्पन्न कर देने वाली वेशभूषा और असंयत अभिनय-अभिनेत्रियों के दल ने विकृति को भी प्रकृति के रूप में दिखाया । परंतु यदि ये व्यवसायी रगमच न होते तो अभिनय-कला की ओर हमारा ध्यान न जाता ।

उसके उपरांत जो मूक चल-चित्रों का युग आया उसे अभिनय के विकास का विशेष श्रेय मिलना उचित है । उसके निकट रगमच का स्थान-संकोच न होकर वाणी का संकोच था । उसे सभी प्रकार के अतट्टंठ तथा परिवर्तनों को केवल मुख के भाव तथा अंग की चेष्टाओं से ही प्रकट करना पड़ता था, अतः अभिनय कला की ओर विशेष ध्यान देना अनिवार्य हो उठा ।

शब्द चित्रों को सफलता तो मिली, परंतु रगमच अपनी वाणी के कारण आकर्षक बना रहा । उसकी सजीवता, उसका संगीत और उसकी रगीनी अनेक व्यक्तियों का अपनी ओर खींचती रही । प्रायः उसकी तुलना में मूक चलचित्र छाया-से जान पड़ते थे, परंतु शब्द चित्रों के आविर्भाव के साथ अभिनय कला का एक अभूतपूर्व नवीन युग आरंभ हुआ । उसके उज्ज्वल भविष्य के विषय

मे किसी को सदेह नहीं होता, यह कहना तो कठिन है, परंतु यदि उसे केवल व्यवसाय का साधन न बनाया जावे, तो अवश्य ही यह हमारी सामाजिक प्रगति में सहायक रहेगा। इसकी भी कठिनाइयाँ हैं। इसमें स्थान का सकोच है न अभिनेता अभिनेत्रियों के सामने प्रशंसा के लिए उत्सुक, सजीव और जागरूक दर्शक-समूह रहता है और न दर्शकों के सम्मुख भावतन्मय जीवित, जागृत अभिनेता अभिनेत्री। इस छाया-काया के सम्मेलन को कला का चरमोत्कर्ष ही सजीव बना सकता है। उसकी अनुपस्थिति में यह जीवित जन-समूह के सामने मुखर चित्रमय जगत् मात्र रह जाता है। अभिनेताओं की कठिनाइयाँ भी कम नहीं। हमारे सुख-दुःख भी दूसरों को प्रभावित करने पर अधिक सत्य जान पड़ते हैं। तब फिर अभिनेता सुख दुःखों को दूसरों के सहयोग की कितनी अपेक्षा रहती होगी, इसकी कल्पना कठिन नहीं। जहाँ प्रत्येक भाव भी प्रतिध्वनि बनने के लिए उत्सुक हृदय नहीं, वहाँ कुछ निश्चित क्षणों में किसी विशेष भाव का उसकी चरम सीमा तक पहुँचा देना सहज नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए जिस कला की आवश्यकता होती है, वह निरंतर साधना और और मानव-स्वभाव के विस्तृत अध्ययन पर जितनी निर्भर है उतनी किसी बाह्य उपकरण पर नहीं।

सवाक चित्रों में रगमच केवल इसलिए पराजित नहीं हो सकता कि उसके मार्ग में कठिनाइयाँ अधिक हैं, वरन इसलिए कि उसकी कला परिष्कृत रूप तक पहुँच ही न सके। वाक्पट रगमच को मुला देने के सभी उपकरण लेकर आया था और जनता ने नवीन और प्राचीन की तुलना में नवीन को ही अधिक आकर्षक पाया। शक्ति का प्रयोग लाभ के लिए जितनी सुगमता से हो सकता है, हानि के लिए उससे भी अधिक सुगमता से बिचा जा सकता है। प्रायः शक्ति की मात्रा हानि की मात्रा से नापी-तोली जाती है, लाभ की मात्रा से नहीं। इसी से प्रायः सवाक चित्र, रगमच से अधिक उत्तेजक सामग्री देखकर जनता की विकृत रुचि को और विकृत बनाकर अपनी शक्ति का परिचय देने का लोभ न रोक सके।

इसके साथ व्यवसाय का प्रश्न भी था। जनसाधारण को उसकी रुचि के विरुद्ध कुछ देना हठी बालक को बहलाने के समान कठिन है। वह सुदूर से सुदूर वस्तु को फेंककर उसी को लेना चाहेगा, जिसके लिए उसने हठ ठाना हो। वाक्पट, रगमच के स्थान-सकोच और मूकपट के वाणी सकोच से रहित और इन दोनों की विशेषताओं से मुक्त होने के कारण सामाजिक विकास और जनता की रुचि को परिष्कृत करने में जितना समर्थ है उसे विवृत करने में भी उतना ही क्षम है। उसमें कला का विकास भी संभव है और ह्रास भी। केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण वह सर्वसाधारण की रुचि परिष्कृत नहीं बना सका, यह स्पष्ट है। एक ओर सुधार मंच पर मस्ते उत्तेजनावर्धक नृत्य और प्रदर्शनों के बहिष्कार के प्रस्ताव होते रहते हैं और दूसरी ओर सवाक चलचित्रों

के रंगमंच पर अर्धनग्नता से निकृष्ट प्रदर्शन का अभिनय होता रहता है। एक ओर जनता को प्रगति के पथ पर बढ़ना सिखाया जाता है और दूसरी ओर असंस्कृत और निर्लज्ज अभिनयो द्वारा प्रमत्त बनाकर गिरने को प्रेरित किया जाता है। विनोद के लिए रखे गये दृश्य भी मर्यादा व सकोच की सीमा अतिक्रमण कर जाते हैं। अवश्य ही अपने छोटे जीवन में सवाक् चलचित्रों ने हमें ऐसे अनेक बलापूर्ण चित्र भी भेंट किये हैं, जिनसे हमें अपनी संस्कृति और समाज का यथार्थ ज्ञान हो सका, परंतु चित्रों की संख्या देखते हुए वे नगण्य हैं।

अभिनय कला का वास्तविक उपयोग तो समाज की रूचि को अधिक परिष्कृत बनाकर उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना ही है।

यदि आधुनिक युग में इतने साधनों से पूर्ण होने पर भी हमारी अभिनय कला अपने महान् सांस्कृतिक और सामाजिक लक्ष्य से दून्य रही तो वह हम एक पग भी आगे न बढ़ा सकेगी। जीवन में जो कुछ कुरिस्त, अस्थिर, अमंगलकर और असंस्कृत पद्यत्व है, उसीमें सुंदर, शाश्वत, वन्याणमय और संस्कृत देवत्व का दूढ़ने के प्रयास में कला का जन्म और उसकी अभिव्यक्ति में कला की सिद्धि है। इसी से मनुष्य ने उसके बिना अपने-आपको अपूर्ण अनुभव किया है और सदा करता रहेगा।

अभिनय हमारी केवल प्राचीन ही नहीं, प्रिय कला भी है। यदि हम जीवन को अधिक परिष्कृत और सुंदर बनाने में इसका उपयोग करें तो इससे व्यक्ति और समाज दोनों ही अधिक पूर्ण हो सकेंगे। वैसे विकृत मात्रा में तो ओपधि भी विप हो जाती है।

## ऋरुणल कल सुदुैशुवलहुकल

डरलरुड क कुणु डे डदल डडनल डुलुड डडलने के ललए दुडरे कल डुलुड डडल डेने कल दुडुडलतल डडडे न उतुडनुन हुल गदुई हुतुी तु डुदु और उनुके सुदुदुलतु से अनुडुरलणलत सुसुकुतल कुु, इतने डने कुहुरे न न डक ललडल हुतुल । सुलधलरणत डुदु कल सुडरण हुतु हु डडलरे सुलडने नलरुी अैसल कडण, कुुडल, डडडडलए नेतुरु डललल एक नलडुडल डलडुड सुवडुनडुशुी डल अलतल हुै । डहुनल डुडरुड हुै कु डहु कलतुर डलसुतलडलक डुदु से कुुई सुलडुड नहुी रलतुतल ।

डहु सुतुड हुै कु उनुके डुरडकन तरु डहुत सुडड के उडरलत ललडलडुदु हुु सुके, डरतु डुदु डलहुलसुड ड कुु कुुड डुरलडलणलरु सुदुदु हुु कुुवल हुै डहु डुी और अलसडे डलुडनल कल अशु अडलक हुै डहु डुी, डुदु के डुरडत अडे डुडलनलतुड कल हुी आडलस डेतल हुै अलसडे डकुरलकुर एक डलन गतलहुीन डलरतुीड सुसुकुतल शत-शत डलरलओ डे डुडुडर डहु कनल डुी ।

अड हुड अडने डलडने ऐसे कडुनलडुड ततुडवलडुडेडक कुु डलतुे हुै अलडने डुग कुुी डलखलओ तडल अनुड डलकलरडलरलओ कल अधुडडन कुरलडल, डुरुड डुरतलडुडलत अहुडलडलडुड के अनुडलर कडलन तड सुहुल, डहुी डलतल न डलरर डहुन कलतन-डनन के उडरलत सुहुअ डलनड डडुड सुओअ नलकलल, एकलत से डुीड डे सुतुडर डुरकललत सुदुडलडुु, डरडरलओ और डलदुडलडुु के डलडुड डलअड-डलतुरल डुी अुर अलडन के सुधुडलरल डे एक डलन अलसुडसुड डरुरुु से डुदल डलतुरल कुरतुे-कुरतुे डडकुर डलरुग के एक अलर डलल डुशुु के नुीके डेतुडर दुसुरी डहुलडलतुरल अलरड डुी, तड हुड अललु डलन-डलनडर सुलकतुे हुै- डहु तुु डहुलरुी डलुडनल डुी डुतल नहुी, डहु तुु डहु डुदु नहुी ।

डुदु के डुडलनलतुड ड दुु डलशुेडनलए ऐसुी हुै अलनकल सुडुग सुहुअ नहुी हुै- डुडुु डुदुडलडुड और डलडल डलनडुीड ततुड । उनुके डुदुडलडुड के सुलडने तुु अलडु-नलड डैअलनलडु डुग कल डुदुडलडुु डुी डडल डलडुड अलन डुडुेगल । अलर कल डुदुडलडुु

अध्यात्म की उपेक्षा करने भी अपने अहम् की पूजा-अर्चा में आस्तिक भक्त बन जाता है ।

बुद्ध तो बुद्धि के सबध में अहंकाररूपी विशुद्धतावाक्य हैं । जो तर्क से प्रमाणित नहीं किया जा सकता वह उन्हें स्वीकार नहीं । अपनी विशुद्ध बौद्धिकता के बल पर ही वे युगों से बद्धमूल विश्वासों का विरोध करने लगे हुए और तर्क की सहज स्वाभाविकता के कारण ही हर दिशा में उनकी यात्रा विजय-यात्रा ही सिद्ध हुई, पर उनकी असीम शुद्ध बौद्धिकता में मानवीय मौहार्द की पतिव्याप्ति आश्चर्य का कारण बनती रहती है । प्रायः उग्र बुद्धिवाद मानवीय तत्त्व को ऐसी उपेक्षित स्थिति में पहुँचा देता है कि मनुष्य जीवन का स्पर्श ही भूलने लगता है ।

हमारे बुद्धिवाद की सूक्ष्मता में छाये हुए वीतराग दार्शनिक या अविश्वासी पर सुखलिप्सु चारवाक्य ही नहीं, आज के विक्षिप्त तर्कवादी भी यही प्रमाणित करेंगे । इसके विपरीत मानवीय तत्त्व की प्रधानता एवं प्रचार की भावुकता को विकास देने में समय है, जो विश्वास ही नहीं अविश्वास के लिए भी द्वार खोल सकती है । मानव-व्यथा-भावना पर केंद्रित अनेक विचारधाराओं की अविश्वासी में परिणति इसी सत्य का उदाहरण है ।

बुद्ध विशुद्ध बौद्धिक और सहज मानव हैं, इसीसे विद्वानों की परिपदों में उनका जय-शुभ वज्रता रहा और साधारण जीवों में उनकी कृपा की रागिनी गूँजती रही ।

संसार के धर्म-संस्थापकों की पकित में बुद्ध ही ऐसे अकेले हैं जिन्होंने मनुष्य के सबधों में सामंजस्य लाने के लिए परमात्मा की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की, मनुष्यता उत्पन्न करने के लिए किसी पारलौकिक अस्तित्व का सहारा नहीं लिया । जिस निमंम बौद्धिकता के साथ वे अपने वचनों को भी तर्क की कसौटी पर बसकर ही स्वीकार करने के लिए कहते हैं, उसी के साथ वे जीवन के अनिम घणों अपने संस्थापित धर्म के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं चुनते । उल्टे अपने योग्य और प्रिय शिष्य से कह देते हैं—“गुरु नहीं रहा, यह न समझना आनंद ! मेरे द्वारा जो धर्म विनय उपदिष्ट हुआ है, प्रज्ञप्त हुआ है, मेरे न रहने पर वही तुम्हारा गुरु है ।”

अपने अंतिम आदेश से अधिक उन्हें दूसरों की भ्रांति निवारण की चिंता है—“भिक्षुओ ! बौद्ध-धर्म-संघ में एक भिक्षु को भी शक हो तो पूछ लो ।” पर यह बौद्धिकता उनकी सहज कृपा से आर्द्र है । इसीसे जिसके यहाँ भोजन कर उन्हें प्राणान्तक व्याधि मिली उसके दुःख की चिंता है—“आनंद ! चुन्द कर्मारपुत्र के इस शोक को दूर करना, कहना—आवुस ! लाभ है तूझे, तुने सुखाभ कमाया जो तथागत तेरे पिंडपात का भोजन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ।”

विशुद्ध ताकिकता और पूर्ण मानवता के अतिरिक्त उनकी दूरदर्शिता और

सगठन शक्ति भी विस्मित कर देने वाली है, क्योंकि एक हमें निपुण नीतिज्ञ और दूसरी अनुभवी सेनानी का स्मरण दिलाती है।

ब्राह्मण-धर्म विद्वत्परिपदों और क्लिष्ट सस्कृत ग्रंथों में सीमित होता जा रहा था। उसके विरोध में बुद्ध ने जिन अस्त्रों का प्रयोग किया वे उसके लिए अतर्कनीय थे। सस्कृत ग्रंथों का स्थान साधारण जनता की भाषा की और विद्वानों का स्थान, प्रत्येक मनुष्य को देकर उन्होंने सघर्षों से पहले ही जय पा ली।

बौद्ध धर्म के प्रसार का बहुत कुछ श्रेय उनकी सगठन-शक्ति को दिया जाना चाहिए। बौद्ध-भस्क्रुति के बुद्ध, धर्म, मध्य तीन स्तम्भ हैं, जिनमें पहला बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से संबध रखता है, दूसरा उनके द्वारा निश्चित नैतिक आचरण से और तीसरा सिद्धांत और धर्म के प्रसारार्थ सगठन से। सिद्धांतों के संबध में बुद्ध तार्किक दृष्टिकोण रखकर, आचरण के संबध में महज व्यावहारिकता का ध्यान रखकर और सध के संबध में सद्भावमूलक नियंत्रण रखाकर उन्होंने अपने निर्माण को गहराई और ऊंचाई दोनों ही दी थी। "हम वीर हैं, दुःखसमन के लिए वीर हैं," अगुत्तरनिकाय का यह वाक्य उनके लिए जितना सत्य है उतना और किसी के लिए नहीं। उनकी विजय मनुष्यता की देवत्व पर विजय है। विद्वाना यह है कि ऐसे पूर्ण मनुष्य को मनुष्य ने फिर देवताओं में निर्वासन दे डाला।

भारतीय विचार-परंपरा से बुद्ध की विचारधारा कोई साम्य नहीं रखती, ऐसी भ्रात धारणा का अभाव नहीं। यह सत्य है कि बुद्ध अपनी दिशा में मौनिक हैं। परंतु तत्कालीन वातावरण से उनका संबध नहीं, ऐसी कल्पना से न बुद्ध की विचारधारा का महत्त्व बढ़ता है, न हमारे चित्तन की विविधता का। संभवतः बौद्ध धर्म के अपनी ही जन्मभूमि से निर्वासित हो जाने पर उसके मूल सिद्धांतों के संबध में हमारे अज्ञान ने ही एक प्रकार के विश्वास का स्थान ले लिया हो। उसके अनेक सिद्धांत हमारे जीवन में नित्य प्रयुक्त होते रहे, उसके कला शिल्प आदि के आदर्श हमारे साथ चलते रहे, पर हमने उस धर्म को अपने में दूर ही माना। अवश्य ही इस धारणा ने हमारी सांस्कृतिक चेतना की एक महत्त्वपूर्ण धारा को उसकी मूल धारा से भिन्न स्थिति देकर हम कुछ दरिद्र ही बनाया। उस विचारधारा के प्रति हमारा समन्वयात्मक दृष्टिकोण रहा अवश्य, पर उस समन्वय के प्रति हम जागरूक नहीं रहे। इसीसे अंतर ज्यों का त्यों बना रहा।

वास्तव में बुद्ध के समय तक उपनिषदों में मिलने वाली चित्तन-प्रणालियां बहुत विकसित हो चुकी थीं और तत्कालीन विचार स्वातंत्र्य के कारण उनकी विविधता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। संभवतः बढ़ते हुए आत्मवाद ने मनुष्य को इतना अतर्मुखी बना दिया कि बाह्य जीवन की समस्या का कोई समाधान खोजना अनिवार्य हो उठा। इस चित्तन की विविधता के साग-माध जैन

तीर्थंकरों का अहिंसा-धर्म भी विस्तार पा रहा था। बुद्ध ने आत्मवाद को और उलझाने वाला तत्त्व समझकर और जैनधर्म की नकारात्मक आस्तिकता और शरीर-संयम की प्रधानता में बौद्धिकता का विकास न देखकर वह मार्ग ग्रहण किया जो उनके विचार में अधिक बौद्धिक और अधिक व्यावहारिक था।

संसार की नित्यता और अनित्यता आदि से सबंध रखने वाले प्रश्नों के उत्तर में या वे मौन ही रहे या किसी सहज रूपक द्वारा समझाते हुए प्रश्नकर्ता को उसके प्रश्न की व्यर्थता तक पहुँचा आये। उनके निकट चार आर्य सत्य हैं— दुःख, दुःख-समुदय (कारण), दुःख-निरोध और दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपदा। यह दुःख न किसी आध्यात्मिक जगत् का दुःख है और न सूक्ष्म दार्शनिक जगत् के असंतोष का पर्याय है, प्रत्युत प्रत्यक्ष जीवन का दुःख है।

“क्या है आवुसो दुःख ? जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मृत्यु भी दुःख है, शोकक्रंदन भी दुःख है, मनस्ताप भी दुःख है, चिंता भी दुःख है, किसी चीज की इच्छा करके न पाना भी दुःख है। क्या है आवुसो-दुःखनिरोध ? जो उस तृष्णा का त्याग, विराम, निरोध, मुक्ति अनालय है वह कहा जाता है दुःखनिरोध। क्या है आवुसो दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपदा ? यह अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सङ्कल्प, वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीव, सम्यक् ध्यायाम, सम्यक् समाधि।” (सम्मादिट्ठ सुत्तन्त)

उपर्युक्त दुःख के सभी रूप भौतिक जीवन से सबंध रखते हैं और उनमें दूर होने का उपाय आचरण का परिष्कार और चित्त की शुद्धि है।

बुद्ध होने का प्रयत्न करने वाला बोधिसत्त्व है और बोधिसत्त्व के लिए दो गुण आवश्यक होते हैं—महामंत्री और महाकरुणा। महामंत्री उसे अन्य प्राणियों के लाभ के लिए अपना सर्वस्व त्यागने की शक्ति देती है और महाकरुणा के कारण वह सबको दुःख से विमुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

बुद्ध का निर्वाण भी जीवन के उपरांत कोई स्थिति न होकर जीवन की ही ऐसी स्थिति है जिममें तृष्णा के क्षय से दुःख का क्षय हो गया है। पर यह दुःख का क्षय केवल अपने लिए नहीं है, इसी से बोधिचर्यावतार में मिलता है— “सर्वस्व-त्याग में निर्वाण है, मेरा चित्त उम स्थिति के लिए प्रस्तुत है, अतः सब कुछ समर्पण कर देना उचित है। इसे सबको दे देना उचित है।”

मनुष्य के कल्याण-अकल्याण की भावना भी व्यावहारिक है।

“क्या है आवुसो अकुशल ? हिंसा अकुशल है, चोरी अकुशल है, दुराचार अकुशल है, असत्य बोलना अकुशल है, चुगली अकुशल है, कठोर वचन अकुशल है, बकवाद अकुशल है, लालच अकुशल है, प्रतिहिंसा अकुशल है, झूठी धारणा अकुशल है।” (मज्झिम निकाय)

इन कार्यों को न करने से मनुष्य को कुशल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार

बुद्ध का मनुष्य समष्टि का मनुष्य है और सब की दुःख-मुक्ति में अपनी दुःख-मुक्ति है। इसी से वे दीर्घ निकाय में कहते हैं—“जैसे ममुद्र का जल जहाँ उठाओ वही लवण-रस है, वैसे ही मेरा धर्म-विनय मय जगह मुक्ति रस है।”

बुद्ध की विचारधारा में एक निराश दुःखवाद है—ऐसा आक्षेप भी सुना जाता है।

इस संकथ में यह स्मरण रखना उचित है कि प्रत्येक कल्याण-प्रतिपादक की स्थिति दोहरी होती है। वह अकल्याण की स्थिति को मानता है, अन्यथा कल्याण की चर्चा ही व्यर्थ हो जायगी। इस तरह अकल्याणमूलक दुःख पर केंद्रित रहने के कारण उसकी दृष्टि दुःखवादिनी रहे, यह स्वाभाविक है। पर यह स्थिति कल्याण में बदल सकती है—इसमें उसका अटूट विश्वास रहता है, अन्यथा उसके प्रयत्न में कोई सार्थकता ही नहीं रहेगी। इस तरह कल्याण पर आश्रित उसका दृष्टिकोण आशावादी ही रहेगा।

समय-समय पर कल्याण की परिभाषा बदलती रही है और उसी के विपरीत तत्त्व दुःख समझे जाते रहे। जब भौतिक समृद्धि ही कल्याण का पर्याय थी, तब उसे अप्राप्य बताने वाली बाधाएँ ही दुःख थीं। जब परमतत्त्व में आत्मतत्त्व का लीन हो जाना कल्याण माना गया, तब भौतिक जगत् दुःख का कारण बन गया। बुद्ध का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है। धन, काम आदि की तृष्णा से ही मनुष्य स्वयं दुःखी होता और दूसरों के दुःख को बढ़ाता है, अतः ऐसी तृष्णा का क्षय ही कल्याण है। यह कल्याण चित्त और आचरण की शुद्धता से प्राप्त हो सकता है। उनकी कल्याण की भावना समष्टिगत है, अतः दुःख की व्यापकता के कोने-कोने का स्पर्श कर उनकी दृष्टि का विपाद भी विशालता पा गया है।

बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, इच्छा के एकांत त्याग पर तत्कालीन धर्म, समाज, जीवन आदि की व्यवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा—यह विश्वास करना कठिन है, क्योंकि हमारे यहाँ एकांत स्वार्थ को पराजित करने के लिए ही एकांत त्याग का ब्रह्मास्त्र प्रयोग में आता रहता है। उदाहरण के लिए हम गीता के निष्काम कर्म को ले सकते हैं।

जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है, वह तत्कालीन उपनिषदों में मिलने वाले विचारधारा से इतना मामूय रहती है कि उसे उसी चिंतन प्रणाली का एक ही मानना उचित होगा। उपनिषदों में किसी विशेष मत या धर्म का प्रतिपादन नहीं किया गया है। वे तो विविध विचारकों के चिंतन की समष्टि मात्र उपस्थित कर रहे हैं। तरुणीय आत्मवाद में भारतीय बुद्धिवाद अपनी धरममीमा तक पहुँच चुका था। वह आत्मा को अहंकार, मनन और विज्ञान की समष्टि है, आत्मवाद का बुद्ध आत्मन् नहीं और जिस आत्मा को बुद्ध अस्वीकृत करते हैं, वह अहंकार, मनन और विज्ञान की समष्टि है। इस प्रकार एक ही धरातल पर स्वीकृति



अस्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता । निर्वाण-प्राप्ति के उपरांत की शून्यता और आत्मन् की शून्य व्यापकता विवाद का विषय रहेंगे ।

अनेक प्रश्नों के सबंध में व्यावहारिक धरातल पर बुद्ध मौन हैं और अनेक प्रश्नों के सबंध में बौद्धिक धरातल पर उपनिषदों के मनीषी 'नहीं जानते, नहीं जानते' पुकार उठते हैं । इन प्रश्नों को छोड़कर बुद्ध की विचारधारा में बहुत कुछ वही है जो तत्कालीन विचारों में भी मिलता है । अवश्य ही सबकी परिभाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं ।

बुद्ध के प्रवचनों में बार-बार आने वाली अविद्या उपनिषदों में भी बार-बार उपस्थित हो जाती है । 'अघतम प्रविशति ये अविद्यामुपासते' जैसे वाक्यों में हम इस अज्ञान ही का संकेत पाते रहते हैं । बुद्ध जिस तृष्णा को दुःख का कारण मानते हैं वह भी काम के रूप में उपनिषद् तथा वेद में अपना परिचय देती रहती है—“म कामाय जायते, कामाजज्ञे प्रथम ।”

जहां तक शरीर के आयास के विरोध में चित्तशुद्धि का प्रश्न है, उसे याज्ञवल्क्य विदेह आदि की स्वीकृति मिल चुकी थी । नैतिक आचरण के सबंध में ब्रह्मचर्य, शम, चित्त का समन, यम, इन्द्रियों का निग्रह आदि की भावना भी पर्याप्त विकसित हो चुकी थी । अतः बुद्ध ने उसे अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाकर जो सगठित रूप दिया, वह नवीन होने पर भी भारतीय जीवन के लिए परिचित कहा जायेगा ।

